

Friday, 22<sup>nd</sup> July, 2022 31 Ashadha, 1944 (Saka)

## PARLIAMENTARY DEBATES

# RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART-II)

#### **CONTENTS**

Oath or Affirmation (page 1)

Papers Laid on the Table (pages 1 - 5)

Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Water Resources - Laid on the Table (page 6)

Statements by Minister –

Status of implementation of recommendations contained in the Eleventh and Nineteenth Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution- *Laid on the Table* (page 6)

Motion for election to the Coconut Development Board, Kochi- Adopted (pages 6 - 7)

[P.T.O

 $^{\circ}$ 

RAJYA SABHA SECRETARIAT NEW DELHI

PRICE: ₹ 100.00

Statement regarding Government Business (pages 7 - 8)

Oral Answers to Questions (pages 8 - 65)

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part-I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <a href="https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise">https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise</a>]

# Private Members' Bills -

The Waqf (Amendment) Bill, 2022- Introduced (page 65)

The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2022-Introduced (page 66)

The Constitution (Amendment) Bill, 2022 (amendment of articles 4, 55, 81 etc.) - Introduced (page 66)

The Compulsory Voting Bill, 2022 - Introduced (page 66)

The Bengal Freedom Fighters Memorial Bill, 2022- Introduced (page 67)

The Indian National Army Regiment Bill, 2022- Introduced (page 67)

The Constitution (Amendment) Bill, 2021 (amendment of articles 246 and 254)- Introduced (page 67)

The Central Public Sector Enterprises (Protection of Interests of States)
Bill, 2022-Introduced (page 68)

National Commission for the Welfare of Home-based Workers Bill, 2022-Introduced (pages 68 - 69)

The Right to Health Bill, 2021- *Under Consideration* (pages 69 - 82 and pages 83 - 112)

# Messages from Lok Sabha —

The Indian Antarctic Bill, 2022 - Laid on the Table (page 83)

The Biological Diversity (Amendment) Bill, 2021 - Reported (page 83)

## Special Mentions —

Need to review the recent hike in rate of Goods and Services Tax (GST)(pages 112 - 113)

Need for inclusion of Ho, Mundari and Bhumij languages in the Eighth Schedule to the Constitution (page 113)

Digital attendance of the MNREGA workers (page 114)

Need for an integrated approach to manage the water crisis in the country (pages 114 - 115)

Need to probe the problems being faced by the students in the recently held UGC, NET Exam and CUET undergraduate Exam (pages 115 - 116)

Announcement by the Chair (page 116)

Website: http://rajyasabha.nic.in

http://parliamentofindia.nic.in

E-mail: rsedit-e@sansad.nic.in

#### **RAJYA SABHA**

Friday, the 22<sup>nd</sup> July, 2022/31 Ashadha, 1944 (Saka)

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

#### OATH OR AFFIRMATION

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Some of you are Covid-proof, but still the advice is to wear mask when you meet others outside, if not inside. Now, Oath or Affirmation.

Shri Kapil Sibal (Uttar Pradesh)	

#### PAPERS LAID ON THE TABLE

Reports and Accounts of NRTU; CRIS, New Delhi and RLDA, New Delhi for various years and related papers

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (A) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—
  - (i) (a) Annual Report and Accounts of the NRTU Foundation (NRTU), for the year 2018-19, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
    - (b) Review by Government on the working of the above Foundation.
  - (ii) (a) Annual Report and Accounts of the NRTU Foundation (NRTU), for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
    - (b) Review by Government on the working of the above Foundation.
  - (iii) (a) Annual Report and Accounts of the NRTU Foundation (NRTU), for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
    - (b) Review by Government on the working of the above Foundation.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (i) (a) to (iii) (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 7009/17/22]

- (B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:
  - (i) (a) Annual Report and Accounts of the Centre for Railway Information Systems (CRIS), New Delhi, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.
    - (b) Review by Government on the working of the above Centre.
    - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 7006/17/22]

- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the Rail Land Development Authority (RLDA), New Delhi, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.
  - (b) Review by Government of the working of the above Authority.
  - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 7007/17/22]

## Report and Accounts (2020-21) of HVOC, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of my colleague, Sadhvi Niranjan Jyoti, I lay on the Table—

- (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—
  - (a) Thirty-seventh Annual Report and Accounts of the Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited (HVOC), New Delhi, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.
- (2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 7232/17/22]

#### Notifications of the Ministry of Commerce and Industry

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA SINGH PATEL): Sir, I lay on the Table—

A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce), under sub-section (3) of Section 19 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992:-

- (1) S.O. 1004 (E), dated 7<sup>th</sup> March, 2022, amending the import policy conditions of items under ITC HS01069000 of Chapter 01 of ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy).
- (2) S.O. 1145 (E), dated 14<sup>th</sup> March, 2022, amending the import policy and insertion of policy conditions under Chapter 29 and 38 of ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy).
- (3) S.O. 1269 (E), dated the 23<sup>rd</sup> March, 2022, regarding amendment in policy condition mentioned of SI. No. 55 and 57, in Chapter 10 Schedule-2, ITC (HS) Export Policy, 2018.
- (4) S.O. 1270 (E), dated the 23<sup>rd</sup> March, 2022, regarding amendment in Export Policy and insertion of policy conditions in Chapter 29 and 38 of ITC (HS), 2018.
- (5) S.O. 1463 (E), dated 29<sup>th</sup> March, 2022, amending the import policy of Urad [Beans of the SPP Vigna Mungo (L.) Hepper] and Tur/Pigeon Peas (Cajanus Cajan) under ITC (HS) 2022, Schedule-I (Import Policy).
- (6) S.O. 1549 (E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2022, regarding extension of Foreign Trade Policy 2015-2020.
- (7) S.O. 1559 (E), dated 1<sup>st</sup> April, 2022, amending the import policy condition of Urea in ITC (HS) 2022, Schedule-I (Import Policy).
- (8) S.O. 2031 (E), dated 30<sup>th</sup> April, 2022, regarding amendment in import policy of ITC (HS) Codes 71123000, 71129100, 71129200, 71129910, 71129920, and 71129990 under Chapter 71 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS), 2022.
- (9) S.O. 2053 (E), dated 2<sup>nd</sup> May, 2022, regarding extension of relaxation of the provisions under Notification 20/2015-20 dated 24.08.2021.
- (10) S.O. 2162 (E), dated the 9<sup>th</sup> May, 2022, amending the Notification No. 31/2015-20 dated the 29<sup>th</sup> September, 2017 regarding Export Policy of Guar Gum.
- (11) S.O. 2235 (E), dated the 14<sup>th</sup> May, 2022, amending Notification No. 43/2015-20 dated the 29<sup>th</sup> October, 2020 regarding Export Policy of Onions Seeds.

- (12) S.O. 2236 (E), dated the 14<sup>th</sup> May, 2022, amending the export policy mentioned at SI. No 59 of chapter 10 of Schedule 2 of the ITC (HS) regarding the Export Policy of Wheat.
- (13) S.O. 2320 (E), dated 19<sup>th</sup> May, 2022, regarding amendment in import policy condition of Fresh Ginger under Chapter 09 of the ITC (HS) 2022, Schedule-I (Import Policy).
- (14) S.O. 2321 (E), dated the 19<sup>th</sup> May, 2022, amending the Schedule 2 of ITC (HS) Export Policy, 2018 regarding Export Policy of Bamboo Charcoal.
- (15) S.O. 2357 (E), dated 23<sup>rd</sup> May, 2022, regarding amendment in import policy condition under Chapter 29 and 30 of ITC (HS) 2022, Schedule-I (Import Policy).
- (16) S.O. 2375 (E), dated the 25<sup>th</sup> May, 2022, amending the export policy of sugar mentioned at SI. No. 93 in Chapter 17 of ITC (HS), Schedule II.
- (17) S.O. 2378 (E), dated 25<sup>th</sup> May, 2022, regarding amendment in import policy of Paper and incorporation of policy condition in Chapter 48 of ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy).
- (18) S.O. 2821 (E), dated 21<sup>st</sup> June, 2022, regarding amendment in Import Policy Condition of Water Melon Seeds under ITC(HS) Code 1207 70 90 of Chapter-12 of ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy).
- (19) S.O. 2985 (E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2022, amending the Export Policy of certain items mentioned in Chapter 27 of Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy regarding motor gasoline and gas oils.

[Placed in Library. For (1) to (19) See No. L.T. 7144/17/22]

# Report and Accounts (2020-21) of NSC Limited, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE): Sir, I lay on the Table—

- (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—
  - (a) Fifty-eightieth Annual Report and Accounts of the National Seeds Corporation (NSC) Limited, New Delhi, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
  - (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 7204/17/22]

# Report and Accounts (2018-19) of the Textiles Committee, Mumbai and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): Sir, I lay on the Table—

- (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under subsection (4) of Section 13 of the Textiles Committee Act, 1963:-
  - (a) Annual Report and Accounts of the Textiles Committee, Mumbai, for the year 2018-19, together with the Auditor's Report on the Accounts.
  - (b) Review by Government on the working of the above Committee.
- (2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 7554/17/22]

# Reports and Accounts (2020-21) of NID, Ahemdabad and FDDI, Noida and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the following papers:—

- (i)(a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Design (NID), Ahemdabad, Gujarat for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.
  - (b) Statement giving reasons for delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6149/17/22]

- (ii)(a) Annual Report and Accounts of the Footwear Design and Development Institute, (FDDI), NOIDA, Uttar Pradesh, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.
  - (b) Review by Government on the working of the above Institute.
  - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 7023/17/22]

# REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES

SHRI ARUN SINGH (Uttar Pradesh): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Seventeenth Report of the Committee on Water Resources (2021-22) on the Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in its Twelfth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Flood Management in the Country including International Water Treaties in the field of Water Resource Management with Particular Reference to Treaty/Agreement entered into with China, Pakistan and Bhutan'

#### STATEMENTS BY MINISTER

Status of implementation of recommendations contained in the Eleventh and Nineteenth Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, मैं निम्नलिखित के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (i) Status of implementation of recommendations contained in the Eleventh Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on "Price rise of essential commodities cause and effects" pertaining to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.
- (ii) Status of implementation of recommendations contained in the Nineteenth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

#### MOTION FOR ELECTION TO THE COCONUT DEVELOPMENT BOARD, KOCHI

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE): Sir, I move the following Motion:—

\_\_

<sup>&</sup>quot;That in pursuance of clause (e) of sub-section (4) of Section 4 of the Coconut Development Board Act, 1979 (No.5 of 1979), read with clauses (i) and (ii) of sub-rule (1) of Rule 4 of the Coconut Development Board Rules, 1981, this

House do proceed to elect, in the manner as directed by the Chairman, one Member from amongst the Members of the House to be a member of the Coconut Development Board."

The question was put and the motion was adopted.

#### STATEMENT REGARDING GOVERNMENT BUSINESS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, with your permission, I rise to announce that the Government Business in the House for the week commencing Monday, the 25<sup>th</sup> July, 2022, will consist of:-

- 1. Further consideration and passing of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill, 2022, as passed by Lok Sabha.
- 2. Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by Lok Sabha:-
  - (i) The Indian Antarctic Bill, 2022;
  - (ii) The Anti-Maritime Piracy Bill, 2019;
  - (iii) The Family Courts (Amendment) Bill, 2022;
  - (iv) The Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2021; and
  - (v) The National Anti-Doping Bill, 2021.
- 3. Consideration and passing of the Central Universities (Amendment) Bill, 2022, after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha.

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Members, I have received notices under Rule 267 for suspension of rules and take up discussion on a particular subject i.e., price rise from Shri Binoy Viswam, Shri Tiruchi Siva, Shri Mallikarjun Kharge, Shri Elamaram Kareem and Dr. V. Sivadasan. This has earlier been disposed of by the House saying that 'I am not allowing it, but we will have discussion separately.' That is what has been said. ...(Interruptions)...

Shri Jayant Chaudhary has given notice on 'Need to review Agnipath Scheme.' Shri Pramod Tiwari has given notice on 'Concern over misuse of agencies.' ... (Interruptions)... Shri Deepender Singh Hooda has given notice on the same. ... (Interruptions)... Shri K.C. Venugopal has also given notice on the same subject.

...(Interruptions)... As there are opportunities to discuss them through other notices... ...(Interruptions)... I will take a serious view if you show placards. ...(Interruptions)... Please don't do it. ...(Interruptions)... Please don't do it. ...(Interruptions)... You have wasted one week's precious time of the people and also the Parliament. ...(Interruptions)... This is not the way, particularly when the House is ready to discuss and the Government has also expressed its willingness. ...(Interruptions)... Please stop this and also don't bring placards into the House. ...(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, I am on a point of order. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: There is no point of order. ...(Interruptions)... When there is no order, how can there be a point? ...(Interruptions)... There is no point in raising a point of order when the House is not in order. You understand this. ...(Interruptions)...The House is adjourned to meet at 12 o' clock.

The House then adjourned at seven minutes past eleven of the clock.

The House reassembled at twelve of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

# **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

#### Funds for ongoing/pending projects for farmers

- \*61. DR. ASHOK KUMAR MITTAL: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to State?
  - (a) the details of amount allocated and spent by Government for ongoing/ pending projects for farmers across the country during the last three years and the current year, State/UT wise;
  - (b) whether Government has taken any effective steps so far for doubling the income of farmers;
  - (c) if so, the details thereof;
  - (d) whether the data of beneficiary farmers has been collected; and
  - (e) if so, the details thereof, State/UT-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI KAILASH CHOUDHARY): (a) to (e) The answer is placed on the table of the House.

#### Statement

- (a) Details of amount allocated and released by Government for beneficiary oriented Central Sector schemes such as Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) and Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) as well as Centrally Sponsored Schemes for farmers across the country during the last three years and allocation for the current year, State/UT- wise are given at **Annexure-I**.
- (b) and (c) The Government constituted an Inter-Ministerial Committee in April, 2016 to examine issues relating to "Doubling of Farmers Income" and recommend strategies to achieve the same. The Committee submitted its Report to the Government in September, 2018 containing the strategy for doubling of farmers' income recognising agriculture as a value led enterprise and has identified seven major sources of growth viz., (I) improvement in crop productivity; (II) improvement inlivestock productivity; (III) resource use efficiency or savings in the cost of production; (IV) increase in cropping intensity; (V) diversification towards high value crops; (VI) improvement in real prices received by farmers; and (VII) shift from farm to non-farm occupations. After acceptance of the DFI Committee recommendations, the Government has constituted an 'Empowered Body' to review and monitor the progress.

The Government has adopted several developmental programmes, schemes, reforms and policies that focus on higher incomes for farmers. All these policies & programmes are being supported by higher budgetary allocations and non-budgetary financial resources by way of creating corpus funds like the Micro Irrigation Fund etc. There have been several reforms to unleash potential, e.g. Promotion of 10,000 FPOs along with necessary financial support under Atma Nirbhar Package (Agriculture), impetus for creation of infrastructure through the Agriculture Infrastructure Fund (AIF), supplementary income transfers under PM-KISAN; risk mitigation through the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY); emphasis on micro irrigation through the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY); increase in Minimum Support Price (MSPs) for all Kharif & Rabi Crops ensuring a minimum of 50 percent of profit margin on the cost of production to provide remunerative price to farmers; focus on ancillary activities such as bee-keeping, Rashtriya Gokul Mission, Blue Revolution etc; access to credit through Interest Subvention Scheme and Kisan Credit Card (KCC) that now offers production loans to even dairy & fishery farmers besides agricultural crops etc.

Noteworthy steps to increase production and productivity in the agriculture sector and increase the income of farmers are listed in **Annexure-II**.

(d) and (e) Beneficiaries are selected by State governments. Details of beneficiaries of Central sector schemes like PM-KISAN and PMFBY as well as major beneficiary oriented Centrally Sponsored Schemes are given at **Annexure-III**.

#### Annexure- I

# 1. State wise allocation & release in respect of beneficiary oriented Centrally Sponsored Schemes of DA&FW\*

(Rs. in crores)

	(ns. iii cioles)							
S.	States	2019-20		2020-21		2021-22	2022-23	
No	Otatos	Alloc.	Release	Alloc.	Release	Alloc.	Release	Alloc.
1	Andhra Pradesh	1179.75	1208.17	1043.31	844.92	834.72	510.40	528.80
2	Arunachal Pradesh	121.50	74.54	159.66	138.70	124.67	73.69	93.57
3	Assam	665.03	475.29	584.81	440.58	442.44	278.10	490.42
4	Bihar	460.83	234.13	451 <b>.</b> 89	200.86	413.35	162.90	316.76
5	Chhattisgarh	560.86	372.20	523.68	393.88	408.13	169.25	281.83
6	Goa	35.01	7 <b>.</b> 51	36.08	10.25	27.33	2.12	22.36
7	Gujarat	741.85	553.49	746.48	524.60	795.11	284.62	330.97
8	Haryana	302.39	179.47	352.22	346.30	380.07	199.92	213.55
9	Himachal Pradesh	189.63	179.95	219.31	139.37	194.09	70.78	141.93
10	J&K	280.60	154.61	212.18	116.55	88.98	85.85	66.58
11	Jharkhand	324.40	134.38	315.79	119.77	212.67	59.77	140.42
12	Karnataka	1039.47	1018.64	1078.54	1002.87	1088.46	934.28	559.72
13	Kerala	168.20	108.14	192.04	132.61	151.74	167.88	132.57
14	Madhya Pradesh	1131.05	706.83	1108.88	358.20	941.91	336.35	615.32
15	Maharashtra	1112.68	996.77	1197.40	817.30	1067.17	511 <b>.</b> 52	638.39
16	Manipur	140.49	121.45	151.54	92.54	148.28	128.72	92.54
17	Meghalaya	112.66	34.57	99.12	50.95	83.97	27.47	72.69
18	Mizoram	114.73	85.34	114.78	98.40	158.23	73.17	115.91
19	Nagaland	207.96	195.22	204.08	183.78	180.06	144.12	127.53
20	Odisha	594.53	541.27	567.98	355.46	429.93	150.97	332.03
21	Punjab	253.24	63.22	272.60	73.24	266.65	99.35	170.67
22	Rajasthan	848.47	381.89	951.12	689.26	786.87	382.63	510.29
23	Sikkim	117.74	94.35	128.79	76.79	123.19	67.04	63.94

24	Tamil Nadu	1041.12	1081.32	929.91	927.95	1018.58	484.79	489.73
25	Telangana	564.98	185.09	391.32	44.13	379.69	14.23	446.75
26	Tripura	187.06	146.88	142.44	86.34	130.75	74.97	142.20
27	UttarPradesh	944.19	746.69	1279.04	1002.31	1085.70	568.55	693.84
28	Uttarakhand	340.65	233.45	385.09	353.11	247.68	209.09	309.89
29	West Bengal	532.54	339.14	508.99	395.06	446.93	173.06	353.47
30	Delhi	21.42	0.55	1.90	0.19	1.11	0.00	1.40
31	Puducherry	10.63	7.04	9.40	2.33	9.64	1.00	9.40
32	A&N Islands	8.78	3.79	10.31	2.90	8.31	3.13	6.70
33	Chandigarh	2.45	0.00	2.19	0.00	0.13	0.00	0.10
34	D & N Haveli	18.02	1.35	0.60	0.00	0.45	0.00	1.10
35	Daman & Diu	3.66	0.04	1.10	0.00	0.91	0.00	0.10
36	Lakshadwe ep	5 <b>.</b> 78	0.00	5.14	0.00	0.50	0.00	0.50
37	Ladakh	5.73	2.40	46.01	20.79	40.25	26.75	39.92
38	Others	102.43	112.17	92.04	96.69	0.00	85.23	0.00
	Total	14492.54	10781.34	14517.37	10138.74	12718.66	6561.66	8553.88

<sup>\*</sup>Allocation and release of funds in respect of beneficiary oriented centrally sponsored schemes of DA&FW such as Sub Mission on Agricultural Mechanization, National Food Security Mission - Crops, National Food Security Mission (Oil Seeds & Oil Palm), Sub Mission on Agricultural Extention, Parampragat Krishi Vikas Yojana, Sub-Mission on Seed and Planting Material (SMSP), Mission for Integrated Development of Horticulture, Per Drop More Crop & Rashtriya Krishi Vikas Yojana, Soil Health Management, Soil Health Card and Rain fed Area Development

#### 2. State-wise release under PM KISAN

(Rs. in crores)

					`	/
SI.	Ctataa	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	Total
No.	States					Amount
1	Andaman and	9.31	9.17	9.32	3.05	32.64
'	Nicobar Islands					
2	Andhra Pradesh	2,630.61	2,822.71	2,921.52	926.19	9,938.84
3	Bihar	3,697.98	3,694.35	4,963.64	1,681.08	14,079.36
4	Chandigarh	0.25	0.24	0.24	0.01	0.74
5	Chhattisgarh	1,332.03	1,294.02	1,729.07	608.17	4,985.33
6	Delhi	8 <b>.</b> 15	6.80	9.17	3.20	27.32
7	Goa	3.83	5.10	5 <b>.</b> 65	<b>1.</b> 95	16.95
8	Gujarat	3,396.83	2,678.06	3,592.25	1,182.32	11,379.74

9	Haryana	848.45	1,172.03	1,138.65	389.04	3,731.56
10	Himachal Pradesh	653.86	401.73	563.93	196.37	1,901.87
11	Jammu and	581.56	636.68	657.97	248.90	2,211.67
11	Kashmir					
12	Jharkhand	532.10	1,394.53	1,112.64	351 <b>.</b> 21	3,482.50
13	Karnataka	3,013.50	2,610.22	2,789.23	1,273.33	9,689.47
14	Kerala	2,405.34	1,612.74	2,183.00	706.15	7,091.29
15	Ladakh	8.41	9.59	10.80	3.62	33.85
16	Lakshdweep	-	0.93	0.28	-	1.21
17	Madhya Pradesh	3,845.70	4,145.62	5,129.95	1,680.75	14,802.01
18	Maharashtra	5,204.13	6,109.27	6,415.48	2,049.12	20,073.23
19	Odisha	1,675.78	1,438.69	2,711.38	709.98	6,703.94
20	Puducherry	7.19	4.92	6.16	2.04	21.12
21	Punjab	912.65	1,068.58	1,030.96	337.84	3,531.22
22	Rajasthan	3,429.97	4,051.92	4,498.65	1,474.79	13,455.33
23	Tamilnadu	2,199.54	2,177.86	2,238.69	706.72	7,704.33
24	Telangana	2,265.58	2,022.88	2,267.02	738.92	7,643.98
	Dadra and Nagra	10.50	4.89	8.27	3.82	27.82
25	Haveli and Daman					
	and Diu					
26	Uttar Pradesh	10,738.27	14,271.89	15,753.79	5,053.12	48,010.95
27	Uttarakhand	437.40	513.19	545.91	179.34	1,741.31
28	West Bengal	-	-	2,615.00	1,003.49	3,618.49
29	Arunachal	33.88	51.95	56.39	21.78	164.00
	Pradesh					
30	Assam	805.81	292.34	943.71	107.32	2,254.06
31	Manipur	118.43	195.54	171.26	68.32	554.98
32	Meghalaya	53.13	98.23	114.47	3.10	268.94
33	Mizoram	42.90	80.14	64.29	17.83	209.51
34	Nagaland	101.89	111.74	121.23	38.30	377.99
35	Sikkim	0.35	5.73	6.79	0.00	12.86
36	Tripura	117.10	124.41	133.01	45.27	449.71
	Total	51,122.43	55,118.70	66,519.76	21,816.43	2,00,230.11

# 3. State-wise details of PMFBY

State/UT		2019-20			2020-21			2021-22	
Name	Farmers	Area	Paid	Farmers	Area	Paid	Farmers	Area	Paid
	Applicat	Insured	Claims	Applicat	Insured	Claims	Applicati	Insured	Claims
	ions	(lakh	Rs.	ions	(lakh	Rs.	ons	(lakh	Rs.
	Insured	ha)	Crore	Insured	ha)	Crore	Insured	ha)	Crore
	(lakh)			(lakh)			(lakh)		
Andhra	27.9	20.1	1,253.3	-	-	-	-	-	-
Pradesh									
Assam	10.1	5 <b>.</b> 7	17.4	16.6	10.7	-	9.4	5 <b>.</b> 4	-
Bihar	-	-	-	-	I	-	-	-	-
Chhattisgarh	40.2	24.3	1,296.6	51 <b>.</b> 6	24.8	880.9	58.4	23.0	610.9
Goa	0.01	0.001	0.01	0.001	0.0001	-	0.001	0.0001	-
Gujarat	24.8	29.4	111.7	-	-	-	-	-	-
Haryana	17.1	22.5	932.9	16 <b>.</b> 5	18.9	1,145.2	<b>14.</b> 5	16.1	609.7
Himachal	2.8	0.9	67.0	2.4	31 <b>.</b> 5	23.4	2.3	32.1	8 <b>.</b> 5
Pradesh									
Jammu &	-	-	-	-	-	-	0.9	0.4	12.3
Kashmir									
Jharkhand	10.9	<b>6.</b> 5	-	-	-	-	-	-	-
Karnataka	21.3	21.7	1,353.4	16.1	16.1	997.9	19.3	17.4	361.9
Kerala	0.6	0.4	85.9	0.8	0.4	72.0	0.9	0.4	-
Madhya	89.6	117.1	6,159.0	84.2	129.4	6,574.3	88.88	114.7	0.01
Pradesh									
Maharashtra	145.7	79 <b>.</b> 2	6,758.6	124.1	68.2	1,137.9	99.0	59.0	2,769.2
Manipur	0.03	0.03	1.1	-	-	-	0.03	0.02	1 <b>.</b> 5
Meghalaya	0.01	0.003	0.2	0.001	0.001	0.1	-	-	-
Odisha	48.8	18.7	1,152.8	97 <b>.</b> 5	11.9	558.6	79.8	10.1	316.2
Puducherry	0.1	0.1	7.1	0.1	0.1	-	0.3	0.1	-
Rajasthan	85.9	97.9	4,912.5	107.6	113.6	4,079.6	333.4	106.1	2,419.8
Sikkim	0.0002	0.00004	-	0.001	0.0002	0.02	0.02	0.003	-
Tamil Nadu	38.9	14.2	1,116.8	59.8	17.4	1,830.0	58.2	16.3	-
Telangana	10.3	11.3	-	-	I	-	-	-	-
Tripura	0.4	0.1	0.8	2.6	0.4	2.2	3.2	0.5	-
Uttar	47.0	36.8	1,082.7	41.9	31 <b>.</b> 5	499.7	40.3	29.2	544.0
Pradesh									
Uttarakhand	2.1	1.1	103.2	1.7	9.9	129.9	1.8	9.3	29.2
West	_	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengal									
GRAND	624.7	508.1	26,413	623.4	484.9	17,932	810.4	440.1	7,683
TOTAL									

<sup>\*</sup>PMFBY is a demand driven scheme and no state-wise allocation is made, BE for 2022-23 is Rs. 15,500 crores.

#### Annexure- II

# Noteworthy steps taken by DA&FW for the agriculture sector

#### 1. Unprecedented enhancement in budget allocation

In the year 2013-14, the Budget allocation for Ministry of Agriculture, & FW was only **Rs**. 27662.67 **crore**. This has increased by more than 5.6 times to **Rs**. 1,32,513.62 **crores** in 2022-23.

#### 2. Record food grains and horticulture production

Food grain production has increased from 265.05 million tonnes in 2013-14 to record 314.51 million tonnes in 2021-22 (as per 3<sup>rd</sup>advance estimates) which is the highest ever food grain production. As per second advanced estimate, horticulture production during 2021-22 was 341.63 million MT. which is the highest ever for Indian horticulture.

## 3. Increase in productivity

Percentage increase in productivity (yield) between 2013-14 and 2021-22 is 16% for rice, 11% for wheat and 30% for coarse cereals.

# 4. Fixing of MSP at one-and-a half times the cost of production —

- MSP for Paddy (common) has increased to Rs. 2040 per quintal in 2022-23 from Rs. 1310 per quintal in 2013-14.
- MSP for Wheat increased from Rs. 1400 per quintal in 2013-14 to Rs. 2015 per quintal in 2021-22.

#### 5. Launch of the National Mission for Edible Oils — Oil Palm -

NMEO has been approved with a total outlay of Rs 11,040 crore. This will bring an additional area of 6.5 lakh ha under Oil Palm plantation with 3.28 lakh ha in the north-eastern states and 3.22 in the rest of India in the next 5 years.

#### 6. Increase in procurement from farmers

The procurement under Kharif 2021-22 and Rabi 2022 season (presently ongoing) as on 29.06.2022, a quantity of 28,59,804.16 MT of pulses, oilseeds and copra having MSP value of Rs. 15,254.66 crore benefiting 13,51,078 farmers has been done.

#### 7. Income support to farmers through PM KISAN

More than Rs. 2 lakh crore has been released so far to approximately 11.37 crore eligible farmer families as of now.

#### 8. Pradhan Mantri Fasal BimaYojana (PMFBY)

Since inception, 37.57 crore farmer applications enrolled and over 10.95 crore (Provisional) farmer applicants have received claims of over Rs. 1,19,443 crores. Thus for every 100 rupees of premium paid by farmers, they have received about Rs. 474 as claims.

#### 9. Institutional credit for agriculture sector

- Increased from Rs. 7.3 lakh crore in 2013-14 with a target to reach Rs. 18.5 lakh crore in 2022-23.
- A special drive has been undertaken since February 2020 to provide concessional institutional credit with focus on covering all PM-KISAN beneficiaries through Kisan Credit Cards (KCC). As on 24.06.2022, 320.29 lakh new KCC applications have been sanctioned with a sanctioned credit limit of Rs. 3,63,481 crores as part of the drive.

# 10. Providing Soil Health Cards to farmers

The following numbers of cards have been issued to farmers.

- i. Cycle-I (2015 to 2017) 10.74 crore
- ii. Cycle-II (2017 to 2019) 11.97 crore
- iii. Model Village Programme (2019-20)- 19.64 lakh

#### 11. Promotion of organic farming in the country

- Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) since inception till date, 30934 clusters have been formed and an area of 6.19 lakh ha has been covered benefitting 15.47 lakh farmers. In addition, Under Namami Gange Programme 123620 ha area covered and under natural farming 4.09 lakh ha area covered.
- MoVCDNER: 177 Farmer Producer Companies have been formed comprising of 153116 farmers and covering 155495 ha area.

#### 12. Agri Infrastructure Fund

Since the inception of AIF, the scheme mobilized Rs.9623 Crore worth agriculture infrastructure in the country for more than 13126 projects.

#### 13. Promotion of FPOs

As on 28.06.2022, 3065 FPOs registered under new FPO scheme.

14. National Beekeeping and Honey Mission (NBHM) - 102 projects for assistance of about Rs. 133.31 crores, approved/ sanctioned for funding under NBHM during 2020-21 & 2021-22 till date.

# 15. Per Drop More Crop:

Micro irrigation area of 67.45 lakh hectare has been covered and about 61 lakh farmers benefitted for micro irrigation from the year 2015-16 to 2021-22.

#### 16. Micro Irrigation Fund

In the Budget for 2021-22, the corpus of the fund has been increased to Rs.10000 crores. Projects worth Rs 3970.17 crore covering 12.83 lakh hectares have been approved.

#### 17. Agricultural Mechanization

Since 2014-15 13.88 lakh machines and equipments have been provided to farmers on subsidy. 18,824 custom hiring centers, 403 high-tech hubs and 16,791 farm machinery banks have been established to make available agricultural machines and equipments to the farmers on rental basis.

## 18. Drone technologies in agriculture

Standard Operating Procedures (SOPs) released for use of drones in pesticide and nutrient application on 21.12.2021

#### 19. Setting up of E-NAM extension Platform

- (i) 1000 mandis of 18 States and 03 UTs have been integrated to e-NAM platform. As per Budget announcement 2021-22, additional 1000 mandis will be integrated with e-NAM platform.
- (ii) More than 1.73 Crore Farmers & 2.26 Lakh traders have been registered on e-NAM portal.
- (iii) Rs. 2.04 lakh crore of trade has been recorded on e-NAM platform as on 28.06.2022.

#### 20. Improvement in farm produce logistics, Introduction of Kisan Rail.

First Kisan Rail was started in July 2020. Till 1<sup>st</sup> July, 2022, 2359 services on 167 routes have been operated.

## 21. MIDH - Cluster Development Programme:

MoA&FW has identified 55 horticulture clusters, of which 12 have been selected for the pilot phase of the CDP.

#### 22. Creation of a Start-up Eco system in agriculture and allied sector

During 2019-20 to 2022-23, 999 has selected by different by knowledge partners (KPs) and a total of Rs. 5395.14 lakhs grants-in-aid have been released to the respective KPs & R-ABIs for funding to these 999 startups

## 23. Achievement in Export of Agri and Allied Agri- Commodities

Value of agri and allied export has increased from 41.86 billion USD in 2020-21 to 50.24 billion USD in 2021-22 i.e. an increase of 19.99%. The major commodities which posted significant growth as compared to previous year have been Wheat 273.54%, Other than Basmati Rice 27.29%, Cotton raw including waste 48.43% etc.

# Noteworthy steps taken by Department of Agricultural Research & Education/ICAR for the agriculture sector

High Yielding Varieties and Hybrids of field crops are the major drivers for augmenting the productivity and production for ensuring adequate and nutritious food to all people of India as well as meeting the exports demands. A significant production enhancement has been achieved across the crops, as a result there is 6.07 times production enhancement in food grains, 3.06 times in pulses, 6.98 times in oilseeds, 11.93 times in cotton and 7 times in case of sugarcane over 1950-51 till 2020-21.

## Crop & Horticulture:

- A total of 1575 field crop varieties were released for different Agricultural Crops during 2014-21. During previous 7 years only 934 varieties were developed.
- Also developed 79 bio-fortified crop varieties with higher levels of Fe, Zn, protein, pro-vitamin A etc.
- In horticultural crops 418 varieties were developed notified during 2014-21 to supplement nutrition and income security as compared to 268 varieties during the previous 7 years period.
- During last 7 years ICAR produced & supplied more than 8.19 lakh quintals of breeders' seed of various high yielding crop varieties. During the previous 7 years 7.11 lakh quintals was provided. Besides, more than 11,200q seed of biofortified varieties was also produced and supplied to public and private seed production agencies.
- Wheat productivity has reached to highest level of 3444 kg/ha compared to 913 kg/ha during 1964-65. Total wheat production has touched to its highest 108.75 mt.
- Pulse production has increased from 17.15 tones from 2014-15 to 25.58 tones during 2020-21, which led to significant reduction in imports of pulses.

#### Natural Resource Management & Engineering:

- During 2014-21, 42 Multi enterprise integrated farming system (IFS) models were developed as compared to 18 such models during 2007-13. Higher income to the tune of Rs. 1.5 3.6 lakhs per annum per hectare can be realized with these models.
- ICAR has taken lead to promote Natural & organic farming in the country. The Natural & organic farming has been identified important for augmenting income of the farmers and also arresting the soil degradation. During 2014-21, 37 organic farming packages were developed by ICAR against 14 during 2007-13.
- All ICAR research institutes/ agricultural universities and KVKs have been directed to promote natural & organic farming.
- ICAR Institutes developed 117 new machines equipments during last 7 years as against 65 developed during the previous 7 years. Besides, 25719 farm machines prototypes were developed and provided to stakeholders during 2014-21as against 23499 during 2007-13. The cost effective and energy efficient improved equipment has resulted in saving of costly inputs (seeds, fertilizers, fuel, chemicals, water, electricity) up to 20-40% ensuring improving productivity of major crops through timeliness and quality of unit operations and reduction in total losses.

#### **Animal Interventions:**

- During 2014-21, 56 new breeds of animal and birds were registered/accessioned as compared to 15 breeds during 2007-14.
- Developed 9 varieties of pigs (Rani, Asha, HD-K75, Jharsuk, Mannuthy white, Lumsning, TANUVAS KPM Gold, SVVU-T-17 and Lnadly) with higher body weight at marketable age of 8 months.
- Developed 12 poultry varieties suitable for backyard poultry with egg production ranging from 118 to 260 eggs per year and body weight 1300 g to 2850 g at 20 weeks age. These birds provide a very good means of supplemental income generation for farmers.
- During 2014-21 47 vaccines/vaccine candidates and diagnostic kits were developed to prevent livestock and poultry diseases. During 2007-14, 25 vaccines/vaccine candidates were developed.
- To augment the fish production, fish breeding and seed production technologies were developed for 25 species of food fishes during 2014-21.

- 25diagnostic/analysis kits for disease diagnosis, water quality analysis and adulterants/contaminants in fish have been developed during 2014-21, of which 8 kits have been commercialized till date.
- 49 high-value compounds and nutraceuticals from seaweeds and marine organisms were developed during 2014-21 as compared to 37 compounds developed during previous 7 years.

#### Lab to Land:

- During 2014-21, 91.43 crore agro-advisories were provided to the farmers through mobiles.
- KVKs trained 100.05 lakh farmers and 9.50 lakh extension personnel during 2014-21.
- During 2014-21 to 12.48 lakh frontline demonstrations (FLDs) were organised for farmers. The FLDs enabled capacity building of 100.05 lakh farmers including farm women and rural youth. This included 5.40 lakh exclusive FLDs for pulses and oilseeds.
- During 2014-21, 2.44 lakh on-farm trials were of improved technologies were done at farmers' fields.
- The KVKs also produced and provided to the farmers 2014-21, 15.86 lakh quintals improved seed were production in KVKs besides 2862.44 lakh quality planting materials.
- The KVKs also provided 1631.0 lakh improved strains of the livestock and fish finger lings to farmers during 2014-21.
- Established 7251 units of agro-enterprises benefitting 16707 rural youth under the newly launched program, `Attracting and Retaining Youth in Agriculture' (ARYA).
- ICAR developed 187 mobiles apps on different farm and farmers related services during 2014-21. These ICAR apps are now integrated on one common platform called KISAAN.
- Climate resilient technology packages of natural resource management, crops and livestock production systems were demonstrated (3.79 lakh demonstrations) in 151 villages of 121 vulnerable districts of the country covering 1.45 lakh ha area and 3.82 lakh farm animals of 4.83 lakh famers under the Technology Demonstration Component of NICRA.
- 13500 villages were adopted under a new initiative called Mera Gaon Mera Gaurav to promote the lab to land process benefitting over 6 lakh farmers.

- ICAR provided skill development training aligned with the National Skill Qualification Framework to 35002 rural youth by organizing 1766 training courses.
- The Farmer FIRST (Farm, Innovations, Resources, Science and Technology) initiative was launched during this period by ICAR with enhanced farmers-scientists interface to move beyond production and productivity; the programme is under implementation at 51 centers under ICAR and SAUs spread over 20 states of the country benefitting 50000 farm families of 250 villages. A total of 82469 participatory demonstrations, and 4369 extension programmes have been organized under the project.
- The KVKs organized campaign for in situ management of crop residues in ~700 villages in the northern India that was participated by 2 lakh farmers which resulted in the drop of burning incidences by 52% in 2019-20 over 2016.

## Annexure III

#### State-wise details of number of farmer benefitted

#### 1. PM KISAN

	KIOAN					
SI. No.	States	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (as on 23.06.2022)
1	Andaman and Nicobar Islands	8981	15604	15229	15366	14890
2	Andhra Pradesh	3189049	4918099	4824083	4608780	4348733
3	Bihar	211532	6070575	7580655	8162691	8221451
4	Chandigarh	41	421	394	391	7
5	Chhattisgarh	110233	2038132	2709165	2931845	2526854
6	Delhi	0	12684	13482	14844	14845
7	Goa	2075	7549	8672	9409	8529
8	Gujarat	2651370	5000409	5427477	5864269	5802487
9	Haryana	916937	1476000	1821993	1871212	1830828
10	Himachal Pradesh	429911	869052	892569	935306	932476
11	Jammu and Kashmir	432797	953419	1108545	1104465	1083461
12	Jharkhand	460115	1359093	2306848	1749286	1578170
13	Karnataka	15927	4797819	4997954	5112901	4897649
14	Kerala	920264	2931995	3432574	3542016	3456566
15	Ladakh	7123	13547	17355	17362	17279
16	Lakshdweep	0	0	1741	837	0

17	Madhya Pradesh	0	6198523	7918713	8423491	8220923
18	Maharashtra	1476066	8691599	10348635	10488917	10074737
19	Odisha	840527	3607346	2314071	3302861	3303589
20	Puducherry	4016	9860	10405	10328	10097
21	Punjab	905918	1631450	1692709	1704321	1686285
22	Rajasthan	0	5334013	6432748	7128121	7067875
23	Tamilnadu	1907623	3601537	3697959	3707495	3204098
24	Telangana	1747937	3447229	3546607	3631946	3548500
	Dadra & Nagra					
25	Haveli and	1774	13527	10659	12732	12727
	Daman & Diu					
26	Uttar Pradesh	10969366	20092233	22944302	24360363	23800267
27	Uttarakhand	327387	746210	842378	894094	880445
28	West Bengal	0	0	0	4616274	4583072
29	Arunachal Pradesh	0	63387	91658	93238	94742
30	Assam	524447	1274875	987905	1196295	432265
31	Manipur	7163	261149	412527	289037	300412
32	Meghalaya	0	98076	180167	192435	14354
33	Mizoram	21729	70652	146526	105643	86376
34	Nagaland	24097	194420	196829	199012	182121
35	Sikkim	0	1716	6032	9985	1
36	Tripura	149564	198716	218263	218493	219115
	Total	28263969	86000916	97157829	106526061	102456226

# $2. \ \, \textbf{Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana} \, (\textbf{PMFBY})$

# No. of farmer applications Insured (in lakhs)

			1 1	( /
States	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Andhra Pradesh	24.5	27.9	-	-
Assam	0.8	10.1	16.6	9.4
Bihar	-	-	-	-
Chhattisgarh	15.7	40.2	51.6	58.4
Goa	0.003	0.01	0.001	0.001
Gujarat	21.7	24.8	-	-
Haryana	15.1	17.1	16.5	14.5
Himachal Pradesh	2.7	2.8	2.4	2.3
Jammu & Kashmir	1.5	-	-	0.9
Jharkhand	13.0	10.9	-	-
Karnataka	19.8	21.3	16.1	19.3

Kerala	0.6	0.6	0.8	0.9
Madhya Pradesh	74.5	89.6	84.2	88.88
Maharashtra	148.7	145.7	124.1	99.0
Manipur	0.01	0.03	-	0.03
Meghalaya	0.01	0.01	0.001	-
Odisha	21.1	48.8	97.5	79.8
Puducherry	0.1	0.1	0.1	0.3
Rajasthan	72.1	85.9	107.6	333.4
Sikkim	0.002	0.0002	0.001	0.02
Tamil Nadu	25.7	38.9	59.8	58.2
Telangana	8.0	10.3	-	-
Tripura	0.02	0.4	2.6	3.2
Uttar Pradesh	61.4	47.0	41.9	40.3
Uttarakhand	1.9	2.1	1.7	1.8
West Bengal	53.2	-	-	-
GRAND TOTAL	582.1	624.7	623.4	810.4

# 3. Seed Village Programme under Sub Mission on Seeds and planting Materials (SMSP)

# No. of farmers benefited

S.No.	Name of State	2019-20	2020-21	2021-22
1	Andhra Pradesh	52,975	61,325	-
2	Arunchal Pradesh	-	-	32,000
3	Assam	5,33,850	10,78,675	4,02,084
4	Bihar	75,727	-	83,015
5	Central Agency	44,538	74,598	43,461
6	Chhattisgarh	90,893	78,369	1,22,748
7	Gujarat	7,301	15,984	-
8	Himachal Pradesh	2,27,866	2,26,665	1,26,541
9	Jammu & Kashmir	1,89,873	2,31,846	1,63,153
10	Karnataka	8,968	7,241	3,887
11	Madhya Pradesh	3,28,538	6,72,275	4,45,400
12	Maharashtra	5,72,292	1,25,798	3,93,781
13	Nagaland	8,759	10,100	-
14	Orissa	31,120	-	-
15	Puducherry	-	101	-
16	Rajasthan	71,280	1,39,438	2,16,634
17	Sikkim	5,500	-	715
18	Tamilnadu	5,72,390	6,85,753	6,67,127

23	Grand Total	3214193	3644766	2905274
22	West Bengal	350	-	-
21	Uttarakhand	1,39,887	1,01,957	24,734
20	Uttar Pradesh	1,93,536	1,14,416	1,79,994
19	Telangana	58,550	20,225	-

# $4. \ \ \text{SUB-MISSION ON AGRICULTURAL MECHANIZATION (SMAM)}$

( No. of Farmers Benefitted)

STATE	2019-20	2020-21	2021-22
Andhra Pradesh	27511	0	0
Arunachal	5731	12650	6045
Assam	0	0	0
Bihar	0	2088	0
Chhattisgarh	5795	6323	6916
Gujarat	2906	1708	1306
Haryana	2000	0	0
HP	11744	6925	0
J&K	111	973	3635
Jharkhand	0	0	0
Karnataka	38021	22414	19871
Kerala	7708	14830	27390
MP	30500	23444	4200
Maharashtra	8090	4800	11110
Manipur	3740	110	1996
Meghalaya	571	630	113
Mizoram	420	1750	50
Nagaland	1800	2255	1772
Orissa	8990	7444	167
Punjab	0	0	0
Rajasthan	0	451	0
Sikkim	2752	100	103
Tamil Nadu	8708	3241	775
Telengana	0	0	0
Tripura	8580	5250	0
UP	18843	8572	12
Uttarakhand	6483	5012	6979
West Bengal	391	118	0
D&D Nagar Haveli	89	0	0

Puducherry	285	0	0
Ladakh	0	1314	
TOTAL	201769	132402	92440

# 5. Details of farmers benefitted under ATMA scheme during 2017-18 to 2022-23

S. No.	States/Uts	2019-20	2020-21	2021-22
1	Andhra Pradesh	106443	352044	108684
2	Bihar	267604	320967	346308
3	Chhatisgarh	131744	96625	104945
4	Goa	9131	6017	10423
5	Gujarat	447320	304197	300183
6	Haryana	76060	42418	47504
7	Himachal Pradesh	17753	23571	31860
8	Jammu & Kashmir	12934	5522	21367
9	Jharkhand	63548	68771	40373
10	Karnataka	149324	171217	120270
11	Kerala	184882	27160	25112
12	Maharashtra	358278	219745	300551
13	Madhya Pradesh	83270	77065	51269
14	Orissa	72465	60318	52300
15	Punjab	62258	42879	74724
16	Rajasthan	174505	108307	208486
17	Telangana	81092	27735	13843
18	Tamil Nadu	348629	503082	458674
19	Uttar Pradesh	564704	658279	509728
20	Uttarakhand	68003	63132	40309
21	West Bengal	293560	148820	181816
22	Assam	8114	5267	18347
23	Arunachal Pradesh	91358	53975	118463
24	Manipur	4725	18529	12570
25	Meghalaya	9849	12878	15406
26	Mizoram	9220	4780	3460
27	Nagaland	85304	64894	1800
28	Tripura	18989	10032	3348
29	Sikkim	10496	8328	5658
30	Delhi	0	200	200
31	Puducherry	6292	4134	1792

33	Laddakh	0 10608		1014
TOTAL: -		3825079	3526869	3238754

# 6. Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY)- Per Drop More Crop

## (No. of Farmers Benefitted)

(No. of Farmers E				
S. No.	State	2018-19	2019-20	2020-21
1	Andhra Pradesh	171535	103188	
2	Bihar	2066	1718	1408
3	Chhattisgarh	21423	31361	21470
4	Goa	174	93	159
5	Gujarat	84399	76425	74414
6	Haryana	9392	11861	14992
7	Himachal Pradesh	502	4530	3000
8	Jharkhand	6934	10782	3148
9	Jammu & Kashmir	-	53	1020
10	Karnataka	227382	248937	326814
11	Kerala	1803	450	390
12	Madhya Pradesh	26093	16193	8846
13	Maharashtra	175084	199262	21980
14	Odisha	23168	20950	463
15	Punjab	337	511	582
16	Rajasthan	32086	42977	46849
17	Tamil Nadu	156056	190025	208639
18	Telangana	37596	3831	9574
19	Uttarakhand	9618	9472	7081
20	Uttar Pradesh	38247	41842	43346
21	West Bengal	7386	18489	20207
22	Arunachal Pradesh	2727	5296	7909
23	Assam	379	10949	6682
24	Manipur	2562	4308	3308
25	Mizoram	1165	1371	952
26	Nagaland	871	1347	970
27	Sikkim	6021	4191	3580
	Total	1045006	1060412	837783

# 7. Soil Health Cards

# Number of Farmers benefitted (distributed to farmers)

SI.No.	States/UTs	2018-19	2019-20	2020-21
1	Andaman & Nicobar	7915	1007	3000
2	Andhra Pradesh	5955299	226487	0
3	Arunachal Pradesh	22128	225	53
4	Assam	1300901	66218	0
5	Bihar	5068432	123866	305223
6	Chhattisgarh	3105840	59302	387
7	Dadra and Nagar Haveli	12994	0	0
8	Goa	12520	2938	6556
9	Gujarat	8694942	63591	0
10	Haryana	4082642	25235	18972
11	Himachal Pradesh	627108	19671	5168
12	J & K	946770	70246	159890
13	Jharkhand	545461	58572	0
14	Karnataka	6157661	65034	40104
15	Kerala	2209717	80045	118022
16	Madhya Pradesh	5992885	127585	133000
17	Maharashtra	9545517	201837	0
18	Manipur	114522	10010	10010
19	Meghalaya	205802	3243	8531
20	Mizoram	15901	2119	0
21	Nagaland	6000	27304	0
22	Odisha	1544049	162405	52056
23	Puducherry	12089	2508	64
24	Punjab	1160568	17793	19196
25	Rajasthan	10457699	86341	33347
26	Sikkim	66000	2936	0
27	Tamil Nadu	5197325	58317	32750
28	Telangana	4226005	110664	165527
29	Tripura	96100	15602	6467
30	Uttar Pradesh	8348647	255517	20000
31	Uttarakhand	524437	13645	6700
32	West Bengal	3298000	4520	0
	Total	89561876	1964783	1145023

## 8. Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY)

S.	Name of the State	(2018-19 to 2021-22)			
No.		No of	No of Area (in ha)		
		clusters			
1	Andhra Pradesh	4000	80000	200000	
2	Chhattisgarh	1000	20000	50000	
3	Goa	500	10000	25000	
4	Jharkhand	750	15000	37500	
5	Karnataka	500	10000	25000	
6	Madhya Pradesh	2448	48960	122400	
7	Maharashtra	350	7000	17500	
8	Odisha	720	14400	36000	
9	Punjab	100	2000	5000	
10	Rajasthan	5000	100000	250000	
11	Tamil Nadu	200	4000	10000	
12	Uttar Pradesh	500	10000	25000	
13	Himachal Pradesh	75	1500	3750	
14	Uttarakhand	3900	78000	195000	
15	Chandigarh	65	1300	3250	
16	Lakshadeep	135	2700	6750	
17	Ladakh	250	5000	12500	
	Total	20493	409860	1024650	

PKVY clusters size=20 ha,

No. of beneficiaries in each clusters = 20 to 50

No. of farmers=50XNo. of clusters

Funds have not been released to remaining States due to slow progress of the implementation non utilization of funds.

PKVY scheme also discontinue is NE States since 2018-19.

## 9. Kisan Credit Card (KCC)

A special drive has been undertaken since February 2020 to provide concessional institutional credit with focus on covering all PM-KISAN beneficiaries through Kisan Credit Cards (KCC). So far, 3.28 crore KCC applications have been sanctioned with a sanctioned credit limit of Rs. 3,72,537 crores as part of the drive.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 61; Dr. Ashok Kumar Mittal. ... (Interruptions) ...

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, LoP wants to speak. ... (Interruptions)...

SHRI SHAKTISINH GOHIL: Sir, LoP wants to say something. ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति : माननीय अशोक कुमार मित्तल जी, आप अपना सवाल पूछिए।...(व्यवधान)... केवल आपका सवाल ही रिकॉर्ड पर जाएगा।...(व्यवधान)... डा. अशोक कुमार मित्तल जी, आप अपना पहला सवाल पूछिए।...(व्यवधान)... केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी।...(व्यवधान)... आप अपना प्रश्न पूछिए।...(व्यवधान)...

डा. अशोक कुमार मित्तल: उपसभापति महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।...(व्यवधान)... यह मेरा सौभाग्य है कि एक सांसद के रूप में आज मैं इस महान सदन में पहली बार बोल रहा हूँ।...(व्यवधान)...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Mr. Deputy Chairman, Sir, I respect you. ... (Interruptions)...

डा. अशोक कुमार मित्तल: सर, मेरा पहला प्रश्न इस देश के अन्नदाता, किसानों से संबंधित है। ...(व्यवधान)... जो देश के अन्नदाता हैं, पंजाब के अन्नदाता हैं...(व्यवधान)... किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य था और मंत्री जी ने बताया कि उसमें एमएसपी एक विशेष हिस्सा है।...(व्यवधान)...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: We want discussion...(Interruptions)... You are giving impression outside that...(Interruptions)... This is not good....(Interruptions)...

डा. अशोक कुमार मित्तल: सर, मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि सरकार ने एमएसपी के लिए एक समिति गठित की है, लेकिन उस समिति में पंजाब का कोई रिप्रेज़ेंटेटिव क्यों नहीं है?...(व्यवधान)... पंजाब सरकार का कोई रिप्रेज़ेंटेटिव क्यों नहीं है?...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : धन्यवाद, अशोक जी। आपका सवाल हो गया।...(व्यवधान)... माननीय मंत्री जी, कृपया आप उत्तर दें।...(व्यवधान)...

श्री कैलाश चौधरी: सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके अनुसार इन्होंने एमएसपी को लेकर समिति गठित करने की बात कही है।...(व्यवधान)... हमारे देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी द्वारा जो समिति की बात कही गई थी, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उस कमेटी का गठन कर दिया गया है।...(व्यवधान)... उस कमेटी के अंदर किसानों के प्रतिनिधि भी हैं, राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि हैं, एग्रीकल्चर के एक्सपर्टीज़ भी हैं।...(व्यवधान)...

उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी भी हैं।...(व्यवधान)...यह समिति आने वाले समय में किसानों के लिए एमएसपी में किए जाने वाले सुधारों के संबंध में बताएगी।...(व्यवधान)... इसके साथ ही समिति यह भी सुझाव देगी कि हम देश के किसानों को किस तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की दिशा में आगे बढ़ा सकें।...(व्यवधान)... इस दृष्टि से इस महत्वपूर्ण समिति का गठन किया गया है।...(व्यवधान)... आने वाले समय में किसानों के लिए जो सारे रिफॉर्म्स होने हैं, जिनको लेकर आगे बढ़ना है, उनमें इस महत्पूर्ण समिति का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : डा. अशोक जी, आप संक्षेप में अपना दूसरा सवाल पूछिए।...(व्यवधान)... माननीय सदस्यगण, जो लोग वैल में आ रहे हैं, उनसे मैं यह आग्रह करता हूँ कि वे अपनी सीट्स पर जाएँ।...(व्यवधान)... प्लैकार्ड्स लेकर हाउस के वैल में खड़ा होना नियम के विपरीत है।...(व्यवधान)... Please go back to your seats. ...(Interruptions)... क्वेश्चन ऑवर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको चलने दीजिए।...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।...(व्यवधान)...

डा. अशोक कुमार मित्तल: सर, पंजाब के किसानों की स्थिति चिंताजनक है।...(व्यवधान)... हमारे राज्य के कृषि मंत्री ने केन्द्र सरकार के मंत्री से मुलाकात की और एक पैकेज का आग्रह किया।...(व्यवधान)... मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने उस पैकेज के बारे में क्या सोचा है? ...(व्यवधान)... यह पैकेज बहुत जरूरी है, तािक किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए, स्टबल बर्निंग की समस्या को हल करने के लिए, बॉर्डर एरिया फार्मर्स की समस्या को हल करने के लिए वाटर कंज़र्वेशन टेक्नीक्स की समस्या को हल करने के लिए उसमें उचित प्रावधान किया जा सके।...(व्यवधान)...

श्री कैलाश चौधरी: माननीय उपसभापित महोदय, इन्होंने किसी स्पेसिफिक पैकेज के बारे में नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार किसानों के लिए किमटेड है और उसके ऊपर काम कर रही है।...(व्यवधान)... पूरे देश के अंदर किसानों के लिए कृषि का बजट बढ़ाया गया है और किसानों के लिए 10 हजार एफपीओज़ बनाए जा रहे हैं।...(व्यवधान)... फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज़ेशन्स बनाए जा रहे हैं।...(व्यवधान)... इसके साथ ही राज्य सरकारों के जो कृषि मंत्री हैं, हमने उनके साथ बैठ कर मीटिंग भी की है।...(व्यवधान)... अभी हाल ही में बेंगलुरु में एक अधिवेशन हुआ है, जिसमें हर राज्य के कृषि मंत्री उपस्थित हुए और उन्होंने जो प्रपोज़ल्स दिए, उनके आधार पर कृषि के लिए आगे काम किया जाएगा।...(व्यवधान)...निश्चित रूप से, माननीय सदस्य ने स्पेशियली पंजाब के किसानों के बारे में पूछा है, इसलिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि देश भर में कृषि की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, पंजाब के किसानों को उनके हिस्से के अनुसार उनका जितना लाभ मिलना चाहिए, वह मिल रहा है। ...(व्यवधान)... हालांकि, देखा जाए तो कृषि राज्य का विषय होता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार किसी भी प्रदेश के साथ भेदभाव नहीं करती है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मंत्री जी के रिप्लाई के अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(व्यवधान)... कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(व्यवधान)...

श्री कैलाश चौधरी: महोदय, निश्चित रूप से, मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसानों की इन्कम बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ...(व्यवधान)... चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उसके लिए एक लाख करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया है। ...(व्यवधान)... इसके साथ ही, दस हजार एफपीओज़ बनाए जा रहे हैं। ...(व्यवधान)... इसी तरह से, जहाँ तक फूड प्रोसेसिंग की बात है, उसके लिए किसान खुद का उत्पाद स्थापित करे, खुद की सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाए और खुद वैल्यु एडिशन करके अपनी फसल को बेचे, सरकार इस आधार पर काम कर रही है। ...(व्यवधान)... मुझे इस बात की पूरी संतुष्टि है कि भारत सरकार और हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने किसानों की इन्कम बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा है, हम उसे पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीट्स पर जाएं। ...(व्यवधान)... प्लीज़ आप लोग अपनी सीट्स पर जाएं। ...(व्यवधान)... एक मिनट, एक मिनट। ...(व्यवधान)... संजय जी, एक मिनट। ...(व्यवधान)... प्लीज़, प्लीज़ ...(व्यवधान)... आप कृपया डिक्टेट न करें। ...(व्यवधान)... आप लोग अपनी सीट्स पर जाएं। ...(व्यवधान)... महंगाई के बारे में माननीय सभापति ने क्लियर कर दिया है। ...(व्यवधान)... माननीय सभापति के द्वारा क्लियर करने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। ...(व्यवधान)... प्लीज़, प्लीज़। ...(व्यवधान)...

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: उपसभापित महोदय, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में जंगल हटाकर खेती की जाती है। ...(व्यवधान)... इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा जमीन के पट्टे प्रदान किए जाते हैं। ...(व्यवधान)... इसमें उनकी न्यूनतम आय होती है। ...(व्यवधान)... मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी किसानों की आय बढ़ाने हेतु एग्रोफोरेस्ट्री के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष प्रावधान नियोजित हैं? ...(व्यवधान)...

श्री कैलाश चौधरी: माननीय उपसभापित महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। ...(व्यवधान)... उन्होंने एग्रोफोरेस्ट्री के बारे में पूछा है और स्कीमों के बारे में जानकारी माँगी है। ...(व्यवधान)... मुझ यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एग्रोफोरेस्ट्री में जो बैम्बू है, उसे पहले नहीं लिया गया था, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा निर्णय हुआ कि जो बैम्बू है, उसे एग्रो से हटाकर एग्रीकल्चर में लिया। ...(व्यवधान)... इसे बैम्बू मिशन के तौर पर प्रारंभ किया गया है। ...(व्यवधान)... इसके साथ ही, हर मेड़ पर पेड़ लगे, इस दृष्टि से भी सरकार की स्कीम है, जिसके अंतर्गत किसानों को सहयोग दिया जाता है। ...(व्यवधान)... हमारे यहाँ फॉरेस्ट्स में काफी मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, उनके लिए भी स्पेशल स्कीम चलती है। ...(व्यवधान)... आईसीएआर के द्वारा भी लगातार यह प्रयास किया जाता है कि उस फॉरेस्ट में ऐसी कौन सी क्रॉप है, जिससे किसान को लाभ मिल सकता है। ...(व्यवधान)... इस दृष्टि से लगातार रिसर्च भी की जा रही है। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य ने जिस क्षेत्र की बात की है, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में जहाँ भी ऐसे क्षेत्र हैं, वहाँ किसानों के लिए सरकार निश्चित रूप से

कटिबद्ध है और इस संबंध में काम कर रही है। ...(व्यवधान)... मुझे लगता है कि जो पट्टेदार किसान हैं, उन किसानों को 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' का पैसा भी दिया जा रहा है। ...(व्यवधान)... इसके साथ ही, जो दूसरी स्कीम्स हैं, चाहे वह 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' है, चाहे 'किसान क्रेडिट कार्ड योजना' है, सरकार द्वारा इनका लाभ पट्टेदार किसानों को भी अवेलेबल कराया जा रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : जावेद अली खान साहब। ...(व्यवधान)... केवल आपका सवाल ही रिकॉर्ड पर जाएगा। ...(व्यवधान)... श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य जी। ...(व्यवधान)...

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you very much for allowing me to put this question. ...(Interruptions)... Assam and the North-Eastern Region are the hub for organic cultivation and organic farming. ...(Interruptions)... The hon. Prime Minister has always given importance to organic cultivation in Assam and the North-Eastern Region. ...(Interruptions)... Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister whether the Government of India plans to increase the budgetary allocation for organic cultivation and organic farming in Assam and the North-Eastern Region.

# श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री केलाश चोंधरी: माननीय उपसभापित जी, यह बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग और नैचुरल फार्मिंग की बात की गई है। ...(व्यवधान)... इस विषय को लेकर पूरे देश के अंदर एक चिन्ता भी है कि जिस तरह से पेस्टिसाइड्स और यूरिया डालकर किसान खेती करते हैं, उसका इफेक्ट अन्य व्यक्तियों के ऊपर भी पड़ रहा है। ...(व्यवधान)... हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने नैचुरल फार्मिंग के लिए बजट की अलग से व्यवस्था भी की है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसके अंदर स्कीम भी है। ...(व्यवधान)... जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं, उनको लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत भारत सरकार की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस पूरे एरिया को ऑर्गेनिक ज़ोन घोषित कर दिया जाता है, तािक उन किसानों को ऑर्गेनिक खेती का जो फायदा मिलना चािहए, वह मिलता रहे। ...(व्यवधान)... इसके साथ ही, ऐसे किसानों को लगभग 50 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, जिसमें से 31 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में डायरेक्ट जाते हैं और 19 हज़ार रुपये उनकी ट्रेनिंग आदि के लिए अवेलेबल करवाये जाते हैं। ...(व्यवधान)...

इसी तरह, नैचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसके लिए अभी हमने आईसीएआर के द्वारा एक सेमिनार भी आयोजित करवाया था। ...(व्यवधान)... हमने हमारे साइंटिस्ट्स को भी ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया, तािक नैचुरल फार्मिंग कराई जा सके। ...(व्यवधान)... इसके साथ ही, हमारे आईसीएआर की जो लैंड है, उस लैंड के 25 प्रतिशत के ऊपर यह प्रावधान किया गया है कि वहाँ पर नैचुरल फार्मिंग हो, तािक

किसान वहाँ पर आकर ट्रेनिंग ले सकें। ...(व्यवधान)...इस दृष्टि से, नैचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इस स्कीम के तहत किसानों को 12,000 रुपये भी अवेलेबल कराने का प्रावधान है। ...(व्यवधान)... मुझे लगता है कि ऐसा करने से नैचुरल फार्मिंग का एरिया भी लगातार बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक खेती तथा प्राकृतिक खेती के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है और वे स्कीम का लाभ भी ले रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय डा. डी.पी. वत्स जी।

ले. जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (रिटा.): माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट 22 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर करीब 60 मिलियन यूएस डॉलर हो गया है, ...(व्यवधान)... इसमें कौन-कौन सी कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट की गई हैं? ...(व्यवधान)... क्या सरकार को इस बात का कोई फीडबैक मिला है कि जिन देशों में हमारी कमोडिटीज़ गई हैं, वहाँ उनको पसंद किया गया है या नहीं? ...(व्यवधान)... एक्सपोर्ट इन्क्रीज़ करने के लिए सरकार आगे क्या करना चाहती है? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री कैलाश चौधरी: माननीय उपसभापित महोदय, कृषि के अंदर एक्सपोर्ट जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, उसमें विश्व के दूसरे देशों में भारत के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वे हॉर्टीकल्चर के प्रोडक्ट्स हों या अन्य प्रोडक्ट्स हों, उनके प्रति उनका रुझान बढ़ा है और उनका विश्वास जगा है। ...(व्यवधान)...उसी का परिणाम है कि हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बार लगभग 50 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। ...(व्यवधान)... इसके अंदर ऐसी कई फसलें हैं, जिनकी लिस्ट अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य इसे लेना चाहें, तो वह पूरी लिस्ट मैं उनको अवेलेबल करा दूँगा। ...(व्यवधान)...जिन फसलों का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, उनके लिए सरकार के द्वारा किसानों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी अवेलेबल करवाई जा रही है। ...(व्यवधान)... उसके लिए 'उड़ान योजना' के तहत भी किसानों को सपोर्ट किया जा रहा है और प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, इन सबके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, कृपया संक्षेप में जवाब दें।

श्री कैलाश चौधरी: इसके अलावा, हमारी जो 'एपेडा' एजेंसी है, उसके द्वारा इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाती है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Question Number 62; Dr. Kanimozhi NVN Somu.

#### National Optical Fibre Network in Tamil Nadu

- \*62. DR. KANIMOZHI NVN SOMU: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:
  - (a) the details of the optical fibre cables laid in Tamil Nadu so far under National Optical Fibre Network (NOFN) project along with the total cost of project and the funds allocated;
  - (b) the details of the number of Gram Panchayats in Tamil Nadu that have been connected with broadband and Wi-Fi hotspots so far under the said project; and
  - (c) the reasons for a number of Gram Panchayats not being connected to the said services in Tamil Nadu under the said project so far?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI ASHWINI VAISHNAW): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

#### Statement

- (a) BharatNet project is implemented in a phased manner to provide broadband connectivity to all Gram Panchayats (GPs) of the country, including Tamil Nadu. In Tamil Nadu, around 173 km of OFC has been laid under BharatNet project till 07.07.2022. The approved cost of the project is Rs. 1815.31 crore, and about Rs. 235.11 crore has been released.
- (b) and (c) Phase-I of BharatNet was not taken up in Tamil Nadu as the State Government signed the Memorandum of Understanding (MoU) only on 31.03.2017 for implementation of BharatNet project with Universal Service Obligation Fund (USOF) and Bharat Broadband Network Limited (BBNL). BharatNet Phase-II in Tamil Nadu is being implemented by the State Government under State-led model covering all GPs of the State.

The Phase-II project also got delayed, as the first tender floated in December 2019 was cancelled. The second tender was floated in October, 2020 under four packages. But Work order could be awarded for only two packages till October 2021 as the other two packages went under litigation. Subsequently, after disposal of pending litigation, the work of remaining two packages has also been awarded on 30.03.2022 and 27.05.2022.

The infrastructure created under BharatNet project is a national asset, accessible on a non-discriminatory basis to the Service Providers, and the same can

be utilized to provide broadband services, such as Wi-Fi Hotspots, Fibre to the Home (FTTH) connections, leased lines, dark fibre, backhaul to mobile towers, etc.

So far, no GP in Tamil Nadu has been made Service Ready. As the project is being implemented under State-led model, the State Government is responsible for its utilization also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Kanimozhi NVN Somu. ... (Interruptions)... Please. ... (Interruptions)... Put your first supplementary. ... (Interruptions)...

DR. KANIMOZHI NVN SOMU: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Union Government has received any complaint against the then AIADMK-led Government in Tamil Nadu regarding a deliberate attempt to change the tender documents to suit specific companies in spite of two top IAS officers refusing to sign and accept the changes made in the tender documents. ...(Interruptions)... If so, was any legal action taken against those who were responsible for inordinate delay in execution of the BharatNet Project in Tamil Nadu?...(Interruptions)...

Sir, my next question is ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Only one question at a time. ... (Interruptions)...

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Hon. Deputy Chairman, Sir ... (Interruptions)...

श्री उपसभापति : मेम्बर्स सवाल पूछ रहे हैं, ...(व्यवधान)... कृपया उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट न करें, न ही उनका चेहरा कवर करें। ...(व्यवधान)... उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं।

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Hon. Deputy Chairman, Sir, the BharatNet Project is being implemented by the State Government in Tamil Nadu. ...(Interruptions)... So, there are about eight States in which the State Governments wanted to implement the project as per their own protocol. ...(Interruptions)... Tamil Nadu was one of them. ...(Interruptions)... As per one MoU, this entire responsibility was given to the Government of Tamil Nadu how they implement it, and they have to devise their own way. ...(Interruptions)... If there is any problem regarding any particular tender...(Interruptions)... terms and conditions, that is up to the State Government to decide those terms and conditions and they can take their action against any particular officer if they find any officer guilty of this. ...(Interruptions)... It is within their jurisdiction to take the action. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Second supplementary, please. ... (Interruptions)...

DR. KANIMOZHI NVN SOMU: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Union Government has issued any strict orders for the inordinate delay due to the irregularities during the previous AIADMK Government in Tamil Nadu. ... (Interruptions)... Why did the Union Government silently witness the wrongdoings of the erstwhile AIADMK-led Government in Tamil Nadu with regard the BharatNet Project which is very important for the development of the people in the rural areas in Tamil Nadu? ... (Interruptions)...

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, we are a federal Government. ... (Interruptions)... Our Constitution fits us in a federal structure in which if any State Government wants to execute a particular programme, they can decide how to do it, how to decide the terms and conditions and how to execute it. ... (Interruptions)... It is a structure in which the State has taken the prominence. ... (Interruptions)... If there is any particular action which needs to be taken, the State Government has to take the action. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no other supplementary on this question! ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No.63.

# Modernisation of railway stations in Rajasthan

\*63. SHRI NEERAJ DANGI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) the funds allocated for modernisation of railway stations particularly in backward and rural areas of Rajasthan during the last three years and the current year;
- (b) the number of railway stations targeted for modernisation in Rajasthan;
- (c) the funds likely to be spent separately at each and every railway station; and
- (d) the targets set for modernisation of railway stations where work is in progress?

-

<sup>†</sup> Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI ASHWINI VAISHNAW): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

### Statement

(a) to (d) The allocation/expenditure on works of modernization/upgradation/augmentation of railway stations is generally funded under Plan Head—53 'Customer Amenities'. The details of allocation and expenditure for development/modernisation and maintenance of stations are maintained Zonal Railway-wise and not State-wise or station-wise. There are 05 railway zones, namely, Western Railway, North Central Railway, North Western Railway, Northern Railway and West Central Railway, which cater to the State of Rajasthan. The amount of funds allocated and expenditure incurred in these 05 zones under Plan Head-53 'Customer Amenities', during the last three years and current year and expenditure likely to be incurred in the current year are as under:-

(Rs. in crore)

	2019-20		2020-2	1	2021-22		2022-23	
Zonal Railway	Allo- cation	Expen d-iture	Allo- cation	Expend -iture	Allo- cation	Expend- iture	Allo- cation	Expend- iture (till June, 2022)
Western Railway	254.45	254.62	252.01	318.04	261.00	255.77	311.62	35.92
North Central Railway	65.30	77.65	182.94	163.41	134.81	118.82	147.57	27.65
North Western Railway	120.22	117.74	159.59	126.40	67.51	51.39	115.79	4.87
Northern Railway	150.77	152.31	268.37	247.25	217.71	221.68	235.37	30.59
West Central Railway	37.39	34.10	50.94	46.08	66.00	49.93	77.32	10.74

In the state of Rajasthan, 40 stations have been identified for development under the Adarsh Station Scheme. Out of these, 39 stations have been upgraded/developed under this scheme. The remaining 01 station namely Dakaniya Talav is now identified for redevelopment under Major Upgradation Scheme. In addition, Kota, Jaipur, Gandhinagar Jaipur, Udaipur City, Jodhpur and Jaisalmer also identified under Major Upgradation of station Scheme. Apart from the above, 4 more stations viz. Bikaner, Pali Marwar, Ajmer and Abu-Road have been identified for conducting techno-economic feasibility studies, based on the outcome of these studies, the stations will be taken up for development in phases.

Station redevelopment works are complex in nature and require detailed techno-financial feasibility studies and also involve statutory clearances from various departments including urban/local bodies. As such, no time-frame can be indicated at this stage.

श्री उपसभापित : प्लीज़ आप सीट पर जाएं। नीरज डांगी जी, आप सवाल नहीं पूछना चाहते हैं! ...(व्यवधान)... यह आपका सवाल है, आप इस पर दो सप्लीमेंटरी पूछ सकते हैं। ...(व्यवधान)... आप वैल में खड़े हैं, ...(व्यवधान)... मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपनी सीट पर जाइए और अपने कलीग्स से आग्रह कीजिए कि वे आपको सवाल पूछने दें। ...(व्यवधान)... सवाल पूछना आपका अधिकार है। ...(व्यवधान)... माननीय नरेश बंसल जी। ...(व्यवधान)...

श्री नरेश बंसल: माननीय उपसभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड में रेलवे स्टेशंस के आधुनिकीकरण की क्या स्थिति है और वे कौन से कारण हैं, ...(व्यवधान)... जिनके कारण उत्तराखंड रेलवे स्टेशंस पर समय से आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है? ...(व्यवधान)...

श्री अश्वनी वैष्णव : उपसभापति महोदय, यह प्रश्न राजस्थान के स्टेशंस के बारे में है, ...(व्यवधान)... लेकिन माननीय सदस्य ने उत्तराखंड के रेलवे स्टेशंस के बारे में पूछा है। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य कभी भी साथ में बैठकर अलग से चर्चा कर सकते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मनोज कुमार झा जी, यह प्रश्न राजस्थान रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइज़ेशन के बारे में है। ...(व्यवधान)... Please put your question. ...(व्यवधान)... आप सवाल पूछिए। ...(व्यवधान)...

प्रो. मनोज कुमार झा: माननीय उपसभापित महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि यह जो सीनियर सिटिज़ंस के रियायती टिकट्स खत्म कर दिए गए हैं, ...(व्यवधान)... इस प्रकार का प्रहार रोकने की कोई कोशिश क्यों नहीं हो रही है? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : प्रश्न राजस्थान रेलवे मॉडर्नाइज़ेशन पर है, ...(व्यवधान)... लेकिन यदि माननीय मंत्री जी चाहें तो जवाब दे सकते हैं। ...(व्यवधान)... यह उन पर निर्भर है। ...(व्यवधान)... श्री जुगलिसंह लोखंडवाला। ...(व्यवधान)...

श्री जुगलिसंह लोखंडवाला : माननीय मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरह राजस्थान के अंदर ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आपका प्रश्न राजस्थान से संबंधित होना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री जुगलिसंह लोखंडवाला: महोदय, राजस्थान से संबंधित ही है। गुजरात के बॉर्डर के पास वाला ही है। ...(व्यवधान)... वह ट्रेन वहां से जाती है, इसीलिए पूछ रहा हूं। आधा स्टेशन गुजरात के अंदर ...(व्यवधान)... कितना बनाया गया है? मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री अश्वनी वैष्णव : उपसभापित महोदय, माननीय सदस्य का सवाल राजस्थान स्टेशन से संबंधित है।...(व्यवधान)...जिस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों की जानकारी में लाना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने यहां के सभी स्टेशन्स के विकास के लिए बहुत बड़ी योजना शुरू की है।...(व्यवधान)... सभी ने यह देखा है कि आज करीब-करीब देश भर में सभी स्टेशन्स पहले से साफ-सुथरे हैं, पहले से बेहतर कंडिशन में हैं और तीन स्टेशन्स का बड़े योजनाबद्ध तरीके से मॉडर्नाइज़ेशन किया गया है।...(व्यवधान)... गांधी नगर कैपिटल, एम. विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल, रानी कमलापित स्टेशन, भोपाल इन तीनों स्टेशन्स से जो लिनंग्स आई हैं, उसके बाद बड़े स्केल पर रेलवे स्टेशन्स का मॉडर्नाइज़ेशन, रीडेवलपमेंट हो रहा है।...(व्यवधान)...

उपसभापित महोदय, आपको यह जानकर खुशी होगी कि ऐज़ ऑन टुडे, 46 स्टेशन्स के टेंडर रीडेवलपमेंट के लिए इनवाइट हो चुके हैं।...(व्यवधान)... 5 स्टेशनों पर फील्ड में काम चालू हो गया है और बड़े पैमाने पर स्टेशन्स के रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है।...(व्यवधान)... इसके साथ ही साथ 386 स्टेशन्स की मास्टर-प्लानिंग का काम चल रहा है।...(व्यवधान)... माननीय प्रधान मंत्री जी का विज़न यह है कि स्टेशन सिटी का सेंटर बने।...(व्यवधान)... सिटी की जो लाइफ है, सिटी की जो इकोनॉमी है, उसका एक सेंट्रल हब बने।...(व्यवधान)... जहां स्टेशन के दोनों तरफ शहर डेवलप हुए हैं, वहां पर शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने का माध्यम बने।...(व्यवधान)... इस भावना के साथ बहुत ही अच्छे डिज़ाइन से हरेक रीडेवलप्ड स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक रूफ प्लाज़ा बन रहा है...(व्यवधान)...जिससे कि शहर के अंदर एक नया कमिशयल स्पेस, एक नया लिविंग स्पेस क्रिएट होता है।...(व्यवधान)...उस पूरी भावना के साथ स्टेशन्स का रीडेवलपमेंट चल रहा है।...(व्यवधान)... जिन भी माननीय सदस्यों को अपने-अपने राज्यों के बारे में कोई जिज्ञासा हो, वे मेरे कार्यालय में आकर मुझसे मिल सकते हैं।...(व्यवधान)... मैं उनको उनके राज्यों के विषय के बारे में जानकारी दे दूंगा।...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति** : क्वेश्चन नंबर 64, माननीय नरेश बंसल जी।

## Measures to increase export of products

- \*64. SHRI NARESH BANSAL: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:
  - (a) whether Government has taken measures to increase the export of products;
  - (b) if so, the details of the quantity and value of item-wise exports for the last three years; and
  - (c) the various remedial steps taken by Government to facilitate easy exports and the total amount allocated, disbursed and utilized for the same in the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA SINGH PATEL): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

#### Statement

- (a) Government has proactively taken a number of steps to boost exports from the country. Some of the major steps taken, since 2014, are as follows:
  - i. A new Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20 was launched on 1<sup>st</sup> April 2015 which is valid till 30.09.2022. The policy, inter alia, rationalised the earlier export promotion schemes and introduced several measures to promote exports.
  - ii. The mid-term review (2017) of the Foreign Trade Policy (2015-20) was carried out and corrective measures were undertaken.
  - iii. The Government concluded FTAs with UAE, Australia and Mauritius to gain greater market access to these countries.
  - iv. A new Logistics Division was created for integrated development of the logistics sector to bring down the cost of logistics in India.
  - V. Interest Equalization Scheme on pre and post shipment rupee export credit was introduced from 1.4.2015 to provide cheaper credit to exporters. It has been further extended till 31.3.2024. Under this Scheme Rs.16, 427 crore have been released to the exporters since inception of the scheme.
  - vi. The Government started implementing a NiryatBandhu Scheme with an objective to reach out to the new and potential exporters including

- exporters from Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) and mentor them through orientation programmes, counselling sessions, individual facilitation, etc., on various aspects of foreign trade for enabling them to get into international trade and boost exports from India.
- Market Access Initiative (MAI) Scheme envisages product-focus country approach to evolve specific market and specific product through market studies/survey. Assistance is provided to Export Promotion Organizations/Trade Promotion Organizations/ National Level Institutions/ Research Institutions/ Universities/ Laboratories, Exporters etc., for enhancement of exports through accessing new markets or through increasing the share in the existing markets.
- viii. Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) is operational from FY 2017-18 with the objective of assisting Central and State Government agencies for creation of appropriate infrastructure for growth of exports.
- ix. Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) scheme has been implemented since 01.01.2021. Rebate of State and Central Levies and Taxes (RoSCTL) Scheme to promote labour oriented textile exports has been implemented since 07.03.2019.
- x. Common Digital Platform for Certificate of Origin has been launched to facilitate trade and increase Free Trade Agreement (FTA) utilization by exporters.
- xi. 12 Champion Services Sectors have been identified for promoting and diversifying services exports by pursuing specific action plans.
- xii. Districts as Export Hubs' (DEH) Initiative under which products and services with export potential have been identified in all districts of the country. An institutional mechanism has been set up in each District in the form of District Export Promotion Committees (DEPCs). The primary function of the DEPC is to prepare and act on District Specific Export Action Plans in collaboration with all the relevant stakeholders from the Centre, State and District levels. A new scheme to provide financial assistance to selected districts has also been prepared.
- xiii. EPCs, Commodity Boards and India's mission abroad are also actively promoting India's trade, tourism, technology and investment goals.
- xiv. To match the growing expectations of trading community, DGFT has initiated the process of revamping its present ICT ecosystem to move to a large extent paperless, seamless interface with all its stakeholders.

- (b) The details of the quantity and value of item-wise exports for the last three years is at Annexure I.
- (c) In order to facilitate ease of exports, different schemes are run by Department of Commerce /DGFT for the exporters and the amount allocated and disbursed /utilized under these Schemes is at Annexure II.

Further, for ease of exports, DGFT has undertaken a series of technology-driven interventions to revamp its IT systems. The new DGFT IT Systems facilitate two-way online communication & processing, e-verification of the authenticity of documents and provide importers/exporters a paperless, contact-less, transparent interface.

Annexure-I

The details of India's export for major products during last three years:

(Value in US\$ million)

S. N.	Major Products	2019-20	2020-21	2021-22
1	Engineering Goods	78704.4	76719.6	112094.5
2	Petroleum Products	41288.7	25804.4	67467.8
3	Gems AndJewellery	35898.5	26022.8	39099.1
4	Organic & Inorganic Chemical	22082.8	22088.5	29364.6
5	Drugs And Pharmaceuticals	20703.5	24444	24605.6
6	Electronic Goods	11700.6	11093.3	15660.2
7	Rmg Of All Textiles	15488.1	12272.2	16016
	Cotton Yarn/Fabs./Madeups, Handloom	10027.7	9827.9	15297.4
8	Products Etc.	10027.7	9027.9	10297.4
9	Rice	6403.2	8829.2	9664.9
10	Plastic And Linoleum	7551 <b>.</b> 6	7462.9	9824.4
11	Marine Products	6722.1	5962.4	7772.4
	Mica, Coal And Other Ores, Minerals Including	3948.4	4331.8	5189.3
12	Process	3940.4	4331.0	3109.3
13	Man-Made Yarn/Fabs./Madeupsetc	4821.4	3806.3	5614.1
14	Leather And Leather Manufactures	4658.5	3301.4	4381.4
15	Meat, Dairy And Poultry Products	3714.3	3658	4140.8
16	Ceramic Products And Glassware	2870.7	3050.6	3464.8
17	Spices	3621.4	3984	3929.9
18	Cereal Preparations And Miscellaneous Processed	1527	1859.9	2280.5
19	Fruits And Vegetables	2380.5	2612.8	2882.3
20	Iron Ore	2625	4896.5	3241.2

21	Carpet	1373.3	1491.4	1789.9
22	Handicrafts Excl. Hand Made Carpet	1797.9	1707.5	2088.4
23	Oil Meals	827.9	1585	1031.7
24	Coffee	738.9	719.7	1020.7
25	Other Cereals	205.2	705.4	1085.1
26	Oil Seeds	1318.1	1235.7	1113.7
27	Tobacco	905.2	876.7	923.4
28	Tea	826.5	756.3	750.7
29	Jute Mfg. Including Floor Covering	342.6	371 <b>.</b> 3	507.6
30	Cashew	566.8	420.4	453.1
31	Others	17720.6	19910.8	29139
India's Total Export		313361	291808.5	421894.3

Source: DGCI&S

Note: Due to different units of measurements of quantity within a QE group, the quantities are non-additive, hence, cannot be provided

[ 22 July, 2022 ] 43

Amount allocated and disbursed / utilized under various Schemes

Annexure -II

	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
							(Rs in Crores)	
	Allocation	Utilization	Allocation	Utilization	Allocation	Utilization	Allocation	Utilization
								(April-
								June,
								2022)
MEIS*	-	39046	-	14405	29599	24758	3289	252
SEIS*	-	7114	-	4740	6001	4034	4001	917
	Ongoing Scl	hemes						
RoDTEP	-		3114	2675	12454	12097	13699	3235
RoSCTL	-	3496	1737 <b>**</b>	8755 <b>***</b>	10495	9009	7641	2103
IES	2890	2890	1667	1667	3488	3488	2621	1682
TIES	65	65	60	60	75	75	71	00
MAI	325	325	171	171	140	140	200	10
Revamping	16	16	16	16	15	15	0.25	0.25
IT systems								
of DGFT								

<sup>\*</sup> Schemes are no more in operation.

<sup>\*\*</sup> This allocation was only for January, 2021 to March, 2021

<sup>\*\*\*</sup> This utilization includes scrips issued by DGFT for the period April, 2020 to December, 2020 for which no budgetary allocation was made.

श्री नरेश बंसल: उपसभापित महोदय, मैं सबसे पहले अपने कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी को बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट टारगेट क्रॉस किया गया है।...(व्यवधान)... मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस निर्यात में उत्तराखंड फार्मा, ऑटोमोबाइल इसका हब है।...(व्यवधान)... फार्मा, एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल का उस निर्यात में क्या योगदान है और उसको बढाने के लिए सरकार की क्या नीति है?

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल: उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहती हूं कि आज हमारा देश ट्रेड और कॉमर्स में एक्सपोर्ट की दृष्टि से बहुत बेहतर दौर से गुजर रहा है।...(व्यवधान)... हमारा २०२१-२२ में मर्चेन्डाइज़ एक्सपोर्ट रहा या सर्विसेज़ एक्सपोर्ट रहा, वह रिकॉर्ड हाई परफॉर्मेंस रहा।...(व्यवधान)... हमारा मर्चेन्डाइज़ एक्सपोर्ट करीब 422 बिलियन डॉलर का रहा और हमारा सर्विसेज़ एक्सपोर्ट 254 बिलियन डॉलर का रहा।...(व्यवधान)... यानी कुल मिलाकर सर्विसेज़ और मर्चेन्डाइज़ एक्सपोर्ट 675 बिलियन डॉलर का रहा।...(व्यवधान)... इस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन हो रही है।...(व्यवधान)... ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स सेक्टर हमारे मर्चेन्डाइज़ एक्सपोर्ट में एक बहुत मेजर सेक्टर है और 2021-22 में ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स का एक्सपोर्ट लगभग 24,605 मिलियन डॉलर रहा है।...(व्यवधान)... So, this is one of the major products for exports. जहां तक माननीय सदस्य ने उत्तराखंड की बात की है, यह एक ऐसा राज्य है, जहां लगभग 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां फार्मास्युटिकल्स या इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टस की इन्होंने बात की, तो काफी तादाद में उनका प्रोडक्शन होता है।...(व्यवधान)...इसके लिए हमारी सरकार ने एक नई पहल की है, जिसका आह्वान माननीय प्रधान मंत्री ने किया।...(व्यवधान)... 'Districts as Export Hubs' यानी देश के कोने-कोने में हर जिले के अंदर जो उसकी यूनिक स्पेशिएलिटी है, ...(व्यवधान)... जो एक अलग किस्म का प्रोडक्ट या उसकी स्पेशिएलिटी है, ...(व्यवधान)... उसको एक्सपोर्ट की दृष्टि से प्रमोट करने के लिए हम हर जिले को निर्यात केन्द्र बनाने की पहल कर रहे हैं।...(व्यवधान)... माननीय सदस्य के राज्य उत्तराखंड में भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी कोशिश यह है कि हम डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब को डेवलप करें।...(व्यवधान)...उसमें डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बनाएं, जिसका एक डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्लान बनाया जा रहा है।...(व्यवधान)... जो भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाले प्रोड्क्टस हैं, उनको चिन्हित करके उनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।...(व्यवधान)...

श्री नरेश बंसल: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार की दो स्कीम्स थीं - एमईआईएस और एसईआईएस, जो अब बंद हो गई हैं। ...(व्यवधान)... इसके अंतर्गत इंडस्ट्री के जो पुराने क्लेम्स हैं, क्या उनका सेटलमेंट हो गया है और यदि नहीं हुआ है, तो कब तक हो जाएगा?

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल: उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं ...(व्यवधान)... हमारी जो पुरानी लीगेसी स्कीम्स थीं, जिनमें अनेक स्कीम्स थीं, एमईआईएस भी थी और एसईआईएस भी थी। ...(व्यवधान)...इसके अलावा Roscil, टारगेट

प्लस जैसी तमाम स्कीम्स थीं। इनके ड्यूज़ को सेटल करने के लिए सरकार ने 56,027 करोड़ की योजना फाइनेंशिएल ईयर 2021-22 के लिए की थी। ...(व्यवधान)...इन सभी स्कीम्स का ब्रेक-अप था, जैसे हमारी एमईआईएस स्कीम के लिए एलोकेशन 33,010 करोड़ का था, एसईआईएस के लिए 10,002 करोड़ का था, RoSCTL के लिए 5,286 करोड़ का था। ...(व्यवधान)... इस तरीके से हमारी तमाम स्कीम्स का सेटलमेंट इस 56,027 करोड़ ...(व्यवधान)... फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए सरकार ने 9,304.3 करोड़ का प्रावधान पुराने क्लेम्स के सेटलमेंट के लिए कर दिया है।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा : उपसभापित महोदय, मैं माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके टेन्योर में एक्सपोर्ट बढ़ा है।...(व्यवधान)...मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नॉर्थ-ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लंदन, फ्रांस, दुबई, जर्मनी में ...(व्यवधान)... वेजिटेबल्स ज्यादा एक्सपोर्ट होती हैं। ...(व्यवधान)...इसमें एक्सपोर्ट्स दो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...यहां पर लेबोरेटरी नहीं है। लेबोरेटरी के लिए दिल्ली और ...(व्यवधान)... दूसरी जगह में आना पड़ता है, जो बहुत जरूरी है। ...(व्यवधान)... इसके निर्यात चार्जेज़ बहुत ज्यादा हैं। क्या मिनिस्ट्री ने लेबोरेटरी स्थापित करने के लिए कुछ सोचा है? ...(व्यवधान)...दूसरा है कि कैरीइंग कॉस्ट को, फ्रेट को रिड्यूस करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की है? ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल : उपसभापति महोदय, इतना शोर हो रहा है कि सुनने में बहुत दिक्कत हो रही है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड में जा रही है। सवाल और जवाब ही रिकॉर्ड में जा रहे हैं।

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल: माननीय सदस्य ने लेबोरेटरीज़ के लिए एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से सवाल पूछा है। ...(व्यवधान)... मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि जो हमारा इनिशिएटिव है - डिस्ट्रिक्ट ऐज़ एक्सपोर्ट हब ...(व्यवधान)... उसके तहत जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान बनेगा, उसमें कन्सल्टेशन के ज़रिए यह तय किया जाएगा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के रास्ते में कौन सी अड़चनें हैं या किस किस्म के एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। ...(व्यवधान)... हमारे डिपार्टमेंट की एक स्कीम है ...(व्यवधान)... इस स्कीम के तहत तमाम राज्यों को और जो नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको खास तौर से और हिमालयन स्टेट्स को ...(व्यवधान)... हम इस स्कीम के तहत इसकी फाइनेंशियल ग्रांट-इन-एड की जो सीलिंग है, वह बीस करोड़ तक है, लेकिन इसका 80 परसेंट तक का हम सपोर्ट करते हैं, तािक किसी भी प्रकार का, जैसे आपने टैस्टिंग लेबोरेटरी के बारे में जिक्र किया है ...(व्यवधान)... एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की दृष्टि से इन्फ्रास्ट्रक्चर को उस डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत आइडेंटिफाई करके उसका निर्माण कराया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: माननीय उपसभापित जी, माननीय मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया है, उसमें स्पष्ट है कि देश में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है। ...(व्यवधान)... मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार कोई इन्सेन्टिव देने पर का विचार कर रही है, जिससे देश में उत्पादन करने वाले हमारे करोड़ों किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके?

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल: माननीय उपसभापित महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहती हूं कि हमारी सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी के तहत, जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। जिस जनपद से माननीय सदस्य आते हैं ...(व्यवधान)... जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वे जिस जनपद से आते हैं, उस जनपद के अंदर भी जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान तैयार किया जाएगा, ...(व्यवधान)... उसमें किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, जो तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, उन्हें इस प्लान के तहत शामिल किया जाएगा। ...(व्यवधान)...

श्री सुशील कुमार मोदी: उपसभापित महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो रुपये का डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसका एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ...(व्यवधान)... क्योंकि रिकॉर्ड 400 बिलयन से ज्यादा डॉलर के एक्सपोर्ट के बाद जो पहला क्वार्टर इस साल का है, इसमें लगातार मॉडरेशन हो रहा है, इसमें एक्सपोर्ट के अंदर गिरावट आ रही है। ...(व्यवधान)... जो 30.7 परसेंट था, वह गिरकर जून में 16.8 परसेंट हो गया। ...(व्यवधान)... जो ट्रेड डेफिसिट है, वह भी फर्स्ट क्वार्टर में 17.6 बिलयन डॉलर तक पहुंच गया। ...(व्यवधान)... इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फर्स्ट क्वार्टर में, जो एक्सपोर्ट में गिरावट आ रही है और ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, तो रुपये के डेप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल: सर, पहले तो मैं माननीय सदस्य जी से कहना चाहती हूं कि भारत के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं और इम्पोर्ट्स भी बढ़े हैं। ...(व्यवधान)... और जो डेफिसिट है, उससे मैं इन्कार नहीं कर रही हूं। ...(व्यवधान)... लेकिन जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, वह धीरे-धीरे कम भी होगा। ...(व्यवधान)... Import is not always a bad thing. हमें इम्पोर्ट इसलिए भी चाहिए होता है, क्योंकि इम्पोर्ट के माध्यम से हमें बहुत सारा रॉ-मैटिरियल और बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट्स मिलते हैं, जो अल्टीमेटली हमारे एक्सपोर्ट में काम आते हैं। ...(व्यवधान)... जहां तक करेंसी का प्रश्न है, मुझे लगता है कि this is a broader issue which the Ministry of Finance is already taking care of.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Q. No. 65, hon. Tiruchi Siva; not present.

<sup>\*65. [</sup>The questioner was not present.]

# Cold storage facilities in Tamil Nadu

- \*65. SHRI TIRUCHI SIVA: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:
  - (a) whether Government has analyzed the problems of farmers related to the lack of cold storage in the country;
  - (b) if so, the details thereof;
  - (c) whether government proposes to increase the number of cold storages in the State of Tamil Nadu;
  - (d) if so, the details thereof; and
  - (e) whether districts in Tamil Nadu have been identified and funds allocated for the said purpose and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

### Statement

(a) and (b) A study "All India Cold-chain Infrastructure Capacity (AICIC-2015)" was conducted by NABARD Consultancy Services (NABCONS) in 2015 and it assessed the required capacity of cold storages at that time as 351.00 lakh MT against the existing capacity of 318.23 lakh MT in 2014.

As per available information, there are 8361 cold storages in the country with the capacity of 381.10 lakh MT as on date. The State-wise details are at **Annexure-I**.

(c) and (d) Government of India is implementing various schemes to increase the number of cold storage facility throughout the country including Tamil Nadu under which financial assistance is provided for setting up of cold storages.

Department of Agriculture & Farmers Welfare is implementing Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) under which financial assistance is provided for various horticulture activities including setting up of cold storages. The component is demand/entrepreneur driven for which Government assistance in the form of credit linked back ended subsidy is available at the rate of 35% of the project cost in general areas and 50% of the project cost in hilly and scheduled areas.

Besides, National Horticulture Board (NHB) is implementing a scheme namely "Capital Investment Subsidy for Construction/Expansion /Modernization of Cold

Storages and Storages for Horticulture Products". Under the scheme, credit linked back-ended subsidy at the rate of 35% of the capital cost of the project in general areas and 50% in case of North East, hilly & scheduled areas for construction/expansion/modernization of cold storage and Controlled Atmosphere (CA) storage of capacity above 5000 MT and up to 10000 MT is available. In case of North East region, the units with capacity above 1000 MT are also eligible for assistance.

Ministry of Food Processing Industries (MOFPI) is implementing a Scheme for Integrated Cold Chain, Value Addition and Preservation Infrastructure as one of the component of Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana with the objective of reducing post-harvest losses of horticulture and non-horticulture produce and providing remunerative price to farmers for their produce. Under the scheme, Ministry provides financial assistance in the form of grant-in-aid at the rate of 35% for general areas and 50% for North East and Himalayan States, ITDP areas and Islands for storage and transport infrastructure and at the rate of 50% and 75% respectively for value addition and processing infrastructure subject to a maximum grant-in-aid of Rs. 10 crore per project for setting up integrated cold chain projects including irradiation facility. Standalone cold storages are not covered under the Scheme.

Further, to strengthen agriculture infrastructure in the country, Government has launched Agriculture Infrastructure Funds (AIF) of Rs. 1.00 lakh crore. Under AIF, there is provision for collateral free term loan upto Rs. 2.00 crore and interest subvention of 3% on the term loan availed for creation of post harvest infrastructure including establishment of cold storages.

(e) Under MIDH scheme, the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare allocates funds to State Horticulture Mission (SHM). The SHM in turn allocate funds to the Districts based upon the approved Annual Action Plan. District level details of the funds allocated, released and utilized are maintained at State level.

As per available information, there are 187 cold storages with capacity of 3.95 lakh MT established under various schemes of Government of India in the State of Tamil Nadu.

Annexure-I
State wise distribution of Cold Storages as on 18.07.2022 in the Country

S. No.	Name of the State	Total		
		No.	Capacity (MT)	
1	Andaman & Nicobar Islands (UT)	4	2210	
2	Andhra Pradesh &Telangana	442	1703321	
3	Arunachal Pradesh	2	6000	

4	Assam	41	197096
5	Bihar	312	1475667
6	Chandigarh (UT)	7	12462
7	Chhattisgarh	99	487263
8	Delhi	97	129857
9	Goa	29	7705
10	Gujarat	985	3869543
11	Haryana	370	846588
12	Himachal Pradesh	81	167312
13	Jammu & Kashmir	72	263853
14	Jharkhand	58	236680
15	Karnataka	229	694991
16	Kerala	201	96405
17	Lakshadweep (UT)	1	15
18	Madhya Pradesh	309	1331532
19	Maharashtra	627	1043182
20	Manipur	2	4500
21	Meghalaya	4	8200
22	Mizoram	3	4071
23	Nagaland	5	8150
24	Orissa	181	576688
25	Pondicherry (UT)	3	85
26	Punjab	726	2451501
27	Rajasthan	187	631569
28	Sikkim	2	2100
29	Tamil Nadu	187	395940
30	Telangana	74	411518
31	Tripura	17	51140
32	Uttar Pradesh	2429	14836735
33	Uttrakhand	60	206621
34	West Bengal	515	5948316
	Total	8361	38108816

(Source: Directorate of Marketing and Inspection (DMI) upto 2009, National Horticulture Board (NHB), National Horticulture Mission (NHM), Horticulture Mission for North East & Himalayan States (HMNEH)) and MoFPI

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Any supplementaries?

SHRI G.K. VASAN: Sir, in this House, I am talking as a proud farmer. The farmer community is the backbone of India. In Tamil, we say, only if the farmers keep their leg in the clay soil, can we keep our hand in the food. ...(Interruptions)... That is a saying in Tamil, Sir. I would like to say to the hon. Minister that there are lakhs and lakhs of farmers in Tamil Nadu cultivating various types of crops. ...(Interruptions)... The need of the hour for the State, for their better livelihood, is definitely cold storages. Today, there are 187 cold storages with a capacity of only 3.95 lakh metric tons. In the 2015 survey of NABARD, ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, be brief. ...(Interruptions)...

SHRI G.K. VASAN: I would like to request the hon. Minister...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to put the question, Vasan ji. ...(Interruptions)...

SHRI G.K. VASAN: A new survey has to be done in the interest of the State of Tamil Nadu. ...(Interruptions)...

श्री उपसभापतिः आप किसी माननीय सदस्य को बोलने से रोक नहीं सकते। ...(व्यवधान)...

SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE: In 2015, there was a survey conducted by NABCONS to assess the required capacity of cold storages in the country. As per the survey, there was a demand for the cold storages. ... (Interruptions)... The Government of India, in the last five years, has encouraged setting up of cold storages in the country. ...(Interruptions)... That is why the capacity has been increased ... (Interruptions)... In 2014, the capacity was 318 lakh metric tonnes only. It has now been increased to 381 lakh metric tonnes in 2022. ... (Interruptions)... 8,361 cold storages have been set up around the country. The Government of India, under the leadership of Modi ji, has set up Agriculture Infrastructure Fund. Also, under the MIDH scheme and Rashtriya Krishi Vikas Yojana, any State can plan for their development in the State. डिस्ट्रिक्ट को क्या चाहिए, डिस्ट्रिक्ट की आवश्यकता के आधार पर ... (व्यवधान) ... Any district can plan for cold storage, warehouses, etc. ...(Interruptions)... They can plan for their district. ...(Interruptions)... There is a provision in the Agriculture Infrastructure Fund. ... (Interruptions)... There is the MIDH scheme. ... (Interruptions)... That is why, States should make use of this fund and plan for the districts. ...(Interruptions)... हम स्वतंत्रता दे रहे हैं। ...(व्यवधान)... We are giving independence to the States. ... (Interruptions)... They can plan for their districts. ...(Interruptions)... डिस्ट्रिक्ट की,...(व्यवधान)...जिले की आवश्यकता क्या है?

...(व्यवधान)...जिले की आवश्यकता के आधार पर वे प्लान कर सकते हैं।...(व्यवधान)...सर, यह इंडिपेंडेंस राज्यों को है। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Kanakamedala Ravindra Kumar. ...(Interruptions)... This question relates to Tamil Nadu. ...(Interruptions)... जो माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देना चाहते हैं...(व्यवधान)...या पीछे जा कर प्लैकार्ड्स दिखा रहे हैं,...(व्यवधान)...यह गलत है। ...(व्यवधान)...कृपया अपनी सीट पर जाएं। ...(व्यवधान)... Shri Kanakamedala Ravindra Kumar. ...(Interruptions)...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, to strengthen the agriculture infrastructure in the country, the Government has launched the Agriculture Infrastructure Fund....(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This question relates to Tamil Nadu. ... (Interruptions)...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Yes, Sir. ...(Interruptions)... Sir, the first part of the question relates to the country. ...(Interruptions)... I am asking about the country. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is about Tamil Nadu. ... (Interruptions)...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, Question No.65 relates to the country. ...(Interruptions)... I am asking about the country. ...(Interruptions)... I would like to know whether the Central Government has allotted any funds to the State Governments with regard to cold storage. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This question relates to cold storage facilities in Tamil Nadu. ...(Interruptions)... If the Minister wants to reply, she can...(Interruptions)...

SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE: Sir, Agriculture Infrastructure Fund is allocated to each and every State. ...(Interruptions)... They can make use of the Agriculture Infrastructure Fund in every State. ...(Interruptions)... Also, RKVY scheme and MIDH scheme are there. ...(Interruptions)... Even Tamil Nadu can make use of this and other States can also make use of this. ...(Interruptions)... 13 हज़ार करोड़ रुपये का ...(व्यवधान)...प्रोजेक्ट है।...(व्यवधान)... यह आया है, लेकिन सर, ...(व्यवधान)...अभी बाकी फंड्स बाकी हैं।...(व्यवधान)...बाकी जिलों में भी,...(व्यवधान)...राज्यों में भी इस फंड का यूज़ करने के लिए ...(व्यवधान)... आप प्रोजेक्ट भेज सकते हैं। ...(व्यवधान)...सर, बहुत सारी स्टेट्स ने डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चरल प्लान नहीं बनाया है।...(व्यवधान)... डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चरल

प्लान बनाना, ...(व्यवधान)... उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजना है।...(व्यवधान)...सर, हम इसको यहाँ से सैंक्शन करने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान)...उपसभापति जी, मैं सभी स्टेट्स से, ...(व्यवधान)...मैं सभी राज्यों से विनती करती हूं कि आपकी स्टेट में, जिले में क्या चाहिए...(व्यवधान)...आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, ...(व्यवधान)...वेयरहाउस चाहिए, ...(व्यवधान)... पैकेजिंग हाउस चाहिए...(व्यवधान)...ब्रेंडिंग चाहिए...(व्यवधान)...आपको जो चाहिए, उसके आधार पर प्लान बनाइए, ...(व्यवधान)...उसको भेजिए। ...(व्यवधान)...हम उसको यहाँ से ..(व्यवधान)...सैंक्शन करने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : प्रश्न संख्या ६६, माननीय राम नाथ ठाकुर जी, आप अपना पहला सप्लीमेंटरी प्रश्न पृष्ठिए।

# Discontinued stoppages of trains in Bihar

\*\*66. SHRI RAM NATH THAKUR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) the names of trains passing through Bihar whose stoppages at various stations have been discontinued post COVID-19 phase along with the names of such stations, Zone-wise/Division-wise;
- (b) the details of discontinued stoppages of trains at various stations in Bihar during the last three years; and
- (c) the number of railway stations in Bihar at which Government plans to make stoppages for various trains?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI ASHWINI VAISHNAW): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

#### Statement

(a) to (c) Indian Railways (IR) do not operate train services on State-wise basis as railway network straddles across the State boundaries. Further, Indian Railways, with the assistance of IIT-Bombay, have undertaken rationalization of time table, *inter alia* to provide for better passenger safety by creating maintenance corridor blocks, minimizing conflicts in existing time table, etc. The exercise also included rationalization of stoppages. Accordingly, stoppage of some trains at 94 stations over East Central Railway, Eastern Railway, North Eastern Railway and Northeast Frontier Railway located in the State of Bihar, have been discontinued. However, these stations are being served by adequate number of train services, subject to operational

<sup>†</sup> Original notice of the question was received in Hindi.

feasibility and commercial justification. Besides, provision and rationalization of stoppages is an ongoing process on Indian Railways.

श्री राम नाथ ठाकुर: माननीय उपसभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)...कोरोना के कारण...(व्यवधान) ... वहा जो ट्रेन उन स्टेशन पर रुकती थीं...(व्यवधान)...क्या भारत सरकार ...(व्यवधान)...मंत्री जी रुकवाने का काम करेंगे? ...(व्यवधान)...

श्री अश्वनी वैष्णव : मान्यवर उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, सदन के बाहर भी उठाया है, उसमें में यह कहना चाहूंगा कि रेलवे में अगर मैन्टेनेन्स करना होता है तो मैन्टेनेन्स अन्य जगह के कंपेरिज़न में अलग तरीके से होता है। रेलवे में जब मैन्टेनेन्स करते हैं तो एक साइड में डायवर्शन दिया गया तो उस डायवर्शन के कारण यह हुआ। ..(व्यवधान)...रेलवे में ट्रैक के मैन्टेनेन्स के लिए ट्रेन्स को रोकने की जरूरत पडती है।...(व्यवधान)...इसके कारण जिस तरह से पहले के काल में स्टॉपेजेज़ लिए गए थे, 2019 में डायरेक्टर, मैन्टेनेन्स के साथ मिलकर एक बडी एक्सरसाइज़ हुई थी, जिसमें रेलवे को 24 घंटे में से...(व्यवधान)...तीन घंटे का जो पीरियड चाहिए, वह पीरियड मिले, उसके हिसाब से पूरे के पूरे टाइम टेबल को रीड्राफ्ट किया गया। इसके कारण देश भर में करीब-करीब 9,500 के आस-पास स्टॉपेजेज़ निकालने पड़े। कई बार कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ कड़े डिसीज़न लेने पड़ते हैं। यह भी एक ऐसा ही कड़ा डिसीज़न लिया गया था, जिसके कारण आज रिज़ल्ट्स हमारे सामने हैं।...(व्यवधान)...इसके पहले ट्रेन्स की पंक्चुएलिटी 60-65 प्रतिशत होती थी, वह आज 85 से 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है। मैंने करीब-करीब सारी ट्रेन्स की जानकारी ली है।...(व्यवधान)...साथ ही साथ जिस तरीके से रेलवे में मैन्टेनेन्स की कमी हो रही थी, जिसके कारण एक्सीडेंटस बढ रहे थे, आज की स्थिति यह है कि मैन्टेनेन्स ठीक टाइम से होने के कारण पैसेंजर्स की सेफ्टी भी बढ़ी है, यह उस काल में एक्सरसाइज़ का परिणाम है। यह कड़ा डिसीज़न है, लेकिन इसके कारण देश में पैसेंजर्स की सेफ्टी भी बढ़ी है और पंक्चुएलिटी भी बढ़ी है।...(व्यवधान)...

श्री राम नाथ टाकुर : उपसभापति जी, मैन्टेनेन्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन मुझे आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना है कि ...(व्यवधान)...

श्री अश्वनी वैष्णव: मान्यवर उपसभापित महोदय, ...(व्यवधान)...कमेटी बनी है या नहीं बनी है, उससे सम्बन्ध नहीं है, लेकिन ट्रैक को डेली मेन्टेन करने की जरूरत पड़ती है।...(व्यवधान)... रेलवे ट्रैकमैन रोजाना सुबह उठकर, पूरा किट लेकर, सामान अपने कन्धे पर लादकर डेली १ किलोमीटर ट्रैक का इंस्पेक्शन करता है, अगर यह इंस्पेक्शन नहीं हो, अगर डेली ट्रैक की रिपेयर और मैन्टेनेन्स नहीं हो तो क्या परिस्थिति होगी, ...(व्यवधान)...यह हम सब समझ सकते हैं, इसलिए ट्रैक में कोई वन टाइम वर्क की बात नहीं होती, यह डेली, रैगुलर मेंटेनेंस का प्रश्न है और उसमें हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।...(व्यवधान)...

श्री राकेश सिन्हा: उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि स्टेशनों पर दशकों से यह प्रथा चालू है...(व्यवधान)...क्या बेगूसराय को

इंडस्ट्रियल सिटी की तरह ट्रीट किया जायेगा? ...(व्यवधान)...उसे एक जिले के रूप में देखें तो ऐसे अनेक स्थान हैं, ...(व्यवधान)...जो औद्योगिक क्षेत्र में रुकनी चाहिए, वह नहीं रुकती है तो मेरी मंत्री जी से मांग है कि कोलकाता से बेगूसराय और बेगूसराय से नई दिल्ली, इन दो ट्रेनों को रोकने की व्यवस्था करें। उसके साथ ही साथ ...(व्यवधान)...एक्सप्रैस रुका करती थी, जिसमें विद्यार्थी लोग शिक्षा के लिए जाते थे, उस ट्रेन को फिर से शुरू किया जाये।...(व्यवधान)...

श्री अश्वनी वैष्णव: मान्यवर उपसभापित महोदय, स्टॉपेजेज़ किस कारण से कम हुए, उसके विषय में विस्तार से मैंने आपके सामने बात रखी।...(व्यवधान)... मान्यवर सांसद महोदय का अगर स्पेसिफिक कोई कारण है तो मेरा कार्यालय हमेशा माननीय सासंदों के लिए खुला है, कभी भी शाम को 5.00-5.30 बजे के बाद आप कार्यालय में पधारें।...(व्यवधान)...जो इंडिविजुअल किसी भी सांसद महोदय का प्वाइंट है, उस पर जरूर हम विचार करेंगे।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Q.No. 67. The questioner is not present.

\*67. [The questioner was not present.]

### Distribution of fortified rice under PDS, PM-POSHAN and ICDS

- \*67. SHRI PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:
  - (a) whether it is a fact that Government has started a pilot project for distributi ng fortified rice through Public Distribution System (PDS), PM-POSHAN, Integrated Child Development Services (ICDS), etc.;
  - (b) if so, he details of districts identified, State-wise, and the status of implementation of the project;
  - (c) whether it is also a fact that Government has decided to distribute only fortified rice through PDS by 2024;
  - (d) if so, the status of preparation and whether Government will achieve the target; and
  - (e) the details of rice required to achieve the 2024 goal and how Government is planning to procure it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI ASHWINI KUMAR CHOUBEY): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

#### Statement

- (a) Yes Sir. To address anaemia and micro-nutrient deficiency in the country, the Government of India had approved the Centrally Sponsored Pilot Scheme on "Fortification of Rice & its Distribution under Public Distribution System" on 14<sup>th</sup> February, 2019, for a period of 3 years beginning 2019-20.
- (b) Fifteen State Governments (with Districts) i.e. Andhra Pradesh (Vizianagram), Kerala (Ernakulum), Karnataka (Yadgir or Mysore), Maharashtra (Gadchiroli), Odisha (Malkangiri), Gujarat (Narmada), Uttar Pradesh (Chandauli), Assam (Dhubri), Tamil Nadu (Tiruchirappalli/Trichy), Telangana (KumrabheemAsifabad or Jayashankar Bhupalapally or Khammam), Punjab (Gurdaspur/Ludhiana), Chhattisgarh (Kondagaon), Jharkhand (East Singhbhum), Uttarakhand (Udham Singh Nagar) and Madhya Pradesh (Singrauli) had consented and identified their respective Districts for implementation of the Pilot Scheme. Approximately 4.30 Lakh Metric Ton (LMT) of fortified rice has been distributed through PDS under the Pilot Scheme till 2021-22, in eleven States except Assam, Karnataka, Kerala and Punjab.
- (c) and (d) Yes Sir. The Government has approved the supply of fortified rice throughout the Targeted Public Distribution System (TPDS) under the National Food Security Act (NFSA) and in Other Welfare Schemes of Government of India in all States and Union Territories (UTs) in a phased manner by the year 2024. The FCI and State Agencies have commenced the procurement of fortified rice.
- (e) Nearly 350 LMT of fortified rice is required for distribution in all Government Schemes including TPDS, ICDS, PM-POSHAN and Other Welfare Schemes (OWSs) by 2024. FCI and State Agencies have already procured around 138 LMT of Fortified Rice so far. Instructions have been issued to all States/UTs to build up necessary infrastructure for rice fortification and to ensure adherence to deadline with regular monitoring.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Any supplementaries?

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Thank you Mr. Deputy Chairman, Sir. ...(Interruptions)... On behalf of Shri Prabhakar Reddy Vemireddy, I would.....(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not on his behalf, but as a separate question. ... (Interruptions)... You have a right to ask. ... (Interruptions)...

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Thank you, Sir. ...(Interruptions)... मंत्री महोदय से मेरा क्वश्चन है the End-to-End Computerization of Targeted Public Distribution System Operations including automation of Fair Price Shops seek to bring transparency and efficiency in the allocation and distribution of highly subsidized food grains to the beneficiaries. I want to ask the hon. Minister as to what is the present status of the scheme in Andhra Pradesh.

श्री अश्विनी कुमार चौबे: उपसभापित महोदय, प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य, रेड्डी जी ने जो प्रश्न किया है, ...(व्यवधान)... मैं उसके संदर्भ में बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने पूरी तरह से ...(व्यवधान)... आदरणीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने जो पौष्टिकृत आहार, फोर्टिफाइड राइस के बारे में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह घोषणा की, ...(व्यवधान)... उसके तहत हमने 65 प्रतिशत ऐसे लोग, जो देश में चावल खाते हैं, ...(व्यवधान)... उनके लिए पूरी व्यवस्था की। ...(व्यवधान)... हमने उनकी जनसंख्या को देखते हुए, ...(व्यवधान)... और देश में जो सर्वाधिक वंचित और समाज के ऐसे कमजोर वर्ग के लोग हैं, ...(व्यवधान)... उनके लिए, जो कुपोषण के शिकार होते हैं, ...(व्यवधान)... उनको बचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ...(व्यवधान)... महोदय, प्रश्नकर्ता सदस्य का मैंने पूरा स्पष्ट उत्तर ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप संक्षेप में जवाब दें। ...(व्यवधान)...

श्री अश्विनी कुमार चौबे : अगर फिर से ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री, पीयूष गोयल जी, प्लीज़। ...(व्यवधान)...

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री; तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : माननीय उपसभापित महोदय, सांसद महोदय ने जो पूछा, ...(व्यवधान)... उस संदर्भ में अभी तक आन्ध्र प्रदेश को 43,000 टन का टोटल एलोकेशन हुआ है, ...(व्यवधान)... जिसमें से अभी तक उसने 27,590 टन ले लिया है, लिफ्टिंग कर ली है। ...(व्यवधान)... प्रधान मंत्री-पोषण अभियान, ...(व्यवधान)... पहले मैंने आईसीडीएस का नंबर दिया है, प्रधान मंत्री-पोषण अभियान के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश को 86,526 टन का एलोकेशन हुआ है, out of which the lifting under PM-POSHAN under Andhra Pradesh is 78,378. ...(Interruptions)... I am happy that they are implementing it. ...(Interruptions)... We are now looking at converting the entire rice to fortified rice which is in the interest of the country and will help reduce the incidence of malnutrition. ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति : डा. के. लक्ष्मण जी। ...(व्यवधान)...

**डा. के. लक्ष्मण**: उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि whether it is a fact that the TRS Government has miserably failed to implement the PDS in Telangana. ...(Interruptions)... मोदी जी की सरकार के द्वारा देश भर में गरीबों के हित के लिए, ताकि कोई गरीब भूखे पेट न सोए, 80 करोड़ आबादी को 5 किलो चावल दिया जा रहा है, ...(व्यवधान)... मगर तेलंगाना के अन्दर अप्रैल माह से सभी फ्री राशन बंद किया गया। ...(व्यवधान)... क्या यह सही है? What is the action taken by the Union Government to see that the free ration reaches the poor people of Telangana?. ...(Interruptions)...

श्री पीयूष गोयल : माननीय उपसभापति महोदय, बहुत दुर्भाग्य से पिछले कुछ महीनों में यह स्थिति उत्पन्न हुई, ...(व्यवधान)... जिसके कारण तेलंगाना में हमारी जो अन्यान्य योजनाएँ हैं, उनमें उसने पूरे तरीके से अपना योगदान नहीं दिया। ...(व्यवधान)... उदाहरण के लिए, अभी जो राइस फोर्टिफिकेशन का कार्यक्रम चल रहा है, ...(व्यवधान)... केन्द्र सरकार, ...(व्यवधान)... प्रधान मंत्री, मोदी जी की इच्छा थी कि बच्चों को, ...(व्यवधान)... जो हमारी माताएँ हैं, उनको आईसीडीएस और पीएम-पोषण के अंतर्गत जो चावल मिलता है, वह फोर्टिफाइड राइस मिले। ...(व्यवधान)... इस उद्देश्य से तेलंगाना को आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत 26,180 टन चावल उठाना था, उसके सामने उसने मात्र 6,544 टन ही उठाया। ...(व्यवधान)... ऐसे ही पीएम-पोषण के अंतर्गत तेलंगाना को 16,499 टन चावल लेना था, लेकिन अभी तक उसने शुन्य, दुर्भाग्य से शून्य फोर्टिफाइड चावल लिया है। ...(व्यवधान)... वैसे तो प्रधान मंत्री जी ने संवेदना दिखाते हुए देश के 80 करोड़ लोगों के लिए, ...(**व्यवधान**)... प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो मुफ्त में राशन दिया, ...(व्यवधान)... फूड सिक्योरिटी के अतिरिक्त, ...(व्यवधान)... हर व्यक्ति के लिए 5 किलो अतिरिक्त राशन दिया। ...(व्यवधान)... 25 महीने तक, ...(व्यवधान)... उसमें भी अप्रैल से जो राशन देना था, उसमें तेलंगाना सरकार ने बहुत सुस्ती दिखाई। ...(व्यवधान)... उसके कारण अप्रैल से वहाँ के गरीबों को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो अधिक अनाज मिलना था, वह नहीं मिल रहा है। ...(व्यवधान)... केन्द्र सरकार ने इसको बहुत सख्ती से लिया, तब जाकर तेलंगाना सरकार ने जून महीने के अनाज का वितरण बड़ी मुश्किल से हमारे बार-बार कहने के बाद शुरू किया है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, आप briefly उत्तर दें। ...(व्यवधान)...

श्री पीयूष गोयल : अब हम उम्मीद करेंगे कि वे आगे केन्द्र सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ेंगे। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now Shri G.V.L. Narasimha Rao. Please be brief in your question. ... (Interruptions)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, I would like to first of all congratulate the hon. Prime Minister ... (Interruptions)...and the Ministry for fortification of the PDS rice to end Anaemia and malnutrition. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please ask your question. ... (Interruptions)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: My question to the hon. Minister is ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)... Do not do this. ... (Interruptions) ... This is not proper. ...(Interruptions)... This is not proper, Madam....(Interruptions)... Please....(Interruptions)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: I will give privilege notice, if anybody disturbs me ...(Interruptions)... Sir, my question to the hon. Minister is this. ...(Interruptions)... Like the Government of Telangana, ...(Interruptions)... even in Andhra Pradesh, free ration under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana had not been given to the people of Andhra Pradesh. ...(Interruptions)... I have also written to the hon. Minister in this regard. ...(Interruptions)... I would like to know from the hon. Minister as to what steps the Government has taken to ensure that the people of Andhra Pradesh also get this benefit...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. ... (Interruptions)...

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, we are in dialogue with the Government of Andhra Pradesh to ensure that ...(Interruptions)...the poor people of Andhra Pradesh also get rice, free foodgrains under the PMGKAY. ...(Interruptions)... We are in dialogue with them and we are hopeful that that will start soon...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 68; questioner not present.

\*68. [The questioner was not present.]

# Foodgrains stock in the country

- \*68. SHRI JAWHAR SIRCAR: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:
  - (a) whether it is a fact that while the Central pool is currently above the foodgrain stocking norms, wheat procurement is unsatisfactory and country does not have sufficient foodgrains to repeat the annual average of 376 LMT, distributed under PMGKAY in the last two COVID-affected years;

- (b) the reasons for first permitting and publicising wheat exports and then prohibiting it; and
- (c) the details of long term projection or outlook of cereal production for MSP and procurement, stock management, distribution for PDS, welfare and pandemic-related schemes and India's export possibilities?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI PIYUSH GOYAL): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

### Statement

(a) to (c) The Central Pool stock of wheat as on 1<sup>st</sup> of July 2022 is well above the foodgrains stocking norms. As on 1<sup>st</sup> of July 2022, Food Corporation of India (FCI) and State Govt. agencies have 285.10 LMT of wheat stock under Central Pool against the stocking norms of 275.80 LMT.

During current season, procurement of wheat has been about 188 LMT and it is expected that even after meeting out the requirement of Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) (upto September, 2022) and Public Distribution System (PDS), the projected wheat stock as on 01.04.2023 would be 134 LMT against the stocking norms of 74.6 LMT.

Wheat production estimate was revised to lower side due to early summer this year. Also, there was a rise in global prices of wheat due to various geo-political reasons. The Government of India is committed to providing for the food security requirements of India first and also support the neighbouring and other vulnerable developing countries which are adversely affected by the sudden changes in the global market for wheat and are unable to access adequate wheat supplies. Therefore, the Central Government amended the export policy of wheat from 'Free' to 'Prohibited'.

As per the available stock and further projections upto April 2023, the country has enough stock of foodgrains to cater the requirement of Public Distribution System (PDS) & Other Welfare Scheme and to meet out any other eventuality.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are there any supplementaries?

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, on Q. No. 68,...(Interruptions)... I think it is a very important subject. ...(Interruptions)... This is regarding the wheat stocks of the country. आज पूरे देश और पूरी दुनिया में अनाज की शॉर्टेज है।...(व्यवधान)... पूरे देश और पूरी दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी की चिंता हो रही है।...(व्यवधान)... ऐसी परिस्थिति में जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, भारत एकमात्र ऐसा देश है, जिसने बड़ा संतुलन रखा है। ...(व्यवधान)... ऐसे में भी अगर हमारे विपक्ष के मित्र तैयार नहीं हैं कि इस विषय पर चर्चा हो, तो यह एकदम बेबुनियाद ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, प्लीज़, ...(व्यवधान)... आपका जवाब ...(व्यवधान)...

श्री पीयूष गोयल: सर, ये जिस प्रकार से बेबुनियाद ...(व्यवधान)... यह हम सबका भी अधिकार है। ...(व्यवधान)... जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है, ...(व्यवधान)... इनसे कहिए कि ये लोग अपनी जगह पर जाएं। ...(व्यवधान)... हमारी माननीया वित्त मंत्री जी को अभी कोविड हो रहा है। ...(व्यवधान)... कोविड के बाद वे यहां आ कर ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : डा. अशोक बाजपेयी। बाजपेयी जी, आप इसी मुद्दे पर स्पेसिफिक सवाल पूछें। ...(व्यवधान)... That is regarding foodgrains stock in the country. ...(Interruptions)...

डा. अशोक बाजपेयी: माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कोविड जैसी भयंकर महामारी में ...(व्यवधान)... लगातार दो वर्ष तक देश की 80 करोड़ जनता को निशुल्क राशन उपलब्ध कराने के बाद, आज भी सेंट्रल पूल में 285 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध है, यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। ...(व्यवधान)... मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 2022-23 में सेंट्रल पूल के लिए गेहूं की खरीद का लक्ष्य क्या है? ...(व्यवधान)... क्या विभिन्न राज्यों द्वारा, सेंट्रल पूल में उनका जो निर्धारित कोटा है, वह पूरा किया गया है या नहीं, कृपया यह बताने की कृपा करें?

श्री पीयूष गोयल: माननीय उपसभापित महोदय, इस वर्ष बहुत गर्मी के कारण काफी इलाकों में गेहूं के उत्पादन में कमी आई है। ...(व्यवधान)... इसी के साथ-साथ दाम अच्छे होने के कारण हमारे कई किसान भाई-बहनों को अच्छे दामों पर, एमएसपी से भी ऊपर, अपने उत्पाद को बेचने का मौका मिला। ...(व्यवधान)... सरकार ने उनको पूरी छूट दी। ...(व्यवधान)... जहां-जहां किसानों ने सरकार को अनाज लेने के लिए कहा, हमने देशभर से पूरा अनाज उठाया। ...(व्यवधान)... उत्तर प्रदेश में भी सब जगह प्रोक्योरमेंट सेंटर्स चले। ...(व्यवधान)... जहां-जहां भी किसानों ने अनाज दिया, सरकार ने उसको उठाया। ...(व्यवधान)... और जहां-जहां किसानों को मार्केट में एमएसपी से ज्यादा दाम मिले, वहां उन्होंने अपना अनाज मार्केट में दिया। ...(व्यवधान)... इस परिस्थिति के बावजूद आज 275 लाख टन अनाज सरकार के पास है। ...(व्यवधान)... यह इस देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे अन्नदाताओं ने हमें फूड सिक्योरिटी दी है। ...(व्यवधान)... मुझे लगता है कि इसके लिए हम सभी को हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को धन्यवाद देना चाहिए। ...(व्यवधान)... इसी के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने पीएम किसान योजना ला कर उनको मानदंड भी दिया है। ...(व्यवधान)... लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार हमारे विपक्ष के साथी

कर रहे हैं, सर, मेजॉरिटी ऑफ दि हाउस आज इस पर चर्चा चाहता है, सरकार भी इस पर चर्चा चाहती है।...(व्यवधान).. यह एक गम्भीर विषय है।

अभी कोविड-19 का जिक्र हुआ। हमारी माननीया वित्त मंत्री जी को कोविड हुआ है ...(व्यवधान).. कोविड के टाइम में भी इस पर व्यापक चर्चा हो, वे इनकी बातों को सुनना चाहती हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे में कैसे चर्चा हो सकती है? ...(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : प्लीज़, आप अपनी-अपनी सीट पर जाएं, माननीय एलओपी कुछ कहना चाहते हैं। ...(व्यवधान)..यिद आप वैल में खड़े होकर कुछ कहेंगे तो फिर आप माननीय एलओपी को बोलने नहीं देंगे, आप सभी लोग अपनी सीट्स पर जाएं, माननीय एलओपी कुछ बोलना चाहते हैं, आप सभी लोग अपनी सीट्स पर जाएं, तभी मैं उन्हें बोलने की इजाज़त दूंगा। ...(व्यवधान).. माननीय एलओपी कुछ कहना चाहते हैं, आप सभी लोग अपनी सीट्स पर जाइये, मैं उन्हें बोलने की इजाज़त दे रहा हूं। ...(व्यवधान).. यिद आप वैल में खड़े रहेंगे, तो मैं उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दूंगा। ...(व्यवधान).. आप वैल में खड़े रहेंगे तो मैं उन्हें इजाज़त नहीं दूंगा, प्लीज़, आप अपनी-अपनी सीट पर जाएं, Mr. John Brittas, this is not your seat. ...(Interruptions)... Please, seats are specified. ...(Interruptions)... There are very clear indications and rulings for it. ... (Interruptions)... Please... ...(Interruptions)... प्लीज़, बीच में खड़े न हों, आप अपनी सीट्स पर बैठ जाएं, माननीय एलओपी बोलना चाहते हैं, प्लीज़, आप अपनी सीट्स पर जाएं। ...(व्यवधान).. माननीय एलओपी।...(व्यवधान).. आप शोर न करें, माननीय एलओपी को बोलने दें, क्या आप उन्हें बोलने नहीं देना चाहते हैं? यिद कोई बोलेगा या कमेन्ट करेगा तो फिर दिक्कत होगी। प्लीज़, आप एलओपी को बोलने दें।

विपक्ष के नेता (श्री मिल्लकार्जुन खरगे) : डिप्टी चेयरमैन साहब, हम पिछले पांच दिनों से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता की ...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति** : प्लीज़, आप बैठिये।

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: हम जनता की समस्याओं को इस सदन के सामने रखना चाहते हैं, हम गड़बड़ करना नहीं चाहते हैं।...(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : कृपया आपस में बात न करें, माननीय एलओपी को बोलने दें।...(व्यवधान).. नो प्लीज़, आप विषय पर बात करिये। ...(व्यवधान).. में सबको कह रहा हूं। ...(व्यवधान)..

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: मैं बड़ी नम्रता के साथ ...(व्यवधान).. एक मिनट सुनिये, हम बड़ी नम्रता के साथ आपसे अपील करते हैं कि हम कोई दूसरी चीज आपसे नहीं मांग रहे हैं, रूल 267 के तहत ही ...

श्री उपसभापति : माननीय एलओपी साहब, जिस पर चेयरमैन साहब ने सुबह रूलिंग दे दी है, मैं नहीं दे सकता, आप जानते हैं कि चेयरमैन साहब ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है।...(व्यवधान)..

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : आप मुझे सेन्टेन्स तो कम्प्लीट करने दीजिए।

श्री उपसभापति : चेयरमैन साहब ने रूल 267 के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है। अगर आप रूल 267 के तहत यह मामला उठाना चाहते हैं, तो मैं उसकी इजाज़त नहीं दे सकता।

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: आप इजाज़त दीजिए या मत दीजिए, लेकिन हम यह चाहते थे कि रूल 267 में चर्चा हो और आपने बिज़नेस एडवायज़री कमेटी में यह कहा कि रुल 176 के तहत हम इसे चर्चा में ले सकते हैं, लेकिन आप रूल 267 और रूल 176 का फर्क तो जानते ही हैं। यह फर्क इसीलिए है कि रूल 267 में सारे बिज़नेस को स्टॉप करके...

श्री उपसभापति : माननीय चेयरमैन साहब ने इस पर इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, उनका फाइनल डिसीज़न है। ...(व्यवधान)..

श्री पीयूष गोयल: सर, हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार इस पर चर्चा चाहती है, लेकिन हमारी वित्त मंत्री जी को कोविड हुआ है।...(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : आप दोनों इस पर चर्चा चाहते हैं, तो आप तय कर लीजिए, चेयरमैन साहब ने कहा है कि पक्ष और विपक्ष आपस में बैठकर इस पर चर्चा तय कर लीजिए, इसमें चेयर का कोई हाथ नहीं है। ...(व्यवधान)..

श्री पीयूष गोयल : अगर विपक्ष तैयार है, तो हम भी तैयार हैं। इस पर चर्चा हो और ...(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सभी बैठ जाइये और दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने दीजिए, प्लीज़। ...(व्यवधान).. प्लीज़, आप आपस में बात न करें। मैं अगले क्वेश्चन को लेता हूं। ...(व्यवधान)..श्री बिनोय विस्वम जी, ...(व्यवधान).. क्वेश्चन नम्बर 69....(व्यवधान).. प्रश्न संख्या 69. श्री बिनोय विस्वम जी, ...(व्यवधान)..Not present. ... (Interruptions) .. माननीय मंत्री जी।

\*69. [The questioner was not present.]

### Fraudulent beneficiaries under PM-KISAN scheme

- \*69. SHRI BINOY VISWAM: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to State:
  - (a) the total number of fraudulent beneficiaries/ineligible farmers identified under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Yojana since 2019, State-wise;

- (b) the total amount lost due to fraudulent transactions and the total amount recovered from fraudulent beneficiaries under the PM-KISAN scheme since 2019, State-wise; and
- (c) the action taken against officials responsible for these frauds?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE): (a) to (c) A Statement is laid on the table of the House.

#### Statement

(a) to (c) PM Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), one of the largest central sector schemes, is being implemented to supplement financial needs of land holding farmers of the country. Under the scheme, financial benefit of Rs 6000/- per year, in three equal installments, is transferred into the bank accounts of farmers.

Till date, 11.37 crore eligible farmers have been paid more than Rs. 2 lakh crores, under PM KISAN.

Benefits of the Scheme are given to a farmer family. The family should own cultivable land, as per land record system of the concerned State/UT. Cut-off date for land ownership is 1<sup>st</sup> February 2019, except in case of inheritance due to death of a beneficiary. Certain Categories of higher economic status are excluded from getting the benefit under the scheme, such as former and present holders of constitutional posts; former and present Ministers/ MPs/MLAs; all superannuated/retired pensioners whose monthly pension is Rs.10,000/-or more; all serving or retired employee of the Center/ State Govt or PSEs (excluding Multi-Tasking Staff / Class IV/Group D employees); all persons who paid Income Tax in last assessment year; professionals like Doctors, Engineers, Lawyers, Chartered Accountants, and Architects registered with Professional bodies; and Non-Resident Indians.

States/UTs identify and verify the beneficiaries under the scheme. Benefits are transferred to the beneficiaries through Direct Benefit Transfer mode, on the basis of verified data received from the States/UTs on the PM-KISAN portal. To help the States/UTs for automated validation of the beneficiaries' data, PM-KISAN portal has been integrated with the portals of Unique Identification Authority of India (UIDAI) for Aadhar authentication; with Public Finance Management System (PFMS) for validation of account and Government employees/pensioners data; with Income Tax department for validation of income tax payee status; and with National Payment Corporation of India (NPCI) for account validation and Aadhar based payments.

Eligible farmers are being enrolled and deceased/ineligible beneficiaries are being removed by way of continuous verification and validation of the beneficiary's data. The States/UTs have been provided with the option to mark beneficiaries as eligible to ineligible and vice versa, after due verification. E-KYC of all the beneficiaries is also being done to verify their status. States/UTs have been asked to expedite the process for saturation of the scheme with all the eligible beneficiaries and removal of ineligible beneficiaries.

A few States reported instances of fraudulent transactions under the Scheme. These are Tamilnadu, Karnataka, Rajasthan and Gujarat.

Recoveries have also been made from fraudulent beneficiaries by the State Governments of Tamilnadu (Rs 163 Crore), Rajasthan(Rs 3.6lakh) Karnataka (Rs1.21 Crore) and Gujarat (Rs 41.76 lakh). Appropriate disciplinary action against the responsible officials have been taken by the State Governments and FIRs have been lodged, accordingly State-wise details of action taken are as follows:

**Tamilnadu:** FIR has been filed in 16 Districts. 123 persons were arrested including contractual staff.102 contractual staffs, suspected to be directly or indirectly involved in these illegal activities, were terminated. Three block level Assistant Director of Agriculture where large number of entries took place were suspended. Departmental action instituted against the 71 officers who are responsible for the enrolment of fraudulent beneficiaries in PM-KISAN scheme.

Rajasthan: A six-member enquiry Committee was set up by the District Administration. The Committee found that the ID of the Tahasildar was misused from 192 IP addresses to make self-registered farmers eligible. FIR has been lodged by the district administration with the list of IP Addresses. Disciplinary action has been instituted against the then Tahasildar and the present Tahasildar for negligence in the matter and dereliction of duty.

Similarly, State of Gujarat and Karnataka have also registered FIRs on respective cases.

Further, following special measures have been taken by the Union Government:

- (i) The process of login credentials has been reviewed and new process has been implemented by the Government. In the process, use of government email id, two factor OTP authentication in mobile as well as in email has been made mandatory, apart from condition to change the password regularly.
- (ii) States/UTs have been instructed to recover the money and accordingly, a process to recover the money has been issued.

श्री उपसभापति : ...(व्यवधान)... Question Hour is over. Now the House stands adjourned till 2.30 p.m.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <a href="https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise">https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise</a>

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty minutes past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

# PRIVATE MEMBERS' BILLS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, we will take up Bills for introduction under Private Members' Legislative Business. Firstly, the Uniform Civil Code in India Bill, 2020 by Dr. Kirodi Lal Meena. He is absent. ... (Interruptions)...

The Epidemic Diseases (Prevention, Preparedness and Management) Bill, 2021 by Shri Derek O'Brien. He is absent.

The Information Technology (Amendment) Bill, 2022 by Shri Derek O'Brien. He is absent.

Now, the Waqf (Amendment) Bill, 2022, by Dr. Fauzia Khan to move for leave to introduce the Bill.

# The Waqf (Amendment) Bill, 2022

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Waqf Act, 1995.

The question was put and the motion was adopted.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2022 by Dr. V. Sivadasan.

# The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2022

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

The question was put and the motion was adopted.

DR. V. SIVADASAN: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Constitution (Amendment) Bill, 2022 (amendment of articles 4, 55, 81 etc.) by Dr. V. Sivadasan.

The Constitution (Amendment) Bill, 2022 (amendment of articles 4, 55, 81 etc.)

DR. V. SIVADASAN: Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

DR. V. SIVADASAN: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Compulsory Voting Bill, 2022 by Shri Deepak Prakash.

# The Compulsory Voting Bill, 2022

श्री दीपक प्रकाश (झारखंड) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री दीपक प्रकाश: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Bengal Freedom Fighters Memorial Bill, 2022 by Shrimati Shanta Chhetri.

# The Bengal Freedom Fighters Memorial Bill, 2022

SHRIMATI SHANTA CHHETRI (West Bengal): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for the erection and management of a national memorial to perpetuate the memory of those from Bengal, who have fought and struggled for the freedom of India, from the oppressive British Raj, belonging to the territorial jurisdiction of Bengal Presidency (1765—1947), presidency of the British Indian Empire.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI SHANTA CHHETRI: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Indian National Army Regiment Bill, 2022 by Shrimati Shanta Chhetri.

# The Indian National Army Regiment Bill, 2022

SHRIMATI SHANTA CHHETRI: Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution and regulation of a new army regiment to be known as the Indian National Army Regiment for defending the borders of India against all foreign enemies and in honour of the members of Indian National Army of the Azad Hind Fauj and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI SHANTA CHHETRI: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Constitution (Amendment) Bill, 2021 (Amendments of Articles 246 and 254), by Shri John Brittas.

The Constitution (Amendment) Bill, 2021 (amendments of articles 246 and 254)

SHRI JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Central Public Sector Enterprises (Protection of Interests of States) Bill, 2022 by Shri John Brittas.

# The Central Public Sector Enterprises (Protection of Interests of States) Bill, 2022

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for safeguarding the interests and entitlement of States in the eventuality of disinvestment of Central Public Sector Enterprises and to ensure fairness and transparency in the process and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the National Commission of Home-Based Workers Bill, 2022 by Shri Sandosh Kumar P..

# National Commission for the Welfare of Home-based Workers Bill, 2022

SHRI SANDOSH KUMAR P. (Kerala): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a National Commission for Welfare of Home-based Workers and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SANDOSH KUMAR P.: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Places of Worship (Special Provisions) Repeal Bill, 2022 by Shri Harnath Singh Yadav. ...(Interruptions)... Not present. ... (Interruptions)... प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ...(व्यवधान)...

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान): जी, सर।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप सब बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... प्रमोद जी कुछ कहना चाहते हैं। ...(व्यवधान)... प्लीज़, आप अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... प्लीज़, आप अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

श्री प्रमोद तिवारी: सर, मैं आपके संज्ञान में संविधान की दो बातें लाना चाहता हूँ। यह चार पैरों पर खड़ा है।

श्री उपसभापति : प्रमोद तिवारी जी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं?

श्री प्रमोद तिवारी: सर, चूँकि यह एजेंडा में आ गया है, इसलिए। want to...

श्री उपसभापति : जो बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, आप उस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। ...(व्यवधान)... अगर इंट्रोड्यूस हुआ होता, तब आपको बोलने का अधिकार होता। ...(व्यवधान)...

श्री प्रमोद तिवारी: सर, मैं बोल सकता हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : जी, नहीं। अगर बिल इंट्रोड्यूस हो चुका होता, तब आपको बोलने का पूरा अधिकार होता। ...(व्यवधान)... यह बिल हाउस की प्रॉपर्टी ही नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी: सर, मेरी बात रिकॉर्ड पर आ गई है। ...(व्यवधान)... यह कॉन्ट्राडिक्शन होगा, क्योंकि यह अभी सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इसे न लिया जाए। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up the Right to Health Bill, 2021 by Prof. Manoj Kumar Jha, for consideration and passing.

# The Right to Health Bill, 2021

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I move:

That to provide for health as a fundamental right to all citizens and to ensure equitable access and maintenance of a standard of physical and mental health conducive to living a life in dignity and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.

श्री उपसभापति : झा साहब, आप अगर इस पर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

प्रो. मनोज कुमार झा: आदरणीय उपसभापित जी, यह बिल मैं लेकर आया हूँ, लेकिन इस बिल के पीछे सदन के कई सदस्य, जो आज नहीं हैं, चाहे वे भाजपा के हों, ट्रेज़री बेंचेज़ के हों या अपोज़िशन के हों, हम सबने कोविड की महामारी के बाद सेंट्रल हॉल में इस पर कई दफा चर्चा की। मैं इसको व्यक्तिगत बिल नहीं मानता, बिल्क इसका जन्म एक सामूहिक सोच, एक सामूहिक हिट्टिकोण और एक सामूहिक प्रसंगवश हुआ है।

सर, मुझे स्मरण है, आज से ठीक एक वर्ष पूर्व, 21 जुलाई, 2021 को इस सदन में कोविड पर चर्चा हुई थी। उस समय यह भी चर्चा हुई थी कि कोविड की महामारी से क्या-क्या खत्म हुआ। आज जब मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ तो कहीं न कहीं मुझे यह भी लगता है कि मैं क्या भूलूँ, क्या याद करूँ? सर, जब सदन में चर्चा हो रही थी, तो उसी दौरान मैं बिहार गया था। वहाँ पर भी हमने उसका कहर देखा। उसके लिए किसी सरकार का दोष न कहकर एक व्यवस्था के चरमरा जाने के हम साक्षी रहे। हम उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह हैं, जब हमारे हाथ से चीज़ें फिसल रही थीं। उस समय बिहार विधान मंडल के कृछ सदस्य, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी

और हम लोगों ने यह सोचा कि इस पर कुछ काम किया जाए। उसी दृष्टिकोण से इस बिल का जन्म हुआ, जैसा कि मैंने पहले कहा और आज आपके समक्ष इन चीज़ों को लेकर आया हूँ।

सर, स्वास्थ्य को लेकर हमारा दृष्टिकोण नियतिवादी रहा है, जीवन को लेकर हमारा दृष्टिकोण इस देश में नियतिवादी रहा है। किसी की मृत्यु हो गई, तो हम कहते हैं यह डेस्टिनी थी, उसको जाना था। मैंने एक वर्ष पूर्व इसी सदन में कहा था कि कोविड की महामारी में हमारे जो दो सदस्य इस दुनिया से गए, उनको जाना नहीं था। सरकार के खुद के आँकड़ों के मुताबिक पौने तीन लाख लोग कोविड में काल-कवित हो गए। सर, मेरा अभी भी मानना है और आपमें से अधिकांश लोग मानेंगे कि ये मौतें सिर्फ महामारी से नहीं हुई हैं, बल्कि ये मौतें व्यवस्था के चरमराने से हुई हैं। शायद हमारी व्यवस्थाएँ इतनी इलास्टिक, इतनी वाइड नहीं थीं, उनका ऐम्बिट इतना विशाल नहीं था कि वे उन सब चीज़ों को समाहित कर सकें, जिनको कोविड ने हमें एक चैलेंज के रूप में दिया था।

सर, मैं एनएफएचएस का डेटा देख रहा था और वह डेटा हम सबके लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए। किसी राज्य में किसी एक की सरकार है, केन्द्र में किसी और की सरकार है। हम अक्सर इस बात को कहकर आँख मूंद लेते हैं कि स्वास्थ्य तो राज्य के क्षेत्र में है, राज्य का मामला है। सर,नहीं। हमारे संविधान के अंदर जितने आर्टिकल्स हैं, उनको लेकर जीवन और मृत्यु के दृष्टिकोण में स्टेट, सेंटर और कन्करंट की अवधारणा को त्यागना होगा और वह क्षण आज है। सर, मैं एनएफएचएस का डिटेल्ड डेटा नहीं दूँगा। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेश्यो के मामले में हमारा नाम दुनिया के उन देशों में शामिल है, जो कि एक चिन्ता का विषय है। चाहे वह नियोनेटल हो, अंडर फाइव मोर्टेलिटी रेट हो, दुबरक्युलोसिस हो, ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो -- ये सरकार के खुद के आँकड़े हैं। यह चिन्ता का विषय है। यह बिल आरोप-प्रत्यारोप के लिए नहीं लाया गया है। में जानता हूँ कि प्राइवेट मेम्बर्स बिल कैसे खत्म हो जाता है, उसमें सिवाय चर्चा के कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन उन तमाम लोगों के बिहाफ पर यह मेरी मंशा होगी, मेरा आग्रह होगा, मेरी अपील होगी। आप चाहे पौने तीन लाख लोग कहें, लेकिन कई लोग कहते हैं कि वे कई लाख ज्यादा थे। मुझे आँकड़ों में नहीं जाना है। वे जो भी मौतें हुईं, जिनकी लाशें हमने गंगा और सरयू के किनारे देखीं, वे सब आज हमसे यह डिमांड कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करना चाहिए। हम स्वास्थ्य को इस नियतिवादी दृष्टिकोण से निकालकर एक डूएबल प्रोपोज़िशन में तब्दील करें। उसके लिए आवश्यक है कि हम आँकड़ों से नहीं डरें, आँकड़ों को कन्फ्रंट करें और कन्फ्रंट करने के पश्चात् एक ऐसी नीति विकसित करें, जिसके तहत आगे जब कभी कोई महामारी आए, तो उसके समक्ष हम बेबस न हो जाएँ, हताश और निराश न हो जाएँ।

क्योंकि हम सबको याद है कि उस वक्त पूरे देश में कफ्यू सा सन्नाटा था, लेकिन बीच में चीख-पुकार आती थी, चीत्कार होती थी, कभी ऑक्सीजन के लिए, कभी हॉस्पिटल बेड के लिए होती थी। उसके पीछे सिर्फ एक कारण था कि हमने कल्पना नहीं की थी, हमारी संकल्पना में, हमारे इमैजिनेशन में, हमारी पोलिटिकल इमैजिनेशन में स्वास्थ्य को लेकर जो गाम्भीर्य होना चाहिए, उसका अभाव रहा। मैं सिर्फ बीते आठ वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, गाम्भीर्य के अभाव की गणना होगी तो कई वर्षों की गणना होगी, लेकिन अब वक्त है कि हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें।

महोदय, कल इस हाउस में The Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill 2022 पर चर्चा हुई, वह अभी पास नहीं हुआ। मैंने कल भी कहा था कि एक इंटरनेशनल कमिटमेंट की वजह से उस बिल को गम्भीरतापूर्वक लिया गया और उसको पास करने की कोशिश की गई। सर, हमारा कमिटमेंट कई चीज़ों के लिए है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं Article 12 —International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, उसके सारे सब-क्लॉज़ेज़ हैं। वे तमाम सिग्नेटरी देशों पर एक तरह से मैन्डेटरी करते हैं कि आप अपने यहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कीजिए, एलिबी मत ढूंढ़िए, कारण मत ढूंढ़िए कि इस वजह से यह दिक्कत है।

मैं समझता हूं कि महामारी के दौरान भी हमने देखा कि पोलिटिकल विल का अभाव रहा। जो सरकार या सरकारें करोड़ों रुपये के इश्तिहार दे सकती हैं, क्या वे यह कह सकती हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं! करोड़ों रुपये के इश्तिहार का पैसा कहां से आ रहा है? अगर उन करोड़ों के इश्तिहार के पैसे को इस तरह की चीज़ों में डायवर्ट करें, तो मुझे लगता है कि परिणाम बेहतर आएगा और हम कुछ बेहतर कर पाएंगे।

माननीय उपसभापित महोदय, अक्सर जब हम डेमोग्राफी की बात करते हैं तो कहते हैं human beings as wealth. यह इस देश में उसी तरह का empty rhetoric हो गया है - जैसे हम कहते हैं woman as Godess 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः'। लेकिन हम सब जान रहे हैं कि हर गली, चौराहे, गाँव और नुक्कड़ में उनके साथ क्या हो रहा है! हमारा दृष्टिकोण क्या है! में समझता हूं कि इस पर सिर्फ एक empty rhetoric human beings as capital, human capital, इस दृष्टिकोण से निकाल कर पोलिटिक्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बीते दिनों में काफी बात हो रही है। संभवतः जब मैं यहां आज बोल रहा हूं तो लोक सभा में एक जनसंख्या नियंत्रण विधेयक आया होगा। सर पोलिटिक्स ऑफ पॉपुलेशन से निकलकर पोलिटिक्स ऑफ लाइफ होनी चाहिए। How to ensure that? How to protect that? How to make sure that he or she lives the kind of life he or she was expected to?

मैंने पिछली बार भी कहा था। मैं सदन को स्मरण कराना चाहता हूं। हमारे एक साथी वहां थे, एक साथी यहां थे - राजीव सातव जी, उनकी वैकेंट सीट पर शायद रजनी जी आयी हैं। सर, राजीव सातव जी के बारे में उस दिन भी कहा और वहां जो हमारे साथी ओडिशा से हैं, सर, ये कोविड से नहीं गए हैं, ये हमारी व्यवस्थाओं की चूक की वजह से गए हैं और जो लाखों-करोड़ों लोग इस देश में काल-कवितत हुए, जिनकी मौत हुई है, उसके लिए जिम्मेवार हमारी व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था कौन बना रहा है! व्यवस्था हम बना रहे हैं। इस पर गौर करने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं यह बिल लेकर आया हूं। मैं जानता हूं कि यह बिल यहां पास नहीं होगा, लेकिन आपकी दृष्टि होगी, आपकी नज़र होगी, तो यह सरकार ...(व्यवधान)... सर, मैंने प्राइवेट मेम्बर्स बिल का पूरा इतिहास पढ़ लिया है। ...(व्यवधान)... हां, एक्सेप्ट करेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : झा साहब, आप बोलिए।

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो, इससे बड़ा आपका किमटमेंट नहीं हो सकता। लोग सरकार क्यों चुनते हैं? लोग आसमानी बातों के लिए सरकार नहीं चुनते हैं। चाहे आप चुने गए या कभी ये चुने गए या कभी आप चुने न जाएं, ये चुने

जाएं - जो भी होगा, यह तय है कि आसमानी मुद्दों के लिए आपका चयन नहीं होता है। सरकारें मौलिक चीज़ों के लिए चुनी जाती हैं। जीवन से बेहतर और उच्चतर क्या मौलिक हो सकता है! में समझता हूं कि उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना बहुत ही आवश्यक है। सर, कई लोगों ने सरकार को समय-समय पर आगाह भी किया है। पैन्डेमिक के पहले, पैन्डेमिक के बाद और पैन्डेमिक के दौरान भी किया है। सर, Dr. Paul Farmer एक डॉक्टर थे। उन्होंने बोस्टन से पढने के बाद ज्यादातर समय Haiti में लगाया। उनके बारे में Tracy Kidder ने एक किताब 'Mountains Beyond Mountains' लिखी है। हमें उस तरह की व्यवस्थाओं की जरूरत है। मुझे रमरण है कि पेन्डेमिक के दौरान हमारे एक मित्र डा. शाह आलम जो एम्स में प्रोफेसर हैं, उन्होंने काफी गंभीरतापूर्वक राइट टू हेल्थ के दृष्टिकोण से लगातार सरकार से आग्रह किया कि पब्लिक हेल्थ को लेकर हमारा जो नज़रिया होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को कोविड के मैमोरियल की जरूरत है-जैसे होलोकॉस्ट मैमोरियल है, उसी तरह से कोविड मैमोरियल हो, जो हमें रिमांइड कराएगा कि हमसे कहां चूक हुई? हमारी चूक और व्यवस्था की वजह से कैसे जानें गईं। एक रमृतिलोप सा हो गया है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि मुझे स्मरण है पिछले वर्ष जब हम इसी सदन में चर्चा कर रहे थे, तो लगभग सब की आंखें भरी हुई थीं। लोगों ने अपने निकट के लोगों को खोया था। सर, एक साल नहीं बीता, हमें लगता है कि वह पुराने ज़माने की बात थी, हम उससे बहुत आगे निकल कर आ गए हैं। यह जो स्मृतिलोप का क्षण है, यह नहीं होना चाहिए। मेरा एक आग्रह होगा, इससे पहले कि मैं दो-चार बिंदू आपके समक्ष रखूं, सर, आज आने से पूर्व मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा शोध करूं। माननीय मंत्री जी, मुझे आपकी पूरी तवज्जो चाहिए, गंभीरता चाहिए। आप ही करेंगे, तो फाइनली कुछ निकलकर आएगा।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः माननीय लीडर ऑफ दि हाउस, माननीय सदस्य आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप उनकी बात सुनें।

प्रो. मनोज कुमार झा: बात सुनिए या न सुनिए, लेकिन सुनते दिखिए। इन ऐनी वे, में कॉस्टीट्युएंट असेम्बली में देख रहा था कि 2 सितम्बर, 1949 को इस विषय पर चर्चा हुई थी और हमारे एक महत्वपूर्ण सदस्य एच.वी. कामथ थे, जिन्होंने इंटरवीन किया था और शुरुआत की थी 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्' यानी कि स्वास्थ्य ही वह सीढ़ी है, जिससे आप जीवन की उच्चतम श्रेणी तक पहुंच सकते हैं और उन्होंने इस बात को रखा था, जो राज्य और केन्द्र का मामला होता है। उन्होंने कहा, सुनिए, अगर रेत पर इमारत बनाने की कोशिश करेंगे, तो मुश्किल होगी। रेत से उनका आशय यह था कि राज्यों के पास संसाधन कम हैं। केन्द्र को चाहिए कि इन मसलों में अगर अधिसंरचना बनाने की आवश्यकता है, तो केन्द्र को प्रोएक्टिव रोल लेना होगा। यह बात 2 सितम्बर, 1949 को हिर विष्णु कामथ जी ने कही थी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं दोहरा रहा हूं, अगर अच्छा लगे, तो माननीय मंत्री महोदय इस पर ग़ौर करें।

सर, मैंने पहले कहा यह सिर्फ एक लीगल इश्यू नहीं है, जो मैं यहां रख रहा हूं। It is a moral issue, Sir, moral issue, because when an ordinary voter goes down to put the EVM button, he or she simply doesn't look at the candidates or the political parties. He or she looks at the possibility of widest possible imagination from the person he or she is voting. उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य, रोज़गार जैसी चीज़ों को लेकर मुझे बेगिंग बाउल लेकर न खड़ा होना पड़े। सर, हाल के दिनों में बड़ी चर्चा होती है।

मैंने इसी सदन में कहा था कि कई दफा लगता है कि कई सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं। फ्रीबीज़, मुफ्तखोरी, मुफ्त का यह राशन, मुफ्त की दवाई। मैंने कहा था कि प्लीज़, यह आपके नागरिकों को डिमीन कर रहा है। थैंकफुली अब तक आप वेलफेयर स्टेट हैं। चूंकि वेलफेयर स्टेट हैं, तो इसमें यह मुफ्त शब्द का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। अब मुफ्त शब्द के इस्तेमाल से आप एक बड़ी आबादी को डेनीग्रेट करते हैं। उनका अपमान होता है और उनके नागरिकों के अपमान का अधिकार हममें से किसी को नहीं है। आप क्या देते हैं? आप अनाज और वैक्सीन देते हैं। यह सब आपकी रिस्पाँसिबिलिटी है। अपनी रिस्पाँसिबिलिटी को खैरात में तब्दील मत करिए। उत्तरदायित्व और खैरात में बहुत फर्क है। मैं देख रहा हूं कि अधिकांश राज्य सरकारें भी इसी माँडल को अपनाने लगी हैं। उनको यह लगता है कि यह सबसे बढ़िया माँडल है। करोड़ों के लम्बे-लम्बे इश्तिहार छपवाओ और यह बताओ कि आपको हम मुफ्त में यह दे रहे हैं, वह दे रहे हैं। नहीं साहब, आप मुफ्त में कुछ नहीं दे रहे हैं। एक-एक चीज़ के लिए उस व्यक्ति ने, नागरिक समूह ने पैसे दिए हैं।

आज हम सामने जो अट्टालिका खड़ी कर रहे हैं, सेन्ट्रल विस्टा, उसमें भी उस गरीब का पैसा है। सर, यह दृष्टिकोण बदलने की भी आवश्यकता है। मैं सदन में पहले भी कह चुका हूं और हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह मुफ्त शब्द, फ्री, this should be done away with. It should be jettisoned. इसको उड़ाकर फेंक दिया जाए। यह शब्दावली हमारे लोकतंत्र को, उसकी गरिमा को, उसके चरित्र को शर्मसार करती है।...(व्यवधान)...

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, this is unparliamentary.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will examine it, Brittasji. ... (Interruptions)... We will examine it, I have told you. ... (Interruptions)...

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, जीने का अधिकार...(व्यवधान)... मैं हल्के दृष्टिकोण से कहूं कि यह पहला शुक्रवार है, जब से मैं इस सदन में आया हूं, इतनी बड़ी संख्या में सदस्य हैं।

श्री उपसभापति : मेरा सभी से आग्रह होगा कि ऐसा ही माहौल रखें।

प्रो. मनोज कुमार झा: जी, सर। ऐसा ही माहौल रहना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं। अगर लोकतंत्र को ज़िंदा रखना है, तो इतनी संवेदना सबके अंदर होनी चाहिए, अन्यथा लोकतंत्र के नाम पर यह इमारत बचेगी या लोकतंत्र संग्रहालय में चला जाएगा।

सर, मैं दूसरी चीज़ कह रहा था कि जब हम जीने के अधिकार की बात करते हैं, Right to Life, which is a Fundamental Right, how do we address that issue of Right to Life unless we have the corresponding rights available? Now, what are those corresponding rights? One of them is the right to health. उसके बगैर कैसे एन्श्योर करेंगे! ऐसा नहीं है कि यह मैं कह रहा हूं। There are judicial pronouncements, clear, unambiguous pronouncements and observations, that right to health should be integrated with Right to Life if we wish to achieve the wholesomeness of Right to Life. इतनी सी बात समझने में पता नहीं हमें क्यों विलम्ब होता जा रहा है? सर, एक लैटिन उक्ति है -

Ubi jus, ibi remedium, which means 'where there is a right, there is a remedy'. Wherever there is a right, there should be a corresponding remedy. And if there is a breach, there should be corresponding action. अगर हमने इस नज़रिये से अपनी स्वास्थ्य की चीज़ों को देखा होता, हमारे सीनियर राम गोपाल जी यहां बैठे हुए हैं, वे आज माननीय मंत्री जी से एक केस के बारे में बात कर रहे थे। दिल्ली के एक अस्पताल ने 'आयुष्मान भारत' वगैरह, वह कार्ड नहीं लिया और 50 लाख का बिल बनाया। Sir, correct me if I am wrong. I know some of my friends who recovered from Covid, but died of the shock of the huge bills. सर, मैं बाजार विरोधी नहीं हूं, इसे अन्यथा न लिया जाए। मैं जानता हूं कि बाजार लाभ-हानि पर चलता है, लेकिन जिंदगी लाभ-हानि के दृष्टिकोण से नहीं चलती है। अगर हम जिंदगी को लाभ-हानि के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो तराजू में जिंदगी भारी होगी। अगर वह भारी है, तो मैं समझता हूं कि बाजार के समक्ष हमने अपनी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को जो आत्मसमर्पण करा दिया है, उस पर एक लगाम जरूरी है। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आप बाजार को इतनी आजादी न दें कि आम नागरिक गुलाम हो जाए, आम नागरिक के पास कोई विकल्प न बचे।

सर, अगर सरकारें चाहें, तो हमारे पास व्यवस्था है। जैसे मैंने एक जिक्र किया था ...(व्यवधान)... हमारे पास बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाला 1984 का जजमेंट था। उसके बाद अगर आप देखें, तो आर्टिकल 39, आर्टिकल 47 और इन सबको छोड़िए, इनके अलावा पंचायती राज, 11वें शेड्यूल में भी देखते हैं, तो 243G में इसकी पर्याप्त व्यवस्था है। सरकारों की अगर यह पोलिटिकल विल होगी, पोलिटिकल इमैजिनेशन होगी, तो यह कोई चिंता का विषय नहीं है और आप आसानी से इसे हासिल कर सकते हैं।

सर, जब मैं राइट टू हेल्थ की बात करता हूं, तो यह क्या इन्कॉर्पोरेट करता है? सबसे पहले अवेलेबिलिटी, अफॉर्डेबिलिटी - ये दोनों बेहद आवश्यक चीज़ें हैं। अवेलेबिलिटी, अफॉर्डेबिलिटी, ऐक्सेसिबिलिटी - आप अपने हेल्थ के पूरे स्ट्रक्चर को देख लीजिए - अवेलेबिलिटी में दिक्कत है, ऐक्सेसिबिलिटी में दिक्कत है और अफॉर्डेबिलिटी की मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि हम सब उसके भुक्तभोगी हैं। आप और हम सांसद हैं, भगवान न करे अगर हम और आप अभी बीमार पड़ गए और हमें जाना पड़े...

3.00 P.M.

श्री उपसभापति : एक मिनट झा जी। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको पता है माननीय चेयरमैन साहब ने पूरे सदन को सूचित किया है कि वाइस चेयरमैन का नया पैनल बन चुका है। सुश्री इंदु बाला गोस्वामी जी नये पैनल में हैं। वे आज पहली बार आसन पर बैठ रही हैं। हाउस की तरफ से और मेरी तरफ से संचालन के लिए उनको शुभकामनाएं।

[THE VICE-CHAIRMAN (MS. INDU BALA GOSWAMI) in the Chair.]

THE VICE-CHAIRMAN (MS. INDU BALA GOSWAMI): Please continue.

PROF. MANOJ KUMRA JHA: Thank you, Madam, Vice-Chairman. Congratulations! May I continue now, Madam?

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : आप बोलिए। Please continue.

प्रो. मनोज कुमार झा: मैं एक चीज़ कहना चाहता था कि मैं आपको चेयर पर बैठे हुए पहली बार देख रहा हूं, तो पूरे विज़ुअल पिरामिड को एडजस्ट होने में भी थोड़ा टाइम लगता है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, जब मैं इसको मौलिक अधिकार के अंदर लाने की बात कर रहा हूं तो उसके बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण यह है कि एक बार हमने स्वास्थ्य को जीवन के अधिकार के साथ जोड़ते हुए मौलिक अधिकार में ले लिया, तो मैं नहीं समझता हूं कि बाजार के कोई राँग प्लेयर होंगे या कोई राँगफुल चीज़ें होंगी, हमारे पास पुख्ता व्यवस्थाएं होंगी।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं यह देख रहा था कि 'लैंसेट' की स्टडी कहती है कि हर वर्ष 24 लाख मौतें हमारे मुल्क में उन चीज़ों से होती हैं। मैं बाकी चीज़ों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, जो ट्रीटेबल डिज़ीज़ हैं - यह तो हमारी चूक है, यह तो हमारा फेल्योर है, यह हमारे सिस्टम का फेल्योर है। हालांकि मैं सिस्टम शब्द को भी उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि सिस्टम है क्या? सिस्टम हम और आप हैं, उसका फेल्योर है, यह 'लैंसेट' की स्टडी कहती है। मैं क्यों यह कह रहा हूं, क्योंकि मेडिकल कारणों से भी पलायन होता है। इसीलिए मैं एक्सेसिबिलटी, अफोर्डेबिलटी की बात कह रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं उस राज्य से आता हूं, जहां पर कहने के लिए नये एम्स बने हैं। लेकिन आप अभी दिल्ली के एम्स में चले जाइए। गलियारे में बैठकर इंतजार कर रहे बिहार के हजारों लोग आपको मिलेंगे। उनकी अंदर एंट्री नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब मेडिकल कारणों से पलायन होता है, तो एक पूरा घर मूव करता है। वह दिल्ली में आकर ठिकाना लेता है, किराये का मकान लेता है, रसोई का इंतजाम करता है, वह ठीक हो या न हो, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। वह गरीबी में चला जाता है। 230 मिलियन लोग ऑन एन एवरेज फर्स्ट कोविड वेव के बाद, यह अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्टडी है, वे गरीबी में चले गये, गुरबत उन पर हावी हो गई। मैंने पिछली दफा भी इस बात को कहा था कि हम लोगों को यह तय करना होगा कि ये हॉस्पिटल्स ओवरचार्ज करते हैं, जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया। इसके अलावा सैकडों उदाहरण हैं। यह जो मेडिकल माइग्रेशन होता है, जिसकी वजह से परिवार के परिवार क्षत-विक्षत हो जाते हैं, आखिर इसका निदान क्या है? इसका निदान एक मात्र मेडिकल पॉवर्टी को चैक करना है। मेडिकल पॉवर्टी लगातार बढ रही है। हम लोगों ने अब तक पढा था, absolute poverty, relative poverty, and now there is a new concept called 'medical poverty'. Medical poverty is the reason and outcome of our failure to address the core issues, failure to provide affordable healthcare, universal healthcare and accessible healthcare. ती इसको एक कैटेगरी में हम यह कह दें कि मेडिकल उधर का मसला है, इससे हमारा खास लेना-देना नहीं है! महोदया, मैं दो-तीन मिनट का और समय लूंगा। More than anything else, Madam, Vice-Chairman, through you, to my fellow Members as well hon. Minister, I would like to say, 'In the 75th Year of India's Independence, celebrating Independence, worshipping and celebrating the heroes, having tricolour at every home is important. These symbols are very important, but democracy and our collective will should move beyond hollow symbolism. We must address the core issues and there is nothing more important than ensuring that everybody gets free healthcare irrespective of strata, irrespective of the location, irrespective of the

reason, irrespective of the voting pattern or voting behaviour, and I would reiterate 'never call it free'; never call it, 'we have done it to you and you didn't deserve it.'

Now, let me say just a couple of things more before I conclude. This House must urge the Government -- I am using the word 'House' and not individual parties or Members -- that the GDP we spend on health should be toned up, it should go high, because more often than not, we have seen that Governments before coming to power commit that they will spend this much of amount of GDP, this much proportion of GDP on health, but, every time, we see that education and health are the biggest casualties. साहब, स्वास्थ्य और शिक्षा से बेहतर आपके पास न कोई उपकरण है, न चुनौती है, न प्राथमिकता है। अगर यह बात आप और हम सबके बीच में स्वीकार्य है, तो हमारे जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा वहाँ खर्च होना चाहिए। मैं एक बार पुनः एक बात कहूंगा कि लेजिस्लेटिव कंपिटेंस पर आने से पहले यह जो इंश्योरेंस मॉडल है, माननीय मंत्री महोदय, इस पर भी पुनर्विचार होना चाहिए।

This insurance model of health care is actually heavily tilted in favour of the insurance companies. इंश्योरेंस कंपनीज़ को बहुत फायदा हो रहा है - मैं इस बात को मानता हूं। अगर हमारी चिंताएं इंश्योरेंस कंपनीज़ को पुष्पित, पल्लवित करने में हैं, तो जाहिर तौर पर आप कीजिए, जो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी चिंता 140 करोड़ हिंदुस्तानी नागरिकों में है, तो आप इंश्योरेंस मॉडल को रीविज़िट कीजिए। मैं इसको खारिज करने की बात नहीं कर रहा हूं, रीविज़िट करने की बात कर रहा हूं। Have multiple strata; different strata should have different kinds of arrangements. अगर हम वह कर पाएंगे, तो शायद बेहतर कर पाएंगे।

मैडम, मैं आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि लेजिस्लेटिव कंपिटेंस की बात होती है, पर आप देखिए कि यह स्टेट सब्जेक्ट है। मैंने जीडीपी की बात पहले ही की है, यह स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन आप हेल्थ को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स देखिए और राज्यों की स्कीम्स देखिए। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि एक बेहतर समन्वय हो और उस बेहतर समन्वय के आधार पर एक एनेबलिंग लेजिस्लेशन सेंटर से जाए, ताकि जिस मौलिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं, वह हम उसमें हासिल कर पाएं।

महोदय, दो साल के कोविड ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं और एक सबसे बड़ी चीज़ यह दी है कि हेल्थ हमारी पोलिटिकल विल में आने की कोशिश कर रहा है, हमारी पोलिटिकल इमैजिनेशन में आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ बाँध न बनाया जाए, दरवाज़े न बंद किए जाएं -में सिर्फ इतना कहंगा।

चेयरपर्सन मैडम, आखिर में जब तमाम चर्चा होगी, तो मैं अपनी कुछ बातें बाद में रखूंगा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हेल्थ को कंप्लीट पैराडाइम में देखना होगा, उसका प्रतिमान देखना होगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ का मामला है। मैडम, एक किताब है - The Myth of Mental Illness. यह हमारी अपनी वोकेब्लरी में, हिंदी में होगी। कितने सारे शब्द हैं, जिन्हें हम चाहे-अनचाहे उपयोग में लाते हैं और वे सारे शब्द डीमीनिंग हैं। अगर हमारे देश का कोई नागरिक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो यह कहीं न कहीं हम सबको एक चुनौती देता है कि चूंकि हम अस्वस्थ हैं, हम उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नहीं हैं, अतः हम ये छवियाँ देख पा रहे हैं। मैं पुनः आपको, सदन के अपने साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस पर विशद चर्चा हो। मैंने आरंभ में ही कहा था कि यह चर्चा दलों के दायरों से परे है। जब इस तरह की

महामारी में मौत आती है, तो वोटिंग पैटर्न देखकर नहीं आती है कि इसने बीजेपी को वोट दिया है, यह बचा रहेगा, इसने कांग्रेस को वोट दिया है, यह बचा रहेगा, इसने जद(यू) को वोट दिया है, यह बचा रहेगा, पर इसने सीपीआई को वोट दिया है, यह नहीं बचेगा - ऐसा नहीं है। चूँकि यह दलों के दायरे से ऊपर है, इसलिए हम सभी को एक संकल्प लेकर सरकार से आग्रह करना होगा। मनसुख भाई, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, हमें बड़ी खुशी होगी अगर इसी सत्र में एक राइट टू हेल्थ के मसौदे पर विचार हो, तािक एक संदेश जाए। वे लाखों लोग, जो इस दुनिया से गए हैं, उन्हें अभी ढंग से श्रद्धांजिल भी नहीं मिली है। पहली बात तो यह है कि हमने उनकी मौतों को माना ही नहीं है कि वे कोविड से मरे हैं और अगर कहीं पर मान भी लिया तो श्रद्धांजिल सभा नहीं हुई है। यह सारा सदन आज एक श्रद्धांजिल सभा भी है उन मौतों की और उन मृतकों को सदन की ओर से एक गारंटी है कि हम बहुत जल्द वह व्यवस्था बहाल करेंगे कि आपकी श्रेणी में इस तरह की मौतें फिर न हों। जय हिंद मैडम, जय हिंद सर।

## The question was proposed.

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका अभिनन्दन करना चाहता हूं, सदन में यह आपका प्रथम दिन है।

जिस सदन में हम बैठे हए हैं, उसमें यदि शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा हो और यदि हम राजनीति से ऊपर उठकर उस पर चर्चा नहीं करें तो यह सिर्फ वर्तमान के साथ ही नहीं, बल्कि पीढियों के साथ भी हम अन्याय करते हैं। राजनीति करने के अनेक अवसर होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति में ज्ञान उडेलना हो और व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा करनी हो, जो स्वास्थ्य करता है, उसमें जाति, धर्म, विचारधारा और राजनीति का कोई स्थान नहीं होता। उसमें तो भूगोल की भी सीमाएं ट्रट जाती हैं। जो हमारा शत्रु देश पाकिस्तान है, वह दिन-रात सीमाओं पर आतंक फैलाने की कोशिश करता है, वहां से भी बीमार व्यक्ति यदि मेडिकल टूरिज़्म के लिए भारत आता है तो हम उस मेडिकल टूरिज़्म के दौरान यह नहीं पूछते हैं कि तुम किस देश से आये हो। भारत का यह वैशिष्ट्य इस सदन में दिखाई पड़ना चाहिए। चूंकि राज्य सभा उन लोगों की है, जिनसे देश और दुनिया उम्मीद करती है कि हम अपनी कुछ सीमाओं से ऊपर उठकर बात करें। आज मुझे निराशा हुई कि बार-बार स्वास्थ्य की दुहाई देते-देते राजनीतिक बातें होती रहीं। वही कटुता दिखाई पड़ी, जिस कटूता की मैं उम्मीद नहीं करूंगा। इसलिए मैं आज बिना राजनीतिक बात किए हुए एक घटना की चर्चा करने के लिए यहां पर आया हूं। यह घटना इस सदन के लिए एक सूचना भी है, एक चुनौती भी है और एक प्रेरणा का भी काम करेगी। किस प्रकार से हमारी छवि को स्वास्थ्य के क्षेत्र में खराब करने की कोशिश हुई। कोविड के दौरान यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी दुनिया ने देखा। भारत के तमाम चिकित्सकों ने, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हिन्दुस्तानियों की रक्षा की। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि आज उस पत्रिका का नाम लिया गया, मैं उस पत्रिका का नाम भी नहीं लेना चाहता था। यद्यपि वह पत्रिका 175 साल पुरानी है और मेडिकल क्षेत्र की एक अच्छी पत्रिका मानी जाती थी। मैंने 'थी' शब्द का प्रयोग इसलिए किया, क्योंकि हमें गौर से उसके चरित्र में हुए परिवर्तन को देखना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के उस नेता का नाम लेना नहीं चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने लैंसेट मैग्ज़ीन के एक आर्टिकल को, एक ट्वीट को रीट्वीट किया था, जिस 'लैंसेट' मैग्ज़ीन ने भारत में कोविड मैनेजमेंट पर सवाल खड़ा किया। आप कर सकते हैं, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है और आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन देश की संप्रभुता के सामने अभिव्यक्ति की आज़ादी का महत्व नहीं रह जाता है।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (MS. INDU BALA GOSWAMI): Please continue.

श्री राकेश सिन्हा: 8 मई, 2021 को 'लैंसेट' ने एक सम्पादकीय लिखा। उस सम्पादकीय में भारत सरकार के कोविड मैनेजमेंट की आलोचना की गई है। वह 'लैंसेट' मैग्ज़ीन क्या है, यह मैं अपने विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं, वह जानने के बाद आप उस गलती को नहीं दोहराएंगे। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : माननीय सदस्यगण, आपका नम्बर आएगा तो आप बोलिये। सिन्हा जी, आप अपनी बात रखिये। ...(व्यवधान)...प्लीज़ बोलने दीजिए।

श्री राकेश सिन्हा: चीन ने उस 'लैंसेट' मैग्ज़ीन में 10 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट 2010 में किया था। 2010 में 'लैंसेट' मैग्ज़ीन में कम्युनिस्ट चाइना ने 10 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था।...(auauन)... I am not yielding. ...(Interruptions)... Kindly don't interrupt. ...(Interruptions)... Nobody has a right to dictate to me what I have to speak. ...(Interruptions)...

DR. K. KESHAVA RAO: Nobody is dictating to you. ... (Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : माननीय सदस्यगण, प्लीज़ बैठिए, उनको बोलने दीजिए।

SHRI RAKESH SINHA: Kindly allow me. ... (Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : प्लीज़ बैठिए।

श्री राकेश सिन्हा: उपसभाध्यक्ष महोदया, कृपया मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। उस लैन्सेट मैग्जीन की साउथ एशिया की जो संपादिका हैं, हेलेना वांग, वे चीन की नागरिक हैं। संपादिका, जो चीन की नागरिक हैं, भारत में कोविड मैनेजमेंट पर लिखती हैं और भारत की एक प्रमुख विपक्षी पार्टी उसको री-ट्वीट करती है। यह विपक्षी पार्टी ...(व्यवधान)...

अब उससे आगे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी अपने प्राइवेट मेम्बर बिल को रखते हुए मनोज झा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन उस महत्वपूर्ण बात में राजनीति आ गई। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस एक बड़ा क्षेत्र है और उन्होंने इंश्योरेंस की चर्चा की, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। इस देश में 20-25 प्रतिशत लोगों को इंश्योरेंस मिलता रहा है और 30-40 प्रतिशत लोग वे हैं, जो इंश्योरेंस कराने की स्थिति में नहीं रहते थे। मेडिकल टर्मिनोलॉजी और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में उनको 'मिसिंग मिडल' कहते थे। बीच के वे लोग इंश्योरेंस तक नहीं पहुँच पाते थे। भारत को आजाद हुए 2014 में कितने साल हुए, उसे गिनाने की जरूरत नहीं है। वे

'मिसिंग मिडल' के आँकड़े हमने नहीं बनाए हैं। प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने 2014 में आते ही क्या किया! इंश्योरेंस के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य हुआ है। चार व्यक्तियों का परिवार, साल में 12 हजार रुपए, पर डे आठ रुपए देकर 50 हजार से लेकर 10 लाख का कवर जिस व्यक्ति को दिया गया है, जो ऊँचे वर्ग के लोग हैं, शायद उन्हें इसका मतलब मालूम नहीं होगा, लेकिन जो गाँवों में रहे हैं, जिनके पड़ोस में गरीब रहा है, जो स्वयं गरीबी की यात्रा से यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्हें उस इंश्योरेंस का मतलब मालूम है, उन्हें प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी की उस प्राथमिकता का मतलब मालूम है। इसलिए जब प्रधान मंत्री जी जनता के पास जाते हैं, तो वह उनको हर जगह दिल से आशीर्वाद देती है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष महोदया, 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' २०१८ में प्रधान मंत्री जी ने लॉन्च की थी। 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' के अंतर्गत १०.९ करोड़ परिवार, १०.९ करोड़ फेमिलीज़, 49 करोड़ इनडिविज़ुअल्स को इस इंश्योरेंस के अंतर्गत लाया गया। उन लोगों को कष्ट हो रहा है, जिन्होंने 1971 में 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था। वे गरीबी बढा कर 'गरीबी हटाओ' का नारा देते रहना चाहते थे। हम उन गरीबों तक इंश्योरेंस लेकर पहुँचे हैं, जो शहरों तक था, अमीरों तक था। हम गरीब की कुटिया तक पहुँचे हैं। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंश्योरेंस दिया जा रहा है। कश्मीर से कन्याकृमारी तक लोगों को इंश्योरेंस मिल रहा है। ...(व्यवधान)... उपसभाध्यक्ष महोदया, मुझे लगता है कि भारत एक संवाद का देश है। अगर मेरी बात को किसी को खारिज करना हो, तो आपको मेरी बात को खारिज करने का समय मिलेगा। हम वह काम न करें, जो टीवी चैनलों पर होता है। हम अपनी बात कहें, जो बात आपको अच्छी लगती है, आप उसे स्वीकार कीजिए और जो खराब लगती है, उसे अपने भाषण में खारिज कीजिए। जब मनोज झा जी बोल रहे थे, तो किसी ने आपत्ति नहीं जताई। ...(व्यवधान)... माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आने से पहले सिर्फ एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ था। एम्स के कर्तृत्व और एम्स की गुणवत्ता पर पूरा देश गर्व करता है। मैं राजकुमारी अमृत कौर जी को याद करना चाहता हूं, जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थीं। 1946 में इंडियन हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी ने यह अनुशंसा की थी कि भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सेंट्रल इंस्टीट्युशन होना चाहिए। 1946 में यह अनुशंसा हुई थी और 1956 में एम्स की स्थापना हुई थी। 10 साल तक राजकुमारी अमृत कौर ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूज़ीलैंड तक और फोर्ड फाउंडेशन के चक्कर लगाती रहीं। उन्होंने नीदरलैंड, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फोर्ड फाउंडेशन से धन इकट्ठा किया, तब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ बना। इसका श्रेय सिर्फ राजकुमारी अमृत कौर को जाता है, जिन्होंने एम्स की स्थापना की। लेकिन 1956 में एक एम्स बना, उसके बाद अटल जी सरकार के आने के बाद छ: एम्स की स्थापना की गई। हालांकि उनकी सरकार वह कार्य पूर्ण करने से पहले ही चली गई, बाद में वह कार्य पूरा हुआ, लेकिन 2014 तक हमारे देश में 7 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ थे। 2014 के बाद से आज तक, जब हम 2022 में हैं, प्रधान मंत्री जी ने अभी देवघर में सोलहवें एम्स का उद्घाटन किया, यानी 7 से 16 एम्स हो गए। 1956 से लेकर अटल जी की सरकार बनने तक हमारा देश सिर्फ एक ही एम्स पर निर्भर था, अटल जी के समय में 6 एम्स बने और उसके बाद वह सिलसिला वहीं स्थिर हो गया। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं!

महोदया, 2014 से 2022 तक हमने 16 एम्स बना दिए और हम दावा करते हैं कि प्रधान मंत्री जी इस देश में 22 एम्स बनाने वाले हैं। हिन्दुस्तान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा, जहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ नहीं होगा। अब किसी भी बीमार व्यक्ति को दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने ही क्षेत्र में उसका इलाज होगा। यह राइट टू हेल्थ नहीं है तो और क्या है? ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष महोदया, किसी देश के सदन में किस बात की चर्चा होनी चाहिए? डब्ल्यूएचओ का एक पैमाना है कि 1,000 लोगों पर कम से कम एक चिकित्सक होना चाहिए, लेकिन अगर मेडिकल अंडरग्रेजुएट्स और पोस्टग्रेजुएट्स पैदा ही नहीं होंगे, तो डॉक्टर्स कहां से आएंगे? भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। बारीकी से उन्होंने उन सभी बातों को देखा कि आखिर कानून कहां है। हम बार-बार स्वास्थ्य की बात तो करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि हम 10 लाख करोड़ रुपये भी खर्च कर दें, तब भी रात ही रात में डॉक्टर्स कैसे पैदा हो सकते हैं? इस देश में कितने रिजस्टर्ड चिकित्सक हैं, जो अंडरग्रेजुएट्स हैं? 2014 से पहले एमबीबीएस अंडरग्रेजुएट्स में 51,000 छात्रों का एडिमशन होता था। 2017 में उनकी संख्या 67,000 हो गई और 2022 में उनकी संख्या बढ़ कर 90,000 हो गई। हम डब्ल्यूएचओ के उस आंकड़े को पार कर गए, जिसमें कहा था कि 1,000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। आज 1,000 की पॉपुलेशन पर 1.33 डॉक्टर्स हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2025 आते-आते हमारी सरकार उस आंकड़े पर पहुंच जाएगी, जब 1,000 लोगों पर तीन डॉक्टर्स होंगे। जो अमरीका का आंकड़ा है, उसको हम पार कर जाएंगे और हम ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े के बराबर होंगे, पूरी दुनिया इसको देखेगी।

महोदया, समाज में परिवर्तन के लिए बुनियादी सुधार की जरूरत होती है, समाज में परिवर्तन के लिए नारों की जरूरत नहीं होती है। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस समाजवाद की बात कर रहे थे, उस समाजवाद को हमने 1948 से देखा है। कभी अवाडी कांग्रेस में सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, कभी डेमोक्रेटिक सोशलिज़्म, कभी वेल्फेयर स्टेट, कभी गरीबी हटाओं के नारे, इन सब चीज़ों को देखा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग झोलाछाप डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट करवाने के लिए दौड़ते थे, लेकिन चिकित्सक नहीं मिलता था। आज हमने चिकित्सकों की संख्या को, प्रति 1,000 जनसंख्या पर 1.33 डॉक्टर्स कर दिया, तो आने वाले समय में यह संख्या हम कहां पहुंचाएंगे, इसकी आप कल्पना कीजिए। यह राइट टू हेल्थ नहीं है तो और क्या है?

महोदया, आगे एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया। महोदया, इस देश में स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रश्न है, यहां की सरकारों और यहां की व्यवस्था ने जिसकी उपेक्षा की। पहले उन लोगों को विकलांग कहा जाता था। यह स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रधान मंत्री जी ने इसकी शब्दावली में परिवर्तन किया और विकलांग की जगह उन्हें दिव्यांग कहा तथा The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 लाया गया। आज 70 मिलियन, यानी सात करोड़ लोगों को इसका फायदा हो रहा है। भगवान न करे, किसी के परिवार में कोई दिव्यांग आए, लेकिन यदि दिव्यांग आता है, तो भारत का समाज उसका स्वागत करता है, अपने बच्चे को उसी सामान्य तरीके से पालता है, बल्कि उसे ज्यादा महत्व देकर पालता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में 2014 में प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद दिया गया। आप आज हिन्दुस्तान में देखिये, पूरे दिव्यांगों का सर्वे करने जाइये, आप चार दिव्यांगों से मिलकर आइये और देखिये कि आज भारतीय राज में 2014 के बाद उन्हें कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, कौन सा महत्व दिया गया है, कौन सा सम्मान दिया गया है।

महोदया, इन सभी प्रश्नों को लेते हुए एक दूसरा सवाल उठता है कि हेल्थकेयर में जैसे- जैसे हमारी जीवन पद्धितयां बदल रही हैं, वैसे-वैसे बीमारियों का स्वरूप बदल रहा है। इस मामले में एक सरकार को संवेदनशील होना पड़ता है, उसमें दूरहिष्ट होनी चाहिए, उसमें सूक्ष्म रूप में चीजों को देखने की क्षमता होनी चाहिए। यदि आप इन्हें सूक्ष्म रूप से नहीं देखेंगे, तो रेयर डिज़ीज़ेज़ ऐसी बीमारियां, जिनका नाम भी हम बोल नहीं सकते हैं, जिनका नाम ढूंढ़ना पड़ता है। आप गांवों और शहरों में जाइये, ऐसी रेयर डिज़ीज़ेज़ वाले लोग मिल जाएंगे। पहले उनके लिए क्या सुविधाएं थीं? ये डिज़ीज़ेज़ कभी अमेरिका में होती थी, कभी यूरोप के देशों में होती थी? अब इन डिज़ीज़ेज़ का भारत में आगमन हो चुका है और इनकी अच्छी-खासी संख्या है। पिछले 25 सालों से रेयर डिज़ीज़ेज़ वाले लोग दम तोड़ते रहे। प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने National Policy for Treatment of Rare Diseases, 2017 में बनायी और ऐसा पहली बार हुआ है।

महोदया, मैं एक दियारा क्षेत्र में गया था, दियारा क्षेत्र वह होता है, जहां नदी के कटाव के कारण एक ही फसल हो पाती है। जहां घर सुरक्षित नहीं है, वहां स्वास्थ्य की बात आप क्या करेंगे? मुझे ऐसी रेयर डिज़ीज़ेज़ के तीन पेशेन्ट्स मिले और मैंने तीनों के चेहरों को देखा, उनके चेहरों पर खुशी थी कि आज राज्य उनकी इन विशेष परिस्थितियों में उनके सामने आ रहा है। मैं जिस संवेदनशीलता की बात कर रहा हूं, यदि नेतृत्व में संवेदनशीलता होती है, तो राज्य की व्यवस्था वैसे ही काम करती है। हमारे प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी उसी संवेदनशीलता के साथ उन सूक्ष्म चीजों को देख रहे हैं, जिन्हें आप 70 सालों तक नहीं देख पाये, चूंकि न तो आपमें संवेदनशीलता थी और न दूरहष्टि थी।

हमारे देश में एलोपैथिक मेडिसिन आने से पहले अपनी इनडिजिनस मेडिसिनल व्यवस्था थी, अपने यहां स्वास्थ्य की एक व्यवस्था हुआ करती थी। आप ट्राइबल क्षेत्रों में चले जाइये, जो मेडिसिन्स हैं, मेडिसिनल प्लान्ट्स हैं, ऐसे हजारों मेडिसिनल प्लान्ट्स की वे रक्षा कर रहे हैं, उन्हें बढ़ा रहे हैं, उनका रख-रखाव कर रहे हैं। आप गांवों में चले जाइये, मेडिसिन्स की उनकी अपनी एक परम्परा थी, उस व्यवस्था और परम्परा के अनुसार 2014 में प्रधान मंत्री जी ने आयुष मंत्रालय का गठन किया। इसके अलावा आयुर्वेद के महत्व को देखते हुए आयुर्वेद कॉलेजेज़ की संख्या बढ़ाई गई तथा 47 नये आयुर्वेद और यूनानी कॉलेजों की स्थापना की, वहां आज आयुर्वेद की लगभग 42 हजार सीट्स हैं और 4 हजार यूनानी की सीट्स हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एक व्यापक परिवर्तन 2014 के बाद आया है, वह परिवर्तन हमने तब देखा, जब सौ सालों के बाद इस देश पर आपदा आई, तो मेरे साथी कहते हैं और दुनिया में संदेश देने जाते हैं कि भारत ने आपदा के मामले में विफलता पाई, वे यह भूल जाते हैं कि पहली बार इस आपदा के समय में नेतृत्व ने आपदा से लड़ाई को जनयुद्ध बना दिया।

चिकित्सकों का उत्साह, चिकित्सकों का साथ देने वाले लोगों का उत्साह और आम लोगों की ताकत ने कोविड के दौरान प्रधान मंत्री जी की हर अपील को स्वीकार किया। आज हम सुरिक्षत हैं, तो इसका कारण है - कोविड वैक्सीनेशन। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कोविड वैक्सीनेशन के बारे में विस्तार से बतायेंगे, लेकिन कोविड वैक्सीनेशन में हमने 'वसुधेव कुटुम्बकम्' के नारे को वास्तव में व्यवहार में लाते हुए देश और देश से बाहर वैक्सीनेशन किया। आज हिन्दुस्तान में जो कोविड वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना है - आप अमेरिका जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, यूरोप के देशों को देखिए - इतने 130, 132, 140 करोड़ के देश में, जहाँ जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उस देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बुनियादी परिवर्तन आ रहा है, उस

बुनियादी परिवर्तन का अभिनन्दन करना चाहिए। व्यवस्था में जो किमयाँ होंगी, उन पर सुझाव देना चाहिए। रचनात्मक सुझाव लोकतंत्र में स्वीकार्य होता है, लेकिन रचनात्मक सुझाव देने की जगह यदि आप विध्वंसात्मक सुझाव देते हैं, यदि देश की छिव स्वास्थ्य के क्षेत्र में खराब करते हैं, तो आपमें और लैन्सेट में कोई अन्तर नहीं रह जाता है। कृपया लैन्सेट का अनुकरण नहीं कीजिए। देश में पानी के भरे हुए गिलास में आप देखना चाहते हैं कि यह आधा है या खाली है। आप उस फेज़ को देखिए। मुझे लगता है कि इस देश को प्रधान मंत्री जी ने जो एक नारा दिया - वह अन्तिम बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मेरी दादी, मेरी माँ जिन परिस्थितियों से गुजरी थीं, उन परिस्थितियों से हमारी बेटियाँ न गुजरें, इसकी चिन्ता एक प्रधान मंत्री ने की है। सैनिटरी नैपिकन का नाम हमने सुना होगा। मैं एक पढ़ा-लिखा इंसान हूँ। मेरी पत्नी ने एक बार कहा कि आप जाकर दुकान से वह ले आओ, मगर मैं मेडिकल शॉप से उसे लाये बिना लौट आया, चूँकि वहाँ लोग खड़े थे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, लेकिन साहस नहीं हो पाया।

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : राकेश जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री राकेश सिन्हा: महोदया, मैं एक मिनट में इस बात के बारे में बताने के बाद अपनी बात समाप्त करूँगा।

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2020 में लाल किले से जब कहा कि हम अपनी सभी बहन, बेटियों को सैनिटरी नैपकिन पहुँचायेंगे, तो प्रधान मंत्री जी के इस कथन पर मैंने अपने चार वामपंथी महिला मित्रों से पूछा। मैं उनसे लगातार संवाद में था और वे\_मेरी आलोचना करती रहती थीं। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार for the first time a progressive statement coming from a Prime Minister, a right reactionary Prime Minister. मैंने कहा कि पहली बार कोई प्रगतिशील स्टेटमेंट तो आ रहा है। देश में जो 'जनऔषधि केन्द्र' खोले गये हैं, आज 8,600 से अधिक 'जनऔषधि केन्द्र' हैं, जहाँ पर गरीब लोगों को ऑथेंटिक मेडिसिंस ऑथेंटिक प्राइस में सुविधाजनक रूप से मिल रही हैं, जेनरिक मेडिसिंस मिल रही हैं। क्या इसका महत्व हम नहीं समझ पा रहे हैं? मैं मेघालय के जिस गाँव में गया, उस गाँव में 'जनऔषधि केन्द्र' के द्वारा सैनेटरी नैपिकन पहुँच रहा है। जो लोग एक ऐसी व्यवस्था में बँधे हुए हैं, जिसमें गरीब बेटियाँ अपने पिता से सैनिटरी नैपकिन के लिए नहीं कह सकती हैं, जिसमें इसका नाम लेना भी गूनाह माना जाता है, यदि वे उसके महत्व को नहीं समझते हैं, तो उनको स्वास्थ्य पर चर्चा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने पूरी बुनियाद बदल दी है, उस बदली हुई बुनियाद को स्वीकार कीजिए, उस यात्रा में शामिल होइए, न कि आलोचनात्मक बातें कह-कह कर अपनी ही छवि को जनता के सामने खराब कीजिए। भारत की जनता एक मत से स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधान मंत्री के किये गये कार्यों की सराहना करती है। मैं उनका अभिनन्दन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ, धन्यवाद।

#### MESSAGES FROM LOK SABHA

THE VICE-CHAIRMAN (MS. INDU BALA GOSWAMI): Messages from Lok Sabha; Secretary-General.

- (I) The Indian Antarctic Bill, 2022.
- (II) The Biological Diversity (Amendment) Bill, 2021.

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Indian Antarctic Bill, 2022, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 22<sup>nd</sup> July, 2022."

(II)

"I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 22<sup>nd</sup> July, 2022, has adopted the following motion regarding further extension of time for presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Biological Diversity (Amendment) Bill, 2021:-

#### **Motion**

"That this House do further extend up to the last week of Monsoon Session 2022 of the Parliament the time for presentation of the Report of the Joint Committee on the Biological Diversity (Amendment) Bill, 2021, which was extended upto the first week of the current session on a motion adopted by this House on 18 July, 2022."

I lay a copy of the Indian Antarctic Bill, 2022 on the Table.

PRIVATE MEMBERS' BILLS - Contd.

The Right to Health Bill, 2021 - Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (MS. INDU BALA GOSWAMI): The next speaker is Shrimati Rajani Ashokrao Patil.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका अभिनन्दन करती हूँ क्योंकि आप पहली बार इस आसन पर बैठी हैं। प्रो. मनोज कुमार झा जी एक महत्वपूर्ण विषय पर अपना बिल लाए हैं, मैं उस पर अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। हमारे साथी, राकेश सिन्हा जी ने नहीं-नहीं कहते हुए पूरी की पूरी पोलिटिकल बात यहाँ पर कह दी। मैं यहाँ पर खुद का अनुभव बताना चाहती हूँ। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पर हैं। जब मैं सात दिन पहले संसद को अटेंड करने के लिए दिल्ली आई, तब सुबह तीन बजे अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैडम, मैं यहाँ पर अकेली आती हूँ और फ्लैट में अकेली रहती हूँ। आप भी वहाँ पर 'ब्रह्मपुत्र' में रहती हैं और साथ वाली बिल्डिंग 'स्वर्ण जयंती डीलक्स' में मैं रहती हूँ। मैं तीन बजे सुबह बेहोश हो गई थी, क्योंकि मुझे फूड प्वाइज़िनंग हो गई थी। वहाँ पर सिर्फ एक मेड और एक ड्राइवर था। मेरी गाड़ी भी घर में नहीं थी। मैंने बाद में गाड़ी मँगवाई। मैंने बोला कि मुझे किसी भी तरह से राममनोहर लोहिया अस्पताल ले चलो। मैं इतना ही बोल पाई। जब मुझे वहाँ तक लेकर गए, मुझे यह नहीं मालूम कि मुझे वहाँ तक कैसे लेकर गए, तो वहाँ पर बहुत गंदगी थी और बहुत सारे लोग थे। एक 10x10 के रूम में आठ-दस स्ट्रेचर्स लगे हुए थे और वहाँ पर एक के ऊपर एक लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर लोग चिल्ला रहे थे, वहाँ पर एक के ऑटिक सिचुएशन थी। मैं उनको बता रही थी कि में एक एमपी हूँ। ...(व्यवधान)... आप थोड़ा एम्पेथेटिक हो जाइए, मैं मरते-मरते बची हूँ। ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : माननीय सदस्या, कृपया आप चेयर को एड्रेस कीजिए।...(व्यवधान)...

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : यह आठ दिन पहले की बात है। कृपया आप सुन लीजिए।...(व्यवधान)... मैंने डॉक्टर्स को बोला, क्योंकि वे चाय पी रहे थे, चाय पर चर्चा कर रहे थे, कोई सफाई कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, मैंने बोला कि आप चाय वगैरह की बात मत कीजिए, पहले मुझे एडि्मट करके सेलाइन लगा दीजिए, क्योंकि मैं मर रही हूँ। यह हमारी स्थिति है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ यह है कि अगर यह हमारे साथ हो सकता है, तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आम लोगों के साथ क्या होता होगा। बाद में फिर मुझे नर्सिंग होम लेकर गए, फिर १ बजे के बाद डॉक्टर्स की टीम आई। तीन घंटे के बाद डॉक्टर्स की टीम आई, तीन घंटे मुझे ऐसे ही बिताने पड़े। यह मेरा खुद का अनुभव है। सिन्हा साहब, यह मेरा खुद का अनुभव है। इसमें मुं कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ। अगर आप चाहते हैं, तो आप वहाँ पर डॉक्टर्स से पूछ सकते हैं। मैं कुछ भी गलोरिफाई नहीं कर रही हूँ।...(व्यवधान)...

मैं दूसरा अनुभव बताना चाहती हूँ। दो दिन पहले पेपर में एक न्यूज़ आई थी।...(व्यवधान)... यह हँसने वाली बात नहीं है।...(व्यवधान)... यह आपके साथ भी हो सकता है।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : माननीय सदस्या, कृपया आप चेयर को एड्रेस कीजिए।...(व्यवधान)...

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : अगर एक महिला के साथ ऐसा होगा, तो आप हँसेंगे? ...(व्यवधान)... दो दिन पहले एक न्यूज़ आई थी। 21 साल की एक लड़की, जो प्रेग्नेंट थी, उसके

33 वीक्स पूरे हुए थे, वह उत्तर प्रदेश से आई थी। वह सफदरजंग हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स से बार-बार विनती कर रही थी। डॉक्टर्स से बोल रही थी कि मुझे एड्मिट कर लीजिए, शायद मेरी डिलीवरी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे एड्मिट नहीं किया। उसको बोला गया कि आप सोनोग्राफी करवाइए। सोनोग्राफी की मशीन बंद थी। वह रात भर डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन उसको एड्मिट नहीं किया गया। रास्ते में उसकी डिलीवरी हो गयी। साढ़े सात बजे रास्ते में ही उसकी डिलीवरी हो गई, उसकी बच्ची पैदा हो गई। आपने देखा होगा कि सभी पेपर्स में वह न्यूज़ आई थी। मैं यह प्रैक्टिकल न्यूज़ बता रही हूँ। मैं इसमें कुछ भी बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बोल रही हूँ। मेरा क्रिटिसाइज़ करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन we have to be empathetic. हमें एम्पेथेटिक तो होना चाहिए। यह सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर बोलना भी नहीं चाहती थी। जब मैंने प्रो. मनोज कुमार झा जी के बिल का विषय पढ़ा, तो मैंने खुद जाकर बोला कि मैं इस विषय पर बोलना चाहती हूँ, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें में भी अपना कुछ अनुभव बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस विषय पर बोलना चाहती हूँ और अभी मैं आपकी अनुमित से इस विषय पर बोलने के लिए खड़ी हूँ। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया। मैं सिर्फ दो-तीन चीज़ें शेयर करना चाहूँगी।

यहाँ पर कोविड का जिक्र किया गया। कोविड से हम सब जूझ रहे थे। हमने भी इस महामारी में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। हम भी 20-20 दिन हॉस्पिटलाइज़ हुए थे। जिनकी जगह पर मैं आई हूँ, जिनका उल्लेख प्रो. मनोज कुमार झा जी ने किया, राजीव सातव, मेरे छोटे भाई, वे इस महामारी में गुज़र गए। हमारे अहमद पटेल जी भी इस महामारी में गुज़र गए। जब सरकार से महामारी के संदर्भ में पूछा गया, तो हमेशा गलत आँकड़े दिए गए।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : माननीय सदस्य, कृपया उनको बोलने दीजिए।...(व्यवधान)...

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : \* मैडम, मैं आपको एक दूसरी बात यह बताना चाहती हूँ कि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन एक आंकड़ा दे रहा है, तब गवर्नमेंट दूसरा आंकड़ा दे रही है। मेरा सिर्फ एक ही सुझाव है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सर्टिफिकेट देती है, तब उसमें आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी साहब, जिनका नाम सुनते ही आप टेबल थपथपाते हैं, अब भी इन्हें ऐसा करना चाहिए ...(व्यवधान)... जी, बिल्कुल करिए। ...(व्यवधान)... \*

मैडम, यहाँ पर फिज़िकल और मेन्टल हेल्थ की बातें की गईं। मैं मनोज झा जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ। मेन्टल हेल्थ का इश्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इसे अलग करना चाहिए था। हम रूरल एरिया से आते हैं। मेन्टल हेल्थ का इश्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस पर हम हमारे रूरल एरियाज़ में ध्यान नहीं देते। अगर किसी महिला को यह तकलीफ होती है, तब हम बोलते हैं कि इसे कुछ नहीं हुआ है, यह ज्यादा नखरे कर रही है, लेकिन मेन्टल हेल्थ का इश्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ...(व्यवधान)... मेन्टल इश्यू पर अलग से चर्चा करना आवश्यक है। ...(व्यवधान)... इसके साथ ही, मुझे लगता है कि मेरी ये जो बहनें हैं, इन्हें सीरियस होने की जरूरत है। यह राज्य सभा है, यहाँ हम कोई हँसने वाली बात नहीं बोल रहे हैं।

<sup>\*</sup>Expunged as ordered by the Chair.

...(**व्यवधान**)... मैडम, इन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप थोड़ी सहानुभूति रखिए। ...(**व्यवधान**)...

मैडम, मैं महाराष्ट्र के संबंध में एक-दो बातें और बताना चाहती हूँ। मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट बीड है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर गन्ना तोड़ने का काम होता है और जब महिलाएं गन्ना तोड़ने के लिए जाती हैं, तो उन गन्ना तोड़ने वाली महिलाओं की एफिशिएन्सी बढ़े, इसलिए उनका गर्भाशय निकलवाया जाता है। इसे लेकर इंटरनेशनल मीडिया ने भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं। अगर गन्ना तोड़ने के लिए उनका गर्भाशय निकाला जाता है, तब वे ज्यादा एफिशिएन्टली काम करती हैं। अतः वे ज्यादा काम कर सकें, इसलिए उनका गर्भाशय निकाल देते हैं। इस पर भी हेल्थ मिनिस्टर को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे यहाँ लड़िकयों के गर्भपात कराने के जो प्रमाण हैं, वे भी बीड डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रोफेसर झा, यह इतनी बड़ी व्याप्ति है कि यह इश्यू एक घंटे में पूरा नहीं होने वाला है। ...(व्यवधान)... जब मैंने मुद्दे देखे, तो पाया कि हम यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे उठा सकते हैं। ...(व्यवधान)... मुझे लगता है कि पीएम केयर्स फंड, गंगा की लाशें, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिन्हें हम यहाँ बोल सकते हैं। अभी माननीय सदस्य सिन्हा जी भी बोले। ...(व्यवधान)... जब नेहरू जी ने यह कार्य संभाला, जब नेहरू जी प्रथम प्रधान मंत्री बने, तब उन्होंने पहली बार यह किया। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : प्लीज़, माननीय सदस्या को बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, प्लीज़ माननीय सदस्या को बोलने दीजिए।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल: महोदया, उन्होंने कहा कि अगर इस देश में किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो हमें आईआईटी की आवश्यकता है, आईआईएम की आवश्यकता है, हॉस्पिटल्स की आवश्यकता है। ...(व्यवधान)... अगर इस देश में मंदिर से भी ज्यादा कुछ चाहिए... ...(व्यवधान)... इस देश को खड़ा करने के लिए 70 साल में क्या किया-क्या किया, यही गूँजता रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने 70 साल में यह किया और इसीलिए आप सब लोग खड़े हैं। ...(व्यवधान)... यही बताकर, मैं अपनी बात को समाप्त करूँगी, धन्यवाद।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Thank you, Chairperson Madam. I don't have the luxury of rhetoric, even if I wanted to, due to paucity of time. But I would say that right to health is already a Fundamental Right. It is already an inalienable right and this has been pronounced by the hon. Supreme Court as late as July 2020. It has said that it is the duty of the State to ensure the right to health. So, when I look at this Private Member's Bill saying that this Bill is to provide for health as a Fundamental Right to all citizens, I think, that health for all or universal health coverage has already been read into Article 21. And, therefore, to have a separate Right to Health Bill, 2021, to me, makes no sense.

Now, I come to another structural defect in the Bill. The Bill, at Clause 5, mentions right to food, right to water, right to sanitation, right to therapy, right to healthcare services, right to road safety, right to occupational safety, protection, etc.

Everything is already covered under separate legislations. Bringing in more legislation or more provisions will not really solve the problem. The problem, which I completely agree with the sentiments expressed on both the sides, is that health is an issue in the country and that health has remained to be an issue since Independence, and that is because the resources available in the country for generating this kind of health infrastructure, both physical and human resources, has not been available. None can deny the fact that the life expectancy since Independence has climbed up from 33-35 to 73-75. It has been possible only because every Government has created the health infrastructure. But, at the same time, at a time when we are discussing this, the Fifteenth Finance Commission says something and I don't really agree with my friend, Rakesh Sinhaji, because the Fifteenth Finance Commission's figure as per WHO's recommendation is one doctor per 1,000 people but India currently has one for every 1,511 people. So, we are way off the mark and if I go to specialists, I think, it is far worse. If we look at the nurse to population ratio, it is 1:670 whereas the WHO norm is 1:300. I can go on and on.

The most important fact is that even till now, the out-of-pocket expenses for a household in India going towards health expenditure account is about 54 per cent, which is very, very high. Therefore, there is a need for universal health coverage and health for all. In fact, Madam, I just recently attended a Global Conference of Parliamentary Union. There, health for all was expressed as the aspiration for every global citizen, not just for Indian citizen. This has become accentuated by the fact that post-pandemic, the people have realised that none is safe until everyone is safe. Therefore, when I say that we have to ensure right to health, we have to ensure that this infrastructure, first of all, is available. How to meet this? There has been a suggestion in this Bill that it will be through a Central legislation whereas health is a State subject. I will not get into the fact whether it can be legislated Centrally because it is a State subject. Education is a State subject but a Bill relating to right to education has been passed by the Centre, enabling the States to make separate rules and spend money. But, what is important is that the health expenditure that we do is only 1.5 to 1.7 per cent even after 75 years, whereas the WHO norm is 2.5 per cent of your GDP and our own National Health Policy norm is 2.5 per cent of our GDP! I think, that is a matter of concern.

The real concern is where will the States get the money from? Where will the State resources come from? But, then, I must say that despite resource constraints, take the case of Odisha. In Odisha, we have the Biju Swasthya Kalyan Yojana which has been made into a scheme by the hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik. We are not subscribing to Ayushman Bharat because our scheme ensures health for all in a true sense. Every APL or BPL family member, whether outdoor patient or indoor patient, can walk into a Government hospital and he will get all kinds of treatment free

of cost. If he has to get service from outside the State, there are 200 hospitals which have been empanelled.

That is the ideal model I would say, but it requires resources. Not all the States could probably afford it, but this is where the Centre should move from an insurance model to a rights-based health model where every citizen of India can walk into a hospital and get free medical treatment both indoors as well as outdoors. Mind you, Ayushman is only for indoor health care services, not for outdoor services.

Now I come to a very salient point and this is relating to the fact that Manoj ji spoke about figures relating the National Family Health Survey. He talked about life expectancy. Now I come to the pandemic. If you look at the pandemic, it overwhelmed the health infrastructure of advanced countries too. We, nor any country, can provide for reserves or a redundant health infrastructure to such an extent that it can meet any pandemic, but what all of us can do, what India can do, is to be prepared for it. Follow the disaster preparedness model that we have already shown. In Odisha, we have done it. Follow a pandemic preparedness model. The whole world, currently the IMF, the World Bank and the WHO are talking about pandemic preparedness treaty. And when you talk about pandemic preparedness, we will naturally be looking into both the human infrastructure as well as the physical infrastructure. Our emphasis in policy has always been on outputs, not on outcomes, and that is the biggest bane. When we are talking about setting up of hospitals, we say, we have set up hospitals without doctors. We have set up hospitals without paramedic staff. We have set up hospitals without nurses. Now, that is why, it is important to emphasize only on outcomes. Let outcomes be the criteria of all our policies, particularly health and education, of course.

Another point which I will talk about is the responsibility or the ownership that the community can take in health-related matters. We have seen during the pandemic that community rose to the occasion, women's Self Help Groups rose to the occasion in States like Odisha to communicate ideas relating to prevention and preparedness of the first wave of the pandemic and that is most important, the preparedness aspect, and therefore, I harp on a pandemic treaty or I harp on health preparedness scheme. If you emphasize on preparedness, I am sure everything will be taken care of. Lastly while talking about the Bill, -- I do not want to use the word - this is an umbrella legislation for which separate legislations already exist. There is no point having another Act when the basic question of supply and distribution is not addressed. You have to supply and not even stop at that, you have to distribute those. Now, both these things can happen. It has happened over a period of time so far. It is not that it has not happened in the last 75 years, but what has happened is at a very slow pace. We need to move on. We need to move very fast because health,

as I said, is already accepted as an inalienable fundamental right of every Indian citizen. Thank you.

DR. K. KESHAVA RAO (Telangana): Madam, before I really get into the Bill, let me say one thing to Mr. Patnaik. It is true that the Supreme Court had given its judgment. Hence, according to me, there is no need for this Bill. But, we have not yet passed any legislation. The States have not taken cognizance of what the Supreme Court had said. What the Supreme Court had said has not been taken cognizance of by the States. We are not under para 3 of the Constitution. Still, it continues to be a State Subject. Therefore, on a Bill like this, which aims to make 'health' a fundamental right and bring it under para 3, there is a scope for States to step in. It will then help the States. ... (Interruptions)... Not necessary. Not necessary at all, because we are talking here of three things. The first one is conditions, the second is funds and the third is accessibility. These three things are entirely different and fall within the domain of the States. Anyhow, I only wanted to say one thing. It is true that the Supreme Court had said and there is not much to talk about national policy. But, nonetheless, there must be.

Madam, I have born; I have the right to birth. When I have a right to birth, I must have the right to life. It is already there. You need not give it to me through legislation. So, right to life is intrinsic to right to health. These two things are intertwined. You cannot separate them. That exactly what the spirit of this Bill is. Once you agree to the first one, the second one will automatically follow. Let us understand what exactly its needs are. Today, we have the Right to Education. It is for betterment of life. You have said something about developmental activities, corporate activities and infrastructure activities. They are for the betterment of life. So, the Bill today talks, fundamentally, about how exactly life has to be.

Hon. Member tried to make the Bill comprehensive and tried to include many things in it. But, nonetheless, it does suffer with some deficiencies. It is true. You cannot expect a comprehensive Bill, because the mover of the Bill himself said that he is apprehensive whether it will be passed or not. He is apprehensive whether the Bill will be accepted by the Government. But the question is whether it is acceptable or not. The very fact you are trying to say and what this House trying to say or focused is the point that the Government must take cognizance of it and try to incorporate important points from the Bill in their policy. That is what exactly our point of view is. Therefore, I am taking it as a fundamental thing. The right to life, being part of Article 21, yet, we also wanted this as a right so that there is a scope for legislation by the States and, at the same time, the Centre can also legislate without disturbing the rights of the States. Then, Madam, you have Articles 39, 42 and 47. They are taken care of once you make this right to life a fundamental right through legislation.

There are three things. One is this. When we talk about the Bill, we talk fundamentally, because we must talk about law and talk about the spirit of the Bill. But, my learned friend from the other side wanted to talk about politics. He has a right to talk. But, let us not politicize the issue of health. The subject 'health' is something which should not be politicized or make it partisan. He mentioned about The Lancet. What The Lancet said, what advertisements The Lancet got is another matter. It has nothing to do with it, although the Chairperson might agree with what the hon. Member has said.

Before getting into the Bill, I would like to make a few points on Ayushman Bharat. Madam, Ayushman Bharat has not been fully accepted in Telangana. Telangana today has, as a policy, created eight Government medical colleges. We have promised that 50 per cent of our districts, out of 33, would have superspecialties like we have in AIIMS and NIMS. And, we identified them in 8 districts. Hon. Health Minister knows about it. We are doing it in spite of not getting funds from the Government of India. It is an obligation to the people of the State and we are doing it. And, we are doing it on our own. That is why it takes me to the funding. Funding system is something that the mover of the Bill wanted to say, though he did not stretch much on this. Madam, Clause 7 of the Bill talks about funding. That is what exactly the concern of the entire House today is. You need funds. Today, allocation in the Union Budget for health is just 1.4 per cent of the GDP! Even the Economic Survey wanted it to be 2.5 per cent to 3 per cent. And, we — at least, I personally feel — feel it is wrong; it should be 6 per cent as far as education and health is concerned, because these are the two areas which should be the concern of the Governments. They are the concern of the Governments and other things do follow, and people themselves will take them up. But, people cannot take these two things by themselves. So, the expenditure must go from 1.4 per cent of the GDP to your own promise of 3 per cent. Madam, I am talking about issues.

### 4.00 P.M.

In Clause 2, he has given definition of 'individual'. An individual, he said, means citizen of India.

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : माननीय सदस्य, अब आप वाइंड अप करिए। आपके पास दो मिनट बोलने का टाइम था और पांच मिनट हो गए हैं।

डा. के. केशव राव: मैडम, यही तो मुश्किल है। हेल्थ का विषय आता है, तो दो मिनट का समय हो जाता है। अगर मैं एक शब्द भी, एक सेन्टेन्स भी बिल के बाहर बोलूं, तो आप मुझे बैठा दीजिएगा और मैं बैठ जाऊंगा। सवाल क्या है - Clause 2 में definition of 'individual' is given. An individual means citizen of India. Ours is such a great country. When we talk

about right to health, health facilities and universal health care --कभी आप बात कर रहे थे; he has just gone to International Conference and even the WHO says -- this can be to anyone, it need not be a citizen of India. As long as he is living in India, he should be entitled to health care. So, Clause 2 is something to which I have an objection to.

# [THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA) in the Chair.]

Madam, now I come to Clause 10(2). He talked very little about pollution. But there is nothing at all about pollution. But that is a problem. That is a very big problem. Pollution should be the special attention of the Minister. He is present here. I am telling you, the way Delhi is turning out to be a polluted city of the world, we must do something with regard to it. Although the Bill does not speak about pollution, there are some who spoke about it but did not give details of the same.

Then, he has talked about conditions. He has tried to attempt on conditions that are necessary and gave seven or eight conditions; they are not enough. Conditions are many; he has only hinted at them. So, let the Minister understand that 'condition' means something which comes to your view. You have with you the entire subject. The entire domain is with you. So, you understand the difficulties and then, you can bring it. So, don't just look at the Bill as such and say that these are the conditions. This is Clause 5 I am talking about.

Now, Clause 5(h) is about the Government's help that is necessary for famines and other things. I think it is such a big canvass that the Mover of the Bill wanted to bring in, but it is such a big thing that they can't be made judiciable always. There are a few subjects which cannot be made judiciable, the Government may do it. I am giving the details clause by clause. Please don't take it lightly; this is a very serious subject. Whether you accept it or not, accept the spirit of the Bill, accept the very content of the Bill. Try to see, if not today, tomorrow, in your policy formulations or when you formulate your policies, bring these things into that; the concerns of the citizens are only two, health and education. Education, you are trying to do. The moment the Opposition gets up, you think we are all opposed to your policies. That is very wrong. When you do wrong, please say 'wrong'.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, you need to conclude.

DR. K. KESHAVA RAO: But you can't tolerate this; that is another matter. I am reminding you what the importance of this Bill is. As you understand, water is the real thing. Today, something like two lakh people die every year because of water. Though it is not brought under this Bill, I want this to be included. Then, you have

sludge and septage management. About 90 per cent of deaths are due to this. That also must come in. So, sanitation and public health should come under public health care system.

Most important of all is the expenditure that we do on medical. About 61 per cent of the expenditure of an ordinary family, say, of a middle class family, is on health. And, 69 per cent of the expenditure on health by you-- the Central Government or the State Government -- is paid by the private man. It is private. So, it is we who are paying. Kindly see how much of a burden it is on the people. So, to relieve them, you must step in in a big way and see that the insurance scheme you are talking about, not just 'Ayushman', whichever insurance scheme you bring in, is for all the people or individuals. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Shri John Brittas; you have another speaker, and you have got two minutes. So, you can take two minutes. ...(Interruptions)...

SHRI JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, thank you very much. Me being from Kerala, which is a model State regarding the health matters, I do expect the Chair to be a little benevolent. Sir, I don't want to politicize this issue. राकेश सिन्हा जी ने बात की और चले गए। He only politicized this matter, and actually there was no need to bring in political formulations. I congratulate Shri Manoj Jha. If education can be brought as a Fundamental Right, there is no harm in bringing health, which is a cardinal issue, cardinal point, cardinal subject. Though implicitly it is part of the right to life, but health needs to be given the importance that it deserves. The biggest problem is resources. Our hon. Minister is a very straight-forward Minister. He is very genuine. He wants to do something. I know that. But he is unable to do because of lack of resources. Let us appreciate that. I will not blame him individually. The only thing is that he has to speak up. He has to tell the leadership that more allocation has to be given to the health sector.

Sir, thousands of people died without getting access to health. Even those people who got access to hospitals, they died because there was no oxygen. I don't want to remind about those days. Sir, we talk about a lot. The Ruling Party Member was very elaborate with regard to the improvements that have happened to the health sector. Sir, let me just read out one statistic. We all harp on Sri Lanka now. Now, Sri Lanka is the focus. There was a briefing by the External Affairs Minister for the leaders of all parties with regard to Sri Lanka. Sir, with regard to health, I would just point out one index. We have 1.4 hospital beds per thousand against the world average of 2.9. Sir, Sri Lanka has 3 per thousand. We all talk about Sri Lanka. There are sectors where we lag behind. We need to have more focus, more resources. Sir, if at all you

want to improve this, at least, two beds per thousand, assuming that Mansukh Sahib wants to take it two beds per thousand, for that, we need to open, at least, 5,000 more hospitals with 200 beds. Do we have the resources?

Sir, there has been a lot of talk about *Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana*. Rakesh Sinhaji was very, very kind enough to give us a lecture on that. Sir, what has happened to the allocation? The allocation has been drastically reduced. Even the allotted amount has not been spent. Let the Minister check the Economic Survey. Let him just go through the 15<sup>th</sup> Finance Commission Report. I only want the Minister to go through three-four documents. Let him not trust me. Let him think that I am trying to mislead him. Let him just go to his Economic Survey, his National Family Survey, the 15<sup>th</sup> Finance Commission and the Standing Committee Report. If he puts together these four documents, that will give the real picture of the health.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, two-three minutes more. I am from Kerala. ...(Interruptions)... You know that. Sir, Sanjay Singhji is here. His Party has been harping on Mohalla Clinic here, and his leader, Kejriwalji, has been coming to Kerala to lecture us. Sir, 60 years back, we started these Primary Health Centres. Please ask Ushaji. There is a health centre in every village.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. Hon. Member, please conclude. Your time is up.

SHRI JOHN BRITTAS: \* ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No personal remarks. No personal remarks. That will be examined.

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, two-three points more. I will just conclude.

SHRI JOHN BRITTAS: Mr. Vice-Chairman, Sir, I would make two-three points more. ... (Interruptions)...

Sir, this is something to guide and give inputs to the Minister. The biggest problem in this country is that 70 per cent of our people depend on the private sector; only 30 per cent go to the Government sector. It is just the other way round in Kerala. In Kerala, 80 per cent of the health needs are catered to by the Government sector

-

<sup>\*</sup> Expunged as ordered by the Chair.

and just 20 per cent by the private sector. One more thing -- during the Covid period, 95 per cent of the Covid patients were treated free of cost by the Government sector in Kerala. Just five per cent of them went to the private sector. Also, out of that five per cent, three per cent were supported by the *Karunya Subsidy Scheme*. Further, we put a ceiling ....(interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please ... (interruptions)... Please, Rakeshji ... (interruptions)... Shri Brittas... ... (interruptions)...

SHRI JOHN BRITTAS: You were a former....(interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Brittasji, please address the Chair. ... (interruptions)...

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, please allow me to call out two-three statistics because I don't want any obfuscation of the statistics. Just bear with me. I am not talking about Kerala. I will leave out Kerala. I know that when I talk about Kerala it is uncomfortable for some people.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Let us conclude.

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, please allow me two-three minutes more. It is a Private Members' day. You should be benevolent.

Sir, let us not grope in the dark. Let me make one other point here. What was the allocation made? Compared to the previous Revised Estimates, there has been hardly a 0.2 per cent increase despite the fact that the Covid pandemic broke out. Fifty lakh people died. There was a health emergency in the country. But what was the increase in the health budget? It was just 0.2 per cent...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. ...(Interruptions)... Please conclude. ...(Interruptions)... We will examine this. ...(Interruptions)... We will examine this. ...(Interruptions)...

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, they are interrupting me...(Interruptions)... There is one more point. When they talk about the budgetary allocation on health, just look at how they mop up the resources. They are mopping up Rs. 53,846 crore because of the four per cent cess that they are imposing on Income Tax and Corporation Tax. They are not allocating money, but they have imposed a cess on Income Tax and Corporation Tax. Again, they have imposed another cess on import duty.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude....(Interruptions)...

SHRI JOHN BRITTAS: Even then, they did not do any justice to the health sector which is plaguing. Sir, I would just wind up by saying this. The Finance Commission says that 14 per cent of the people borrow money to go to the hospitals. Every year, six crore people are plunged into poverty because they approach hospitals for their health needs. It is a shame on this country. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I will have to move on. Take 30 seconds.

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, I am winding up. We have to think about this. We are pushing people to poverty. They have nowhere to go to fulfill their health needs. We must consider this as a Fundamental Right. I would earnestly invite the hon. Minister to visit Kerala and see what we have done.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Dr. Fauzia Khan.... (Interruptions)... No cross-talk, please.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I must, first of all, thank Prof. Manoj Kumar Jha for having brought up this subject. He has brought up not just the subject of health, but also the voices, the anguish and pains of the poor and the deprived, and not just the poor and the deprived but also the middle class, white collared population who suffer because of lack of quality healthcare. As Rajani Tai mentioned, even as a Member of Parliament, what she had to undergo in an emergency, I think, we have something to learn from what she spoke here. Even I have introduced a Bill in this House called 'The Universal Healthcare Bill, 2021'. As mentioned by many Members here, Article 21 says that the right to life includes the right to health. But, I think, we need to make a distinction here. We need to provide more emphasis to the right to health because without that, the entire country is suffering. Mahatma Gandhi said, "It is health that is real wealth; not pieces of gold and silver.' If the country has to enjoy real wealth, it has to be in good mental and physical health. The population of a nation can be productive only if its individuals are physically and mentally healthy. In fact, Jim Rohn has said, "Take care of your body because it is the only place you have to live." The only place where you have to live is your body. So, it should be taken care of. Unfortunately, the current healthcare system in India reflects an economic and a social gap in accessing quality healthcare and draws attention to further measures that are required to be taken by the Central Government to assure health to all its citizens. And it is very simple! The way the Right to Education Act was brought for providing free and compulsory education to all the children of the country, the same way the right to health must be brought. If this Bill is not accepted, the Government must come in with the Bill providing free healthcare to all the citizens of India irrespective of their class, their economic status or whatever. Many of my colleagues have mentioned that the expenditure on health is only 1.4 per cent of the Gross Domestic Product. My hon. colleague, Dr. Keshava Rao, also said that it should be, at least, six per cent. I agree with him that we need to increase the expenditure on health. Unless it is done, we cannot provide the huge population of India the relief from the ills that they go through. Out-of-pocket payments are the predominant mode for financing healthcare in the country. It should not be there when 70 per cent of our population is below poverty line. Our subsidy itself indicates how poor our country is. Here, out-of-pocket expenses are so predominantly high that we need to really think about it. This is grossly unfair and exposes a large number of households to catastrophic health expenditure which has often been a contributing factor for rural and urban indebtedness, as mentioned by my colleagues. We have also spoken about the pandemic here. The pandemic has, indeed, exposed many gaps. Many of us have spoken about the way it was handled, but I would like to speak about certain acts. Certain acts were acts of nobility, were acts of human service and were acts of sacrifice. There were many people who came forward to do that. At the same time, there were drastically terrible acts of exploitation of poor patients or rich patients by the hospitals during that time who thought this is a huge opportunity to make money. What was happening was that people were dying and, at the same time, their entire economic resource was spent on these hospitals and the future generations also suffered because the complete economy of the household collapsed during the times of pandemic. We must pay attention to this because we cannot allow a country to be ruined. Whenever there is a time of emergency, hospitals come in to loot or come in to exploit people. I think there has to be an end to this by the Government. And, this can be done by a collaborative approach, aligning the existing Government schemes, policies, the interest of the payers and the providers, along with innovative partnerships. We have the Ayushman Bharat Scheme, but as Dr. Amar Patnaik has mentioned, we need to include in-patient and out-patient here. Presently, it is only for in-patient and there is no out-patient coverage. The primary healthcare must be included here.

There is one more lacuna in the system towards which I would like to draw the attention of the Minister. In the hospital, when a patient is being treated and the family member or the caregiver goes to ask the doctor what is wrong with his/her family member, the doctor gives no answer. The family member does not know what is happening to the patient, what is the diagnosis, or, what is the treatment being given. The doctors are silent. I think the doctors and the medical staff must be taught and

they must be given trainings on soft skills and ethics on what to tell about patient, what all they should be telling about the diagnostics and about the future fate of patient. All this is not told. It is hidden. I do not know why this is done. In other countries, I have not seen this happening, but this is very common particularly in our country that the medical staff feels above everything and they don't want to reveal anything to the patient's family members, which distresses them and it sometimes results in assaults on doctors and the medical staff. So, this is one of the primary issues which the Health Department must address. I feel transparency is needed. I think a record of the patient must be maintained digitally and access should be given to the family member with the required amount of privacy, but the family of the patient has the right to know what is happening and the fate of the patient. Otherwise, they come in for a shock when something wrong happens.

With every right, there is a duty attached. There cannot be rights where there are no duties and here, the duties rest with the Government. I believe that the Government must create a national public information network of hospitals. During the pandemic, we realized that we did not know where to go. Patients were wondering where to go. There were so many people working in the social field, who came up to show that this hospital has such and such facility. So, such a data must be maintained and it must be put in public domain for the people to know where they should be going when the time arises. For instance, when Rajani *thai* collapsed, I don't think the other people immediately realized or knew where they should go, and she was taken to wherever they felt it was good. So, if you have a data bank, it will be very helpful. Sir, just give me two minutes.

Then, a pricing strategy committee must be made to make sure that the citizens are not exploited financially. Even for Ayushman Bharat, you have a pricing limit fixed up. We have also seen that when the people, who are responsible for providing healthcare, neglect the patient, they are not punished. They go scot free. There has to be a penalty for that. They should be held accountable. They should be responsible in the noble work that they are doing. But, many times, we see that they are absent from their work, they do not go there regularly and the Government staff people ask the patients to go to their private hospitals so that they can charge them there.

At the end, I will speak about what Mr. Rakesh Sinha pointed out about rare diseases. We have met the hon. Minister several times regarding this issue. A group of parliamentarians has written several letters to him regarding this. There is a rare disease policy, but it is a meaningless policy because you ask for corporate funding. A patient requires crores of rupees to get treated. There are little children who have got little to live but if you give them treatment, they can survive. And, you are asking them to go to the corporate and ask for funding. The only amount that can be

received through the corporate funding is Rs. 1,87,000. I have approached the hon. Prime Minister. You were speaking about the empathy of the Prime Minister. Here in this very House, I took a letter signed by 20 Members of Parliament asking him for an appointment. Give us an appointment so that we can speak about these rare disease patients, who can be helped, and, even when it is such an important and emotional subject, the Prime Minister has not given us time. If time cannot be given for this issue, for what else will we get time?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

DR. FAUZIA KHAN: Many Members of Parliament are asking for this. I urge the hon. Minister to please consider the problems of rare disease patients and help them with the required amount of money so that these little children can be saved by just a little bit of help by the Government. It is not a big amount that we are asking for. Only a hundred crores of rupees are to be spent from the Rashtriya Arogya Nidhi.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. We are running out of time.

DR. FAUZIA KHAN: Finally, I would conclude my speech by saying that instead of enhancing the fund for health care, we are applying the GST on hospital rooms. I think, doing such a thing is very, very cruel. GST not only on food items but GST also on hospital treatment! I think, the Government must withdraw this decision immediately. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Members, there is a special request by hon. Member, Shrimati Ranjeet Ranjan asking for permission to speak early as there is some emergency and she has to leave. Does the House allow her to take priority in terms of speaking first? Okay. Shrimati Ranjeet Ranjan ji, please speak.

श्रीमती रंजीत रंजन (छत्तीसगढ़): महोदय, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बिल लेकर आए हैं - 'स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2021', जो 2021 से पेंडिंग है। मैंने प्रो. मनोज झा जी को भी सुना और उनके बाद हमारे सत्ताधारी पक्ष के श्री राकेश सिन्हा जी को भी सुना। एक्चुअली वे राकेश जी नहीं बोल रहे थे, वे तो भाजपा और सत्ताधारी पक्ष को रीप्रेज़ेंट कर रहे थे और उन्होंने वही कहा, जो उनकी सरकार की रणनीति है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, चूंकि भाषण-अभिभाषण सदन में तो होते ही हैं, लेकिन सदन के बाहर भी आपकी राजनीति चलती है और सदन के अंदर भी आप लोग राजनीति ही कर रहे होते हैं। भाई साहब, यहां तो पब्लिक देख नहीं रही है, शायद सुन रही होगी।

उपसभाध्यक्ष जी, यह बहुत ही गंभीर विषय है। जिस तरह आत्मरक्षा का संवैधानिक अधिकार होता है, जीवन रक्षा का संवैधानिक अधिकार होता है, निश्चित तौर से बीमारियों से आत्मरक्षा का संवैधानिक अधिकार भी इस देश में होना ही चाहिए, जो नहीं है। भारत की 140 करोड़ जनता में, मेरे ख्याल से 1 या 1.5 प्रतिशत लोग ही ऐसे होंगे, जो पूरी विलासिता के साथ इलाज करवा पाते होंगे, अन्यथा मिडिल क्लास से भी ऊपर, जो अपर मिडिल क्लास है, जब उनको भी कोई बडी बीमारी होती है, तो एक बार वे भी कांप जाते हैं। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, बीपीएल, एपीएल की तो बात ही हम छोड़ दें। लोगों की पूरी जिंदगी की जो कमाई है, शायद वह कैंसर, किडनी, हेपेटाइटिस-बी, मलेरिया, कालाज़ार जैसी बीमारियों में ही खत्म हो जाती है। टीबी, हार्ट अटैक, लिवर ट्रांसप्लांट जैसी बीमारियों से तो अभी हम लोग ऊपर ही नहीं आ पाए हैं, रेयर डिज़ीज़ तो अभी बाद में आएंगी। आप बहुत बड़ी-बड़ी बातें कह रहे थे, रेयर डिज़ीज़ की बात कह रहे थे, लेकिन मैं फिर से रेयर डिज़ीज़ से नीचे आऊँगी, क्योंकि हम लोग जहां से आते हैं, अभी उनके लिए यहां बात करना चाहते हैं। हमारे देश में करोडों लोग ऐसे हैं, जिनको आपके जिले के सदर अस्पताल पर निर्भर रहना पड़ता है, आपकी आयुष्मान भारत योजना पर निर्भर रहना पडता है, आपकी स्वास्थ्य बीमा योजना पर निर्भर रहना पडता है। आपने 5,00,000 रुपये दिए, फोटो खिंचवाई और बड़े खुश हो गए। राकेश जी ने तो ऐसे कह दिया, जैसे उन्होंने पूरी गंगा पार कर ली हो, जैसे लोग कहते हैं कि हमने गंगा स्नान कर लिया। आपने पूरे 140 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य का संवैधानिक अधिकार दे दिया, पूरे देश के लोग खुश हैं, सारे किसान खुश हैं, गरीब लोग खुश हैं, सब लोगों का इलाज हो रहा है। जिस तरह घर-घर, हर-हर हम जिनका नाम लेते हैं, उसी तरह हर घर में सबका इलाज हो रहा है। राकेश जी, हम यह स्वास्थ्य का अधिकार क्यों लेकर आए? आप मुझे इतना बता दीजिए। जो 5 लाख रुपये का बीमा है, क्या प्राइवेट अस्पताल उसे लेते हैं? पहले 'नहीं' सामने आया, फिर यह आया कि कुछ अस्पताल उन लोगों को लेने लगे हैं, फिर आया ...(व्यवधान)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please, please.

श्रीमती रंजीत रंजन: लेकिन आप यह जरूर नोट कीजिएगा कि यह हमारी और आपकी बात नहीं है, यह भाषण की बात नहीं है, यह देश के स्वास्थ्य और नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यह हम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्राइवेट अस्पतालों में यदि कोई व्यक्ति आपका कार्ड लेकर चला जाता है, तो जब तक उसके पूरे पांच लाख रुपये नहीं निकल जाते हैं, तब तक प्राइवेट अस्पताल वाले आपको बाहर निकलने नहीं देते हैं। 5 लाख रुपये के 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख या 15 लाख रुपये बनते हैं। हमारे देश में एक संस्कार बना हुआ है, जब तक हम और आप जैसे लोग 'एम्स' में फोन नहीं करते, सफदरजंग अस्पताल में फोन नहीं करते या सदर अस्पताल में फोन नहीं करते, तब तक आम आदमी का इलाज नहीं होता है, क्या उनका इलाज होता है? \* पेशेन्ट तो देश का है। ...(व्यवधान)..पेशेन्ट तो देश का है, आप प्लीज़ सुनिये। पेशेन्ट तो देश का है।

श्री राकेश सिन्हा: मेरा प्वांइट ऑफ ऑर्डर है ...(व्यवधान)..

 $<sup>^</sup>st$  Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): There is a point of order. ... (Interruptions)... Under which rule?

SHRI RAKESH SINHA (Nominated): Under Rule 238. ...(Interruptions)...

श्रीमती रंजीत रंजन : देश में कौन सा ...(व्यवधान).. वाइस चेयरमैन साहब, कौन सा रूल है?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): One second, please. There is a point or order. ...(Interruptions)... Under which rule?

SHRI RAKESH SINHA: Under Rule 238. ...(Interruptions)...

SHRIMATI RANJEET RANJAN: You should respect. ... (Interruptions)...

SHRI SYED NASIR HUSSAIN (Karnataka): Sir, this is not allowed. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): One second, please. ...(Interruptions)... एक मिनट में बात खत्म हो जाएगी। आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर क्या है?

श्री राकेश सिन्हा : हिन्दुस्तान के चिकित्सकों पर राजनीति करने का आरोप लगाना एक तरह से उनका अपमान है। ...(व्यवधान)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you, thank you. Please, Rakesh ji. I have allowed you.

श्री राकेश सिन्हा : सर, इसे प्रोसीडिंग्स से निकाला जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We will examine it. ... (Interruptions)... Please continue, Ranjeet Ranjan ji. ... (Interruptions)...

श्रीमती रंजीत रंजन: थैंक यू, उपसभाध्यक्ष जी। अभी मैं आपके सदर अस्पताल, जिला अस्पताल और शहरों के अस्पतालों पर नहीं आई हूं। वहां के जो हालात हैं, आप 'आयुष्मान' की बात कर रहे हैं, मैंने आपको रिएलिटी बताई है। आप मोदी साहब से जरूर बात करें, वे हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं। आप प्राइवेट अस्पतालों में सर्दी, जुकाम के लिए जाइये, वे कहते हैं कि आपको किडनी की बीमारी है, आपको कैंसर हो सकता है, आपको हेपेटाइटिस-बी हो सकता है, इसलिए धीरेधीरे सारे टैस्ट्स कराते हैं, जब तक कि उसके पांच लाख रुपये खत्म नहीं हो जाते। यह भी शायद आपका \* है, सत्ता का \* है, जिनके साथ आपने इनको टैग किया हुआ है, जिन एजेन्सीज़ के साथ टैग किया हुआ है, उनके साथ आपका क्या \* है, यह परसेंटेज आप जानते होंगे, मैं आपको रिएलिटी बता रही हूं।

-

<sup>\*</sup> Expunged as ordered by the Chair.

महोदय, आप सदर अस्पताल की बात कह रहे हैं, आप भाषणों में बोलिये कि किडनी का जो ट्रांसप्लान्ट होता है, जो डायलिसिस होता है, उसकी सुविधा आपने सरकारी अस्पतालों में दी है। आपने कैंसर की जो कीमोथेरेपी होती है, उसकी फैसिलिटी दी है।

महोदय, मैं दावा करती हूं कि आप बिहार, बंगाल, हरियाणा या पंजाब जैसे प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक ब्लड का टैस्ट करा दीजिए, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। इन स्थानों पर एक भी लेब नहीं है, ब्लड टैस्ट की सुविधा नहीं है, बर्न विभाग नहीं है, अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा नहीं है ...(व्यवधान).. आप सुनिये ...(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : प्लीज़, जांगड़ा जी, आप बैठिये। ...(व्यवधान).. माननीय कान्ता जी, प्लीज़ बैठिये। ...(व्यवधान)...

श्रीमती रंजीत रंजन: उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको आगाह कर रही हूँ, जो विपक्ष का काम होता है। सत्ता पक्ष अगर काम कर रहा है, आपने सुविधा दी है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है ...(व्यवधान)... आप सुनिए। ...(व्यवधान)... नहीं किया। ...(व्यवधान)... नहीं किया। ...(व्यवधान)... मान लिया कि हमने नहीं किया। आप अपने 8 साल का ब्यौरा दीजिए। ...(व्यवधान)... मैं 8 साल का ब्यौरा माँग रही हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Kindly address the Chair. ... (Interruptions)... आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्रीमती रंजीत रंजन : हमने 30,000 रुपये दिये थे ...(व्यवधान)... सदर अस्पताल के लिए। ... (व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No cross-talk, please.

श्रीमती रंजीत रंजन: हमने 30,000 को सवा लाख किया था। वह सरकारी अस्पताल के लिए था। आप बहुत बड़ी अमीर पार्टी के हैं, क्योंकि आपने नोटबंदी की, पैसा अर्न किया, पाँच लाख रुपये दिये। आप फिर पाँच लाख रुपये उन कम्पनीज़ को दे रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ।

सर, मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहती हूँ कि देश के स्वास्थ्य के हालात क्या हैं। अभी मनोज झा जी कोरोना की बात कर रहे थे। हमें दुख होता है। आप लोगों को, मेरी कुछ बहनों को हँसी आ रही थी। मुझे लगता है कि अगल-बगल से एक दिन में 200 फोन कॉल्स, 300 फोन कॉल्स हम लोग अटेंड कर रहे थे। लोग कहते थे कि मैडम, अगर डेढ़ लाख का भी ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, तो प्लीज़ दिलवा दीजिए, क्योंकि हमें किसी की जान बचानी है। रेमडेसिविर 15,000 रुपये में मिल रही थी। मैं आपको एक बात और कहूँगी। वह 40,000 में भी मिली, जो 15,000 से स्टार्ट हुई थी। आप अभी रेयर डिज़ीज़ की बात कर रहे थे। उपसभाध्यक्ष जी, पहले मैं ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करती हूँ। आपने कोरोना में जो ऑक्सीजन सिलेंडर डेढ़ लाख में दिया, ये जिन कोरोना पेशेंट्स को यूज़ कराये गये ...(व्यवधान)... आप मेरी बात सुनिए। ...(व्यवधान)... यह बहुत सेंसिटिव मामला है। ...(व्यवधान)... उपसभाध्यक्ष जी ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No cross-talk, please. ...(Interruptions)... No cross-talk, please.

श्रीमती रंजीत रंजन: उपसभाध्यक्ष जी, जिन व्यक्तियों को, जिन कोरोना पेशेंट्स को ये यूज़ कराये गये, आज उन लोगों को - आपको भी पता होगा 'ब्लैक फंगस' नामक एक बीमारी आयी थी। मेरे घर में मेरी ननद का पित है, जो आपके बिजली विभाग में जॉब में है। वह पटना से आकर यहाँ पर इलाज करा रहा है और अभी तक दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में उसके 15 लाख खर्च हो चुके हैं। उसके 7 ऑपरेशंस हो चुके हैं और डॉक्टर ने बोला कि फंगस कैसे हुआ। वह कोरोना के कारण नहीं हुआ था। ऑक्सीजन सिलेंडर में जो पानी था, वह लोगों को देने के लिए नहीं था, बिल्क वह फैक्टरी के यूज़ के लिए था। वह मिनरल नहीं था, फिल्टर्ड नहीं था और आपने आनन-फानन में लोगों को उस ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि कइयों की जान गयी और कइयों ने अपनी आँख खोयी, कइयों ने अपने ब्रेन में ट्यूमर लिया, कइयों ने अपनी नाक में प्रॉब्लम ली ...(व्यवधान)... कइयों का जबड़ा ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please, no discussion. ...(Interruptions)... No cross-talk, please. ...(Interruptions)... मैं दोनों तरफ के लोगों को कह रहा हूँ प्लीज़।

श्रीमती रंजीत रंजन: उपसभाध्यक्ष जी, मैं क्वोट कर रही हूँ। अगर किसी को आपित है तो डॉक्टर का मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लाकर सभा पटल पर रखने का माद्दा भी हम लोग रखते हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप कन्क्लूड करें। ...(व्यवधान)... ऑनरेबल मेम्बर, अब आप कन्क्लूड करें।

श्रीमती रंजीत रंजन: उपसभाध्यक्ष जी, दूसरी बात यह है कि अभी बहुत बढ़-चढ़ कर भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे राकेश जी बोल रहे थे कि हमने कोरोना काल में यह किया, हमने कोरोना काल में वह किया। पूरा देश चाहता था कि जो लोग कोरोना से व्यथित थे, जो लोग कोरोना से पीड़ित थे, देश उनको सुविधा प्रदान करता, लेकिन यहाँ तो बोलियाँ लग रही थीं। मुझे गर्व है कि दिल्ली के एम्स में, सफदरजंग अस्पताल में, जितने अस्पताल कांग्रेस ने बनाये थे, उनमें ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। यह फैक्ट है। ...(व्यवधान)... उपसभाध्यक्ष जी, मैं क्वोट कर रही हूँ। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please maintain silence. ... (Interruptions)...

श्रीमती रंजीत रंजन: एम्स के एक भी डॉक्टर ने या एक भी पेशेंट ने ...(व्यवधान)... उनके पास पेशेंट्स के लिए जितने बेड्स थे ...(व्यवधान)... जितने उनके पास बेड्स थे, उतने ही पेशेंट्स उन्होंने लिए। एक भी ज्यादा नहीं लिया। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप कन्क्लूड करें। ...(व्यवधान)... ऑनरेबल मेम्बर, अब आप कन्क्लूड करें।

श्रीमती रंजीत रंजन: प्लीज़, प्लीज़। मैं दो-तीन मिनट और लूँगी। यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ...(व्यवधान)... सर, जितने भी प्राइवेट अस्पताल थे, जितने भी छोटे अस्पताल थे, जिन्होंने दुकान खोली हुई थी, सरकार उन पर लगाम लगाने में, ऑक्सीजन की कालाबाज़ारी रोकने में और रेमडेसिविर की कालाबाज़ारी रोकने में फेल थी। सर, क्या कोरोना की दवाई थी? ...(व्यवधान)... सर, क्या यह सदन और प्रधान मंत्री बतायेंगे कि कोरोना की दवाई थी? अगर नहीं थी, तो डॉक्टर एक-एक आदमी से 20-20 लाख रुपए लेकर करोड़ों का इलाज किस तरह से कर रहे थे? ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please. ... (Interruptions)...

श्रीमती रंजीत रंजन: सर, मैं डॉक्टर का नाम नहीं बताऊँगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि नाम नहीं बताना। जब उन्हें कोरोना हुआ, तब वहाँ के अस्पताल ने उनसे 30 लाख रुपए लिए, क्योंकि उनका इंश्योरेंस था।...(व्यवधान)... सर, यह कौन सा खेल चल रहा है? ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. ...(Interruptions)...
Hon. Member, please conclude. ...(Interruptions)...

श्रीमती रंजीत रंजन: महोदय, हम चाहते हैं कि इस देश में स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि हम खासकर अपने गरीब तबके के लोगों को, गाँव के लोगों को, बीपीएल को, एपीएल को, सर्विस क्लास के लोगों को जानवर की तरह ट्रीट करते हैं।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप कन्क्लूड करिए। ...(व्यवधान)... आप कन्क्लूड करिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, दो मिनट और दे दीजिए। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No, no. ...(Interruptions)... आप कन्क्लूड करिए। ...(व्यवधान)... We will examine. ...(Interruptions)... We will examine.

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, आप राम मनोहर लोहिया अस्पताल चले जाइए, आप एम्स चले जाइए ...(व्यवधान)... आप बिहार चले जाइए ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप कन्क्लूड कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, मैं कन्क्लूड कर रही हूँ। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): You have 30 seconds. ... (Interruptions)...

श्रीमती रंजीत रंजन: माननीय सदस्या रजनी पाटिल जी और फौजिया खान जी गंदगी की बात कर रही थीं। ...(व्यवधान)... सर, हम लोग प्रतिनिधि रहे हैं, मैंने दो बार लोक सभा का प्रतिनिधित्व किया है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप कन्क्लूड कीजिए। ...(व्यवधान)... आप कन्क्लूड कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती रंजीत रंजन : अगर आप सदर अस्पताल में एक घंटा खड़े हो गए और बिना बीमारी लिए हुए गए आ गए, तो मैं अपना नाम बदल लूँगी। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. ...(Interruptions)...
Please conclude. ...(Interruptions)...

श्रीमती रंजीत रंजन: सर, प्लीज़ दो मिनट दे दीजिए। ...(व्यवधान)... मैं किसी पर एलीगेशन नहीं लगा रही हूँ। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. ...(Interruptions)... आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... प्लीज़, कन्क्लूड कीजिए। ...(व्यवधान)...

SHRIMATI RANJEET RANJAN: Sir, please two minutes. ...(Interruptions)... मैं किसी पर तोहमत नहीं लगा रही हूँ, बल्कि देश के हालात बता रही हूँ। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Last 30 seconds. ...(Interruptions)... आप कन्क्लूड कीजिए।...(व्यवधान)... Silence please. ...(Interruptions)...

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, मैं उदाहरण देती हूँ। ...(व्यवधान)... हमारे जैसे गाँव का बच्चा, जिसका पूरा शरीर जल गया ...(व्यवधान)... आपको हँसी क्यों आ रही है? ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : प्लीज़, आप चेयर को एड्रेस कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती रंजीत रंजन : वह मेरा बेटा नहीं है, गाँव का बेटा है। ...(व्यवधान)... मैं गाँव के बेटे की बात कर रही हूँ। ...(व्यवधान)... मेरे बेटा हो, तो पैसे देकर करा लूँगी। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Shrimati Ranjan, please address the Chair. ... (Interruptions)... Thank you. ... (Interruptions)...

श्रीमती रंजीत रंजन: सर, उसका होंठ गले तक आ गया, कान पीठ तक आ गया। ...(व्यवधान)... वह अपना इलाज नहीं करा पाया, क्योंकि सदर अस्पताल, जिला अस्पताल, कहीं पर कोई फैसिलिटी नहीं थी। ...(व्यवधान)... उसे गाँव में ही रखकर इलाज कराया गया। ...(व्यवधान)... उसकी स्किन उतरकर पेट तक सटी हुई थी। ...(व्यवधान)... क्या यह रेअर नहीं है? ...(व्यवधान)... मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में स्वास्थ्य के हालात बद से बदतर हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप कन्क्लूड कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती रंजीत रंजन: सर, सिर्फ भाषणों से काम नहीं होगा, सिर्फ उद्घाटन करने से काम नहीं होगा, बिल्क नीयत और नीति, दोनों सही होनी चाहिए। ...(व्यवधान)... एक तरफ आप कह रहे हैं कि इलाज हो रहा है ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. I will have to move on. ...(Interruptions)... मैंने आपको काफी समय दे दिया है।...(व्यवधान)...

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, मैं सिर्फ एक आंकड़ा बताना चाहती हूँ। ...(व्यवधान)... हजार लोगों पर एक डॉक्टर है। ...(व्यवधान)... आप कह रहे हैं कि हम इलाज कर रहे हैं! ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : प्लीज़ 30 सेकंड में कन्क्लूड कीजिए, otherwise I will have to move on.

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, मैं एक और प्वाइंट रखना चाहूँगी। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : नहीं, अब आपको कन्क्लूड करना पड़ेगा। ...(व्यवधान)... । am sorry, । will have to move on. ...(Interruptions)... No, no. ...(Interruptions)... मैं आपको काफी समय दे चुका हूँ। ...(व्यवधान)...

SHRIMATI RANJEET RANJAN: Sir, please, one minute. ... (Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप कन्क्लूड कर रही हैं? ...(व्यवधान)...

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, मैं कन्क्लूड कर रही हूँ। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप कन्क्लूड कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, 189 कंट्रीज़ में हमारे देश का नंबर 179 पर है। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Dr. Anil Sukhdeorao Bonde. ... (Interruptions)... I will have to move on. ... (Interruptions)...

श्रीमती रंजीत रंजनः हमारा जो जीडीपी है, उससे आगे भूटान और श्रीलंका खड़े हैं। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I will have to move on. ... (Interruptions) ... Thank you. ... (Interruptions) ... I am moving on. ... (Interruptions) ... Thank you. ... (Interruptions) ... आपका समय खत्म हो चुका है। ... (व्यवधान) ...

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, मैं आग्रह करती हूँ कि स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिलना चाहिए। ...(व्यवधान)... आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Dr. Anil Sukhdeorao Bonde.

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मनोज कुमार झा जी ने ...(व्यवधान)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): Sir, I have a point of order. ...(Interruptions)...

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I am on a point of order. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Under which rule? ...(Interruptions)...
One second. ...(Interruptions)... I have two points of order. ...(Interruptions)... I will take the first point of order and then yours. ...(Interruptions)... Under which rule? ... (Interruptions)... I will. I have recognized. ...(Interruptions)... Under which rule? ... (Interruptions)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, it is under Rule 238 (2). ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Silence please. ... (Interruptions)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, it is under Rule 238 (2) - 'making a personal charge against a member'. ...(Interruptions)... I think, while speaking, Dr. Fauzia Khan has made certain accusations against the hon. Prime Minister. ... (Interruptions)... I think, this is not acceptable. ...(Interruptions)... This must be expunged from the records. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We will examine. ... (Interruptions)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: It is in the nature of an allegation. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We will examine. ... (Interruptions)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: The Prime Minister is also a member of the Council of Ministers. ...(Interruptions)... I think, the allegation must be removed from the records. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We will examine. ... (Interruptions)... Okay, now, I have the second point of order. ... (Interruptions)... Please ... (Interruptions)... रंजीत जी, प्लीज़ अपनी जगह लीजिए। ... (व्यवधान)... I have the second point of order. ... (Interruptions)... Yes.

DR. V. SIVADASAN: My point of order here is....

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Under which rule?

DR. V. SIVADASAN: Sir, it is Rule 239.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Under Rule 239.

DR. V. SIVADASAN: While the Member was speaking here, the other Members from the Ruling Benches, the Treasury Benches, were putting questions to the Member. ...(Interruptions)... That is very wrong. ...(Interruptions)... Clearly, it is here, "When, for the purposes of explanation during discussion or for any other sufficient reason, any Member has occasion to ask a question of another Member on any matter then under the consideration of the Council, he shall ask the question through the Chairman." ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Through the Chairman. ... (Interruptions)... I get it. ... (Interruptions)... Through the Chairman. Understood. ... (Interruptions)... Through the Chairman. ... (Interruptions)... Through the Chairman. ... (Interruptions)...

DR. V. SIVADASAN: But, they clearly violate this, you please take action against them. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Point taken. Now, Dr. Anil Bonde. Yes, please. Thank you. ...(Interruptions)... Thank you, moving on.

**डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे**: आज प्रो. मनोज कुमार झा, सांसद ने हेल्थ के ऊपर जो चर्चा रखी है, उसमें मैं सम्मिलित हो रहा हूँ। हेल्थ की डेफिनेशन यह दी जाती है कि वैल-बीइंग होनी चाहिए। That should be the mental and physical well being, emotional and spiritual well-being. डिज़ीज़ के बारे में कहा जाता है कि जिसमें ईज़ न हो - डिस-ईज़, लेकिन आज मुझे इस सदन में दिखा कि कुछ लोगों को असत्य बोलने की बीमारी भी लग सकती है।...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No; I am not allowing. ...(Interruptions)... Is it a point of order? ...(Interruptions)... Is it a point of order? ...(Interruptions)... Address the Chair. ...(Interruptions)...

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: गलत जानकारी भी हो सकती है, जिसको कुछ लोग असत्य भी बोलते हैं।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please. ... (Interruptions)... Please. ... (Interruptions)...

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: अगर ऐसी बीमारी रही, तो उसका इलाज भी बहुत जल्दी करना जरूरी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कोविड का जो पीरियड था, वह सबके लिए एक बड़ा टैस्ट था। चाहे वे डॉक्टर्स हों, हेल्थ पर्सनेल्स हों, पॉलिटिशियंस हों या एडिमिनस्ट्रेटर्स हों, इन सबके लिए वह एक बहुत बड़ा टैस्ट था, क्योंकि सौ साल के बाद पैन्डेमिक आता है। एन्डेमिक, एिपडेमिक बहुत बार आता है, लेकिन आपको पता है कि 1820 में पैन्डेमिक आया था, 1920 में पैन्डेमिक आया था और अब 2020 में पैन्डेमिक आया था। पैन्डेमिक आने के बाद पूरी दुनिया के देश गड़बड़ा जाते हैं। किसी देश की चाहे कितनी भी अच्छी हेल्थकेयर फैसिलिटी हो, ऐसे देश भी गड़बड़ा जाते हैं। यू.के. में अच्छी हेल्थकेयर फैसिलिटी थी, लेकिन वहाँ भी वेंटिलेटर्स नहीं मिले, वहाँ भी एडिमिशन के लिए लाइन लगती थी। इसी तरह, यू.एस.ए. में भी यही परिस्थिति थी। इनिशयल प्रॉब्लम तो यह थी कि डॉक्टर्स को भी एग्जैक्ट इन्फ़ॉर्मेशन नहीं थी कि इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट देना है। जब कन्फ्यूजन ज्यादा रहता है, ऐसे वक्त में कंट्री को जो लीड कर रहा है, डब्ल्यूएचओ जो गाइडलाइन दे रहा है या यहाँ की आरोग्य संस्थाएँ जो गाइडलाइन दे रही हैं, उनको अच्छे से नीचे तक फॉलो-अप कराने का काम जो हेल्थ सिस्टम करता है, अगर वह सक्सेसफुल रहा, तो डेिफनेट्ली लोगों को हेल्थ का राइट मिल गया, ऐसा हम बोल सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण इलाके में रहता हूँ और मेरा ऐसा अनुभव है कि पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड में थोड़ा फर्क था। पहले में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हमारे आदरणीय पंत प्रधान नरेन्द्र मोदी जी द्वारा आखिरी पायदान तक यह मैसेज पहुँचाया गया था कि आपको सेफ डिस्टेंस रखना है, आपको हाथ धोने हैं, अगर आपने मास्क नहीं लगाया, तो कोरोना होने की ज्यादा संभावना है। यह मैसेज आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेविकाएँ और नीचे के हेल्थ पर्सनेल्स घर-घर जाकर दे रहे थे। यह जो डोर टू डोर सर्विस है, हेल्थ में यही सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद, उससे प्रिवेंशन के लिए माननीय पंत प्रधान जी ने बार-बार यह कहा कि हम इन्डिजनस वैक्सीन बनाएँगे। हमारे यहां हम वैक्सीन बनाएंगे।

## [उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) पीठासीन हुईं]

हम ऑक्सफोर्ड से मदद लेकर वैक्सीन बनाएंगे। कोवैक्सीन बनी, कोविशील्ड बनी, पूणे में वैक्सीन बनी। उस वक्त वैक्सीन बनने के बाद मुझे इसलिए दुख हुआ कि भारत में कुछ लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि यह मोदी वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। उन लोगों को भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक बड़े नेता ने बोला कि यह मोदी वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे, तब भारत का 20 परसेंट तबका ऐसा था, जिन्होंने सोचा कि यह मोदी जी की वैक्सीन है, हम इसे नहीं लगाएंगे। पैन्डेमिक में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिन लोगों का इन्फ्लुएंस रहता है, उन लोगों का पूरे देश के साथ में चलना ज़रूरी होता है, यानी जो नेता हैं, जो अभिनेता हैं, जिन्हें हम की-पर्सन बोल सकते हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीन लगती है तो नीचे वाले लोगों को भी लगता है कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। आज हम सबको गर्व होना चाहिए, चाहे वे विरोधी हों या अन्य कोई भी सदस्य हों, कि ज्यादातर सभी लोगों को, चाहे वे 60 साल के ऊपर की उम्र के हों, चाहे 18 साल के ऊपर की उम्र के हों, वैक्सीन की दो डोज़ लग चुकी हैं। आज हम बुस्टर डोज़ की तरफ बड़ी ताकत से जा रहे हैं। बूस्टर के बारे में भी संभ्रम फैलाने की कोशिश की गई। अब ऐसे वक्त राइट टू हेल्थ - जब आखिरी आदमी वैक्सीन के बारे में जानता है, कोविड के बारे में जानता है, तब मैं समझता हूं कि हम - एक्चुअली राइट टू हेल्थ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम प्रार्थना ही करते हैं। 'सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:'। सर्वे सन्तु निरामया: का अर्थ है कि सभी रोगमुक्त रहें। यह तो हमारी प्रार्थना ही है। यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है।

### प्रो. मनोज कुमार झा : आप इसको संविधान में ले आइए।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: यह सही बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि संविधान में हमारे मूलभूत अधिकार हैं। हमारे संतों ने भी बोला है। हमारे संत गाडगे महाराज थे, उन्होंने बोला है 'मुकेल्यांना अन्न द्या, तहानलेल्यांना पाणी द्या, आजारी असलेल्यांना औषध द्या'। वही मोदी जी कर रहे हैं। वे जनऔषधि में क्या कर रहे हैं! आपको पता है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़िज़ हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एक-एक दिन की दवाई सौ रुपये से अधिक की होती है, वह सौ रुपये की दवाई 30-40 रुपये में मिले या 10 रुपये में मिले, तो 300 रुपये महीने में हाइपरटेंशन कंट्रोल कर सकते हैं। यह बात ख्याल में क्यों नहीं आती?

मैं 'आयुष्मान भारत योजना' के बारे में बताता हूं। एक्चुअली हेल्थ जो सब्जेक्ट है, यह स्टेट के अंतर्गत आता है। यह कन्करेंट सब्जेक्ट नहीं है। वैसे तो यह योजना राज्य सरकारों को चलानी चाहिए। तिमलनाडु ने पहली बार शुरू की थी, महाराष्ट्र में भी शुरू की गई थी, वह राजीव गांधी जी के नाम से शुरू की गई थी, फिर महात्मा ज्योतिबा फुले जी के नाम से देवेन्द्र फडणवीस जी ने बहुत अच्छे तरीके से चलाई, बाकी अन्य स्टेट्स ने भी चलाई, लेकिन वह डेढ़ लाख रुपये तक की थी, उसके बाद अगर पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज देना है तो 'आयुष्मान भारत योजना' के माध्यम से कैंसर के पेशेंट भी अपना इलाज अच्छे से करा सकते हैं, कोरोनरी बाईपास का पेशेंट हो या अन्य पेशेंट्स हो, ये सब पेशेंट्स अच्छी तरह से रियायत पा सकते हैं। यह कब महसूस होगा, जब हम उन पेशेंट्स के घर में उनके रिलेटिव्स की तरह जाएंगे। पेशेंट को किडनी ट्रान्सप्लांट करवाना है। वह एम्स में जाता है और 'आयुष्मान भारत योजना' का लाभ लेता है, उसका किडनी ट्रान्सप्लांट होता है, उस वक्त वह कोई पोलिटिक्स नहीं सोचता है, वह पंत प्रधान नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता है।

## उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : अनिल जी, आप कन्क्लूड कीजिए।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: मैं कन्क्लूड करता हूं। उपसभाध्यक्ष महोदया, यह जो हेल्थ सब्जेक्ट है, यह कन्करेंट लिस्ट में आना चाहिए। यह सिर्फ राइट टू हेल्थ नहीं है, ...(समय की घंटी)... क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल, मेन्टल, इमोश्नल हेल्थ भी इन्क्लूडेड है, इसमें सरकार की तरफ से एकाध कम्प्रीहेन्सिव पब्लिक हेल्थ लेजिस्लेशन बना तो वह बहुत स्वागत योग्य रहेगा। ...(व्यवधान)... दूसरी बात यह है कि इसकी फंडिंग के लिए भी जैसे मोदी जी ने कोरोना के काल में किया, वैसे ही बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, जो हेल्थ के लिए फंड देना चाहते हैं। एक ऐसी कंक्रीट डेज़िग्नेटेड ऑटोनॉमस एजेंसी रहनी चाहिए कि जो गरीबों को शासन के मार्फत मदद करे। आज आपने अच्छी चर्चा निकाली, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिन्द!

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं हृदय से आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं मनोज झा जी का भी आभारी हूं कि वे राइट टू हेल्थ का महत्वपूर्ण बिल लेकर आए। मैडम, इस देश में जब यह महसूस किया गया कि लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, भूख के कारण मौत हो रही है, तो राइट टू फूड का बिल पास किया गया। जब यह महसूस हुआ कि देश शिक्षा के क्षेत्र में लगातार पिछड़ता जा रहा है, लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो राइट टू एजुकेशन का बिल पास हुआ। आज हम ऐसे हालात में खड़े हैं, जहां पर न सिर्फ हिन्दुस्तान, बिल्क पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से अभी भी जूझ रही है। हिन्दुस्तान में भी कोरोना के कारण लाखों लोगों की मौत हुई। हम लोगों ने देखा कि उस कोरोना के कारण जो गरीब लोग थे, किसान थे, मज़दूर थे, वे सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलकर अपने घर गए। जहां वे रहते थे, वहां इलाज नहीं मिल पाया। हमने देखा कि जब वे चलते-चलते थक गए और रेल की पटरियों पर बैठकर खाना खाने लगे, तब उन्हें नींद आ गई और रेल उनके ऊपर से गुजर गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई, लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पाया, वे घर नहीं पहुंच पाए।

महोदय, हम लोगों के लिए स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और मैं इनका सम्मान करता हूं। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक बड़ी पहल की और ऐसा करना चाहिए। बाकी मंत्रियों को भी निश्चित रूप से इनसे सीख लेनी चाहिए। ये स्वयं एक सामान्य नागरिक बनकर जब एम्स अस्पताल में गए, तो इनको वहां पर रोक लिया गया, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। ये खुद रूबरू हुए कि वास्तव में अस्पताल में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना एक मरीज को या उसके साथ के लोगों को करना पड़ता है। इसलिए मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगा कि स्वास्थ्य का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह कहना

गलत होगा। शिक्षा का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह कहना गलत होगा, क्योंकि राजनीति ही तो तय करती है कि स्वास्थ्य पर कितना बजट होगा, शिक्षा पर कितना बजट होगा, सड़क पर कितना होगा, पानी पर कितना होगा, बिजली पर कितना होगा, इसलिए यह राजनीतिक मुद्दा है। अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी सफदरजंग अस्पताल के सामने एक महिला जो प्रसव से पीड़ित थी, उसको अपने बच्चे की डिलीवरी लोगों की घेराबंदी में करनी पड़ती है, तो मैं समझता हूं कि यह सदन के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है। हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कहां पहुंच गई है? पिछले दिनों महोबा के अंदर एक खबर आई। वह दिल दहला देने वाली खबर थी। आप भी सुनेंगी, तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक मासूम बच्चा महोबा के अस्पताल में एडिमिट था, जिसको चींटियों ने खाकर मार दिया। यदि मैं गलत कह रहा हूं, तो मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिएगा। इस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं। जब केन्द्र का बजट आता है, तो हम पढ़ते हैं कि पूंजीपतियों का कॉरपोरेट टैक्ट 30 परसेंट से घटाकर 22 परसेंट कर दिया। 1 लाख 45 हज़ार करोड़ रुपये का देश के बजट को घाटा हुआ। जब हम स्वास्थ्य का बजट पढ़ते हैं, तो केवल दो परसेंट के बारे में पढते हैं।

#### 5.00 P.M.

यह स्वास्थ्य को लेकर हमारी चिंता है! हम देश में स्वास्थ्य का यह विकास करना चाहते हैं! हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य यहां बार-बार कह रहे हैं कि यह तो राज्य का विषय है, यह राज्य का विषय है, यह राज्य का विषय है। ...(समय की घंटी)... मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, तो यह बता दीजिए कि राज्य सरकारों को गिराना किसका विषय है? विधायकों की खरीद फरोख्त करना किसका विषय है? ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : प्लीज़, आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री संजय सिंह: मंत्रियों को पद प्रलोभन देकर सरकारों को गिराना किसका विषय है? यह आप बता दीजिए।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (सृश्री इंद् बाला गोस्वामी): माननीय सदस्य, आपकी चर्चा जारी रहेगी।

श्री संजय सिंह: मैडम, सबको मौका दिया गया है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : माननीय सदस्य, आपकी चर्चा जारी रहेगी। आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री संजय सिंह: मैडम, मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में एक सरकार चल रही है। ... (समय की घंटी) ... उस सरकार के मुख्य मंत्री केजरीवाल जी ने शिक्षा का बजट 14 प्रतिशत रखा है। ... (समय की घंटी) ... मैडम, सबको बोलने का मौका मिला है और मुझे भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाए।

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : आपको अगली डेट पर बोलने का मौका मिलेगा। प्लीज़, आप वाइंड अप कीजिए।

श्री संजय सिंह : मैं दिल्ली के बारे में बता रहा हूं। दिल्ली का स्वास्थ्य बजट 14 परसेंट है। ...(व्यवधान)... हमने 520 मोहल्ला क्लीनिक्स बनाए हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : स्पेशल मेंशन्स। माननीय सदस्य आपका ही स्पेशल मेन्शन है।

श्री संजय सिंह: ठीक है, मैं अपनी स्पीच बाद में कन्टिन्यू करूंगा।

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी) : हाउस इसके बाद भी चलेगा और चर्चा जारी रहेगी। स्पेशल मेन्शन - श्री संजय सिंह जी।

#### SPECIAL MENTIONS

Need to review the recent hike in rate of Goods and Services Tax (GST)

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): महोदय, हमारे देश में महंगाई हर रोज नया आसमान छू रही है। इस बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के जीवन को हिला कर रख दिया है। महोदय, आज़ादी के बाद से आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अब लोगों को आटा से लेकर अस्पतालों के कमरे, स्याही, दाह संस्कार और आम आदमी की जरूरत की हर चीज़ पर 5 परसेंट से लेकर 18 परसेंट तक टैक्स देना होगा। सरकार दाल, दही, लस्सी और चावल सभी पर टैक्स लगा रही है। यहां तक कि अब लोगों को अपने ही बचत खाते से पैसे निकालने पर टैक्स देना होगा। इस बेतहाशा कर वृद्धि से आम लोगों का जीविकोपार्जन और बरबाद हो जाएगा। पहले से ही देश में लगभग 19 करोड़ लोग हर रात खाली पेट सोने को मजबूर हैं और देश में पांच साल से कम उम्र के हर दिन लगभग 4,500 बच्चे भूख और कुपोषण के कारण मर रहे हैं। अकेले भूख के कारण हर साल तीन लाख से अधिक बच्चों की मौतें हो रही हैं जबिक देश हित में असली कदम यह होता कि गरीबों को महंगाई से राहत दिलाने का प्रयास किया जाता और जिनके पास अधिक धन-दौलत है, उनसे टैक्स की वसूली की जाती। सरकार का यह कदम देश में भुखमरी, कुपोषण और गरीबी को बढ़ावा देगा और लोगों को आटा-चावल के लिए भी तरसा देगा। उपरोक्त विकट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस फैसले पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

SHRI JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

# Need for inclusion of Ho, Mundari and Bhumij languages in the Eighth Schedule to the Constitution

DR. SASMIT PATRA (Odisha): \*Madam, through this special mention, I demand that the major tribal languages spoken by our tribal brothers and sisters in Odisha - Ho, Mundari and Bhumij - be included in the Eighth Schedule of the Constitution. Santhali language has already been included in the Eighth Schedule of the Constitution.

In the recently held 24th Eastern Zonal Council meeting in Bhubaneswar, the Hon'ble Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik, reiterated the long-standing demand for inclusion of Ho, Mundari and Bhumij languages in the Eighth Schedule, which would help fulfill the aspirations of the tribal communities speaking these three languages in Odisha. Shri Naveen Patnaik also wrote a letter to the hon. Home Minister in this regard and requested to include these three languages in the Eighth Schedule of the Constitution.

The 'Ho' language is spoken by about 10 lakh tribals living in Odisha and Jharkhand. Mundari language is spoken by more than 6 lakh people of Odisha's Munda and Mundari tribes. Bhumij is spoken by about three lakh tribal brothers and sisters. These tribal languages of Odisha are highly eligible for inclusion in the Eighth Schedule of the Constitution.

I strongly demand that the Central Government take necessary steps as soon as possible to include the Ho, Mundari and Bhumij languages in the Eighth Schedule of the Constitution. This will fulfill the long-standing demand of the tribal who speak these languages and will help in building an inclusive society.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

THE VICE-CHAIRMAN (MS. INDU BALA GOSWAMI): Shri Sujeet Kumar; he is not present. Shri Ayodhya Rami Reddy Alla.

<sup>\*</sup> English translation of the original speech delivered in Odia.

#### Digital attendance of the MNREGA workers

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA (Andhra Pradesh): Madam, the Rural Development Ministry has passed an order to discontinue manual attendance for the MGNREGA scheme for work sites with more than 20 workers. The order states that attendance will instead be recorded by a mobile phone-based application--National Mobile Monitoring Software (NMMS).

I would like to highlight that the app specifies that it is mandatory for workers to upload two time stamped photos within a pre-determined time window designed by the App. Section 3 of the NREGA Act states that workers are entitled to their wages on the basis of work completed by them, that is, on a piece rate basis. By forcing the workers to stay for a specified number of hours irrespective of when they finish their work, the App is forcing a time rate basis payment for their wages.

### [THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA) in the Chair]

Women traditionally have lower access to smart phones, etc. Having a smart phone and access to the App is now necessary for NREGA mates to record attendance on the NMMS. This discourages women from being NREGA mates which contradicts the Government that has continually pushed for greater representation of women amongst NREGA mates.

Lastly, the App has been designed completely in English with no technical support available. This would undermine the access of numerous poor workers. I request the Ministry of Rural Development to take cognizance of the same immediately and take action to allow manual recording of attendance for MNREGA. Thank you, Sir.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

#### Need for an integrated approach to manage the water crisis in the country

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, the per capita availability of water has seen a decline of 75 per cent from 6,042 cubic metres in 1947 to 1,486 cubic

metres in 2021. As per the NITI Aayog, 21 major cities are already on the brink of exhausting their groundwater resources. We are increasingly seeing acute shortages of water in urban areas. A major reason for this is the obstruction to recharging of groundwater due to poor city planning of encroaching floodplains and paving over lakes and wetlands, accentuated by the loss of green cover to make way for infrastructure projects. In rural areas, the indiscriminate extraction of groundwater for agricultural purposes is reaching dangerous levels. This is further aggravated by the intensive cultivation of water guzzling crops like paddy and sugarcane. These also constitute a large portion of our export basket; while we must celebrate the success and hard work of our farmers in ensuring a record-breaking agricultural export this year, we must also be cognizant of the amount of virtual water we are exporting in the process. Hence, the present water crisis is the result of a multitude of cascading effects across areas which are exasperating the problem. To address this, we must aim for an integrated approach to water management with greater coordination between the many Ministries involved so that policy decisions are not taken in isolation but with the broader goal of water sustainability in mind. Thank you, Sir.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

# Need to probe the problems being faced by the students in the recently held UGC, NET Exam and CUET undergraduate Exam

DR. V. SIVADASAN (Kerala): The students in various centres in the nation have faced huge problems because of glitches involved in conducting the University Grants Commission - National Eligibility Test on 9<sup>th</sup> July, 2022. Multiple centres from Odisha, Bihar, Uttar Pradesh, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala and many other States have reported multiple kinds of issues. In some centres, candidates were unable to attend the exam and in many other centres, candidates were forced to attend the exam in suboptimal conditions. In many places, not only the examination started late by several hours due to server issues, but candidates have also complained of repeated logging off during the test.

Along with this, the very first CUET undergraduate examination has also ended up being a catastrophe due to poor planning and last minute changes in the examination centre. Many students were unable to attend the examination as they were informed upon reaching the centre that their allotted centre has been changed while others were told it has been rescheduled.

The reasons for such glitches in conducting exams should be enquired into strictly. This can affect the credibility and reputation of the exams. So, there is a need to ensure that proper enquiry takes place into the causes of the glitch and the prestige and credibility of the national exams are restored. Also, all those candidates who were denied of their rightful opportunity to write the exam should be given their fair chance.

SHRI JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

#### ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Members, the swearing-in ceremony of Shrimati Draupadi Murmu, President-elect will take place on Monday, the 25<sup>th</sup> July, 2022 in the Central Hall of the Parliament House. In order to facilitate the Members to attend that ceremony, hon. Chairman has decided that the Rajya Sabha will meet on that day at 2.00 p.m. instead of 11.00 a.m. Accordingly, the House is adjourned to meet at 2.00 p.m. on Monday, the 25<sup>th</sup> July, 2022.

The House then adjourned at twelve minutes past five of the clock till two of the clock on Monday, the 25<sup>th</sup> July, 2022.

